खण्ड-292, अंक-2
सोमवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(30 अगस्त, 1971 ई0)

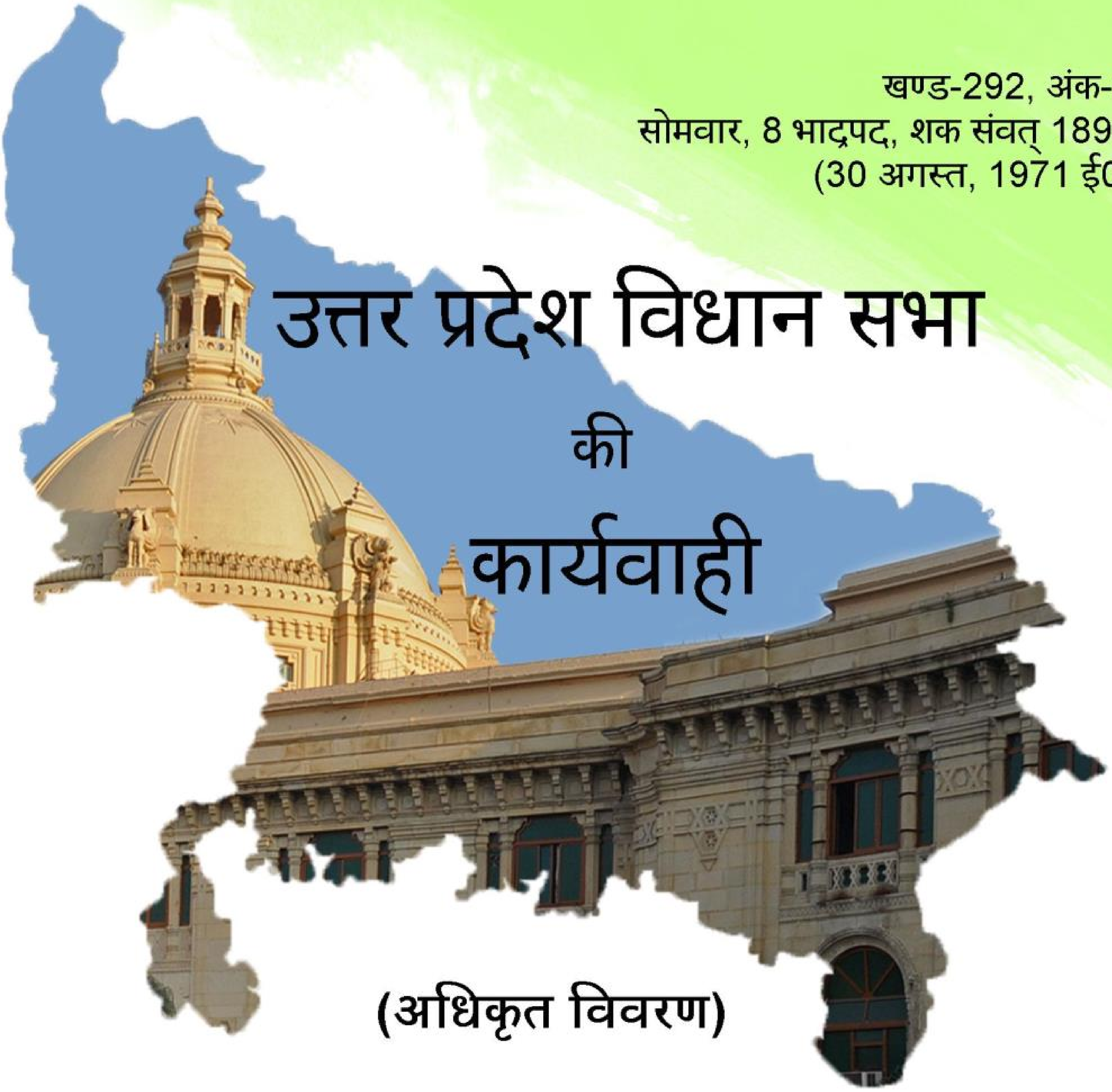

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 292 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	111–115
प्रश्नोत्तर	115–147
मंत्रियों के कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में शिक्षा राज्य मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	147–149
श्री रामलाल राही द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना	149
मऊनाथ भंजन की स्वदेशी काटन मिल्स में तालाबन्दी के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव व नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	149
प्रश्न का उचित उत्तर न देने के सम्बन्ध में शिकायत	150
कानपुर में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा दिये जाने के संबंध में दिये गये वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न	150–151
मऊनाथ भंजन की स्वदेशी काटन मिल में तालाबन्दी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव व नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	151–155
वीरभद्र कृषक सहकारी समिति, देहरादून को दी गयी भूमि का भूमिहीनों में वितरण संबंधी आश्वासन पर आश्वासन समिति का छठा विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	155–158
इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, पनकी, कानपुर के फर्टीलाइजर प्लान्ट में श्रमिकों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य	158–162
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (जारी)	162–217
सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान की उत्तर प्रदेशीय शाखा के उद्घाटन समारोह के संबंध में सूचना	217–218
नियम 56 तथा 51 के अन्तर्गत सूचनायें	218
नत्थियां	219–225

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 30 अगस्त, 1971

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—376

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह "कृष्ण", श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, वैद्य
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बल्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसालीदेवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री

रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबधन, श्री(जिला आजमगढ़, रानी की सरांय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्तीचरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छम्मू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री

श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टमटा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज (उर्फ हंसा), श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल श्री

नोट—सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार 30 अगस्त, 1971

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पाकिस्तान नागरिक, श्री अमीरउद्दीन का बिजनौर जिले की चांदपुर महापालिका का सदस्य चुना जाना

** 1—श्री शिवमहेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अमीरउद्दीन उर्फ बादशाह, जो एक पाकिस्तानी नागरिक हैं, बिजनौर जिले में चांदपुर नगरपालिका के सदस्य चुने गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि यह पाकिस्तानी नागरिक बिजनौर जिले की सीमाओं से बिना आज्ञा बाहर जाने पर पाबन्दी होते हुये अवैध रूप से एन्डोमन निकोबार तक घूमने के बारे में मद्रास में गिरफ्तार हुआ था ? क्या यह अवैध भ्रमण जासूसी के सिलसिले में होते हैं ? सरकार के गुप्तचर विभाग की इसकी इन कारगुजारियों के बारे में क्या रिपोर्ट है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

श्री अमीरउद्दीन, पुत्र हाजी करीमुद्दीन बिजनौर जिले की चांदपुर नगरपालिका के सदस्य निर्वाचित हुये हैं । पुलिस अधीक्षक, बिजनौर से प्राप्त सूचनानुसार श्री अमीरउद्दीन पाक राष्ट्रिक

हैं तथा इनका मामला सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में विचाराधीन है। इस सूचना पर रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950 की धारा 22 (सी) के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा श्री अमीरउद्दीन को नोटिस दिया गया है।

प्रश्न के शेष भाग का विषय राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित नहीं है।

केसा के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

**2—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद), श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून), श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के केसा के हजारों कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं ? वे कितने दिनों से हड़ताल पर हैं ? उनकी मांगें क्या हैं ? सरकार हड़ताल समाप्त कराने के लिये कौन सा पग उठा रही है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

केसा के कर्मचारी 9 अगस्त, 1971 से अवैध हड़ताल पर हैं। मांगें मुख्यतः केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित हैं।

हड़ताल रोकने के लिये की गई कार्यवाही की सूचना, नियम 51 के अधीन 2 अगस्त, 1971 को दिये गये वक्तव्य तथा मुख्य मंत्री के दिनांक 10 अगस्त, 1971 के वक्तव्य में, सदन को दी जा चुकी है। केसा के 14 वर्गों के कर्मचारियों के वर्गीकरण और वेतन निर्धारण के मामलों में उच्च स्तरीय समिति ने 8 अगस्त, 1971 को अपनी संस्तुति दे दी है। 16 अगस्त, 1971 को केसा में कार्यरत यूनियनों के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि हड़ताल वापस ले लें ताकि वातावरण सामान्य हो जाय और जनरल मैनेजर, केसा समिति की कार्यवाही में भाग ले सकें और उसका काम पूरा हो सके।

यह सूचना 21-8-71 तक की थी। दिनांक 23/24 की मध्य रात से हड़ताल समाप्त हो गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या विद्युत् मंत्री जी बतायेंगे कि फिटमेंट चार्ट स्वीकृत होना चाहिये, वह सब वर्गों का सही हो गया है या उसमें कोई कसर है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

23 तारीख से केसा के फिटमेंट के बारे में निर्णय लिया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय घोषित हो जायगा और जो आपत्तियां उस पर की जायेंगी, वे सुनी जायेंगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय विद्युत मंत्री जी बतायेंगे कि किस आश्वासन पर हड़ताल समाप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, आश्वासन इस प्रकार का कोई नहीं दिया गया। लेकिन राज्य श्रम मंत्री जी वहां गये थे और उन्होंने राज्य सरकार का निर्णय घोषित किया था और यह मजदूरों पर छोड़ दिया था कि वे हड़ताल वापस लें या न लें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह जो हड़ताल मार्किस्टों द्वारा कराई गई थी, उसको सरकार ने अनियमित घोषित किया था या नियमित ? या ऐसा कुछ नहीं किया था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, अनियमित तो घोषित की ही गई थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत कर्मचारियों के किस किस स्थान के फिटमेंट चार्ट की मांग की गई है ? यह पूरी हो चुकी है या और कितना काम अभी बकाया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विवरण से इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

हड़ताल जो समाप्त हुई है तो क्या उससे संबंधित लोग सन्तुष्ट हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

संतुष्ट हैं और उनको विश्वास है तभी तो हड़ताल उन्होंने वापस ली है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)

क्या हड़ताल समाप्त करते समय कर्मचारियों ने सरकार को कोई इस प्रकार की नोटिस दी है कि इसके अनुसार यदि सरकार शीघ्र घोषणा नहीं करेगी तो वह पुनः हड़ताल पर चले जायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सकार आश्वासन देगी कि फिटमेंट चार्ट का काम जो बकाया है और जिसके लिए सरकोर प्रयत्नशील है, वह कितने दिनों में पूरा हो जायेगा जिससे किसी भी स्थान पर लोगों का शिकायत न रह जाए ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

शीघ्र से शीघ्र इसका निर्णय करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

उनकी जो 13 मांगें हैं, उनमें से वे मांगे वित्तीय कठिनाई नहीं है, जैसे नं० 13, 7, 9 व 11 आदि, इनको शासन को मानने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

इन सब मांगों पर विभिन्न कर्मचारियों की यूनियनों के पदाधिकारियों से वार्ता हो चुकी है । सब लोग सहमत हो चुके हैं । उन मांगों का विवरण इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन सभी यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ताएं हमारी हो चुकी हैं, और वह संतुष्ट हैं । जो हमारी कैबिनेट का डेसिजन निकला है उसमें भी संतुष्ट हैं । अब कोई ऐसी समस्या इसमें नहीं है ।

ग्रामों का विद्युतीकरण

** 3—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के सहायक सचिव विद्युत (क) विभाग के पत्र संख्या 922 एच (1) 23—पी० ए , दिनांक 12 अप्रैल, 1971 ई० के क्रम पर, जो सदस्य, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु जब यथोचित कार्यवाही हेतु भेजा गया था तो इसके अनुसार अब तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई ? क्या मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 25 मार्च, 1971 ई० को नत्थी (स) के प्रश्न संख्या 10 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर काल में जैसा कि सदन में यह सूचना दी गई थी कि "अगर आप कोई ऐसी चीज बतायेंगे जिसमें नियमानुसार काम नहीं हुआ है तो जरूर इस बात

का प्रयत्न किया जायेगा कि वह काम हो" के क्रम पर क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उल्लिखित मामले में शासनादेश का पालन करने वाले अधिशासी अभियन्ता, हलद्वानी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मामले में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सर्वेक्षण कराया गया। पृथक-पृथक ग्रामों के विद्युतीकरण में अनुमानित लागत अधिक पड़ रहा है जिसके बारे में विचार किया जा रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके एक अलग योजना बनाने का निर्णय लिये जाने पर कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार किसी शासनादेश की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान घाटे के बजट को पूरा करने के लिए व्यय में मितव्ययिता

*4—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बजट में लगभग 50 करोड़ का जो घाटा बताया गया है उसमें कमी करने के लिये विभिन्न विभागों में खर्चे को कम करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? जिसके फलस्वरूप विभागों में किफायतशारी हो सके और रुपया बचाया जा सके ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अन्यान्य उपायों के अलावा व्यय में मितव्ययिता करके भी राज्य सरकार का घाटे को पूरा करने का विचार है। वर्तमान संकटकालीन स्थिति देखते हुये भी सरकार ने मितव्ययिता पर कुछ निर्णय लिए हैं, जैसे:—

1—मंत्रियों के वेतन से 10 प्रतिशत कटौती,
2—उप-मंत्रियों के वेतन से 5 प्रतिशत कटौती,
3—आयोजनेतर व्यय में मितव्ययिता,
4—डेकोरेशन पर व्यय कम करना,
5—नये प्रोजेक्ट्स में कमी,
6—आयोजनागत व्यय के कुछ मदों में कमी।

(श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी मूल प्रश्न का मूल उत्तर पढ़ रहे थे। उत्तर के मध्य में)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पान एक तरफ दबा हुआ है उसके कारण साफ नहीं समझ में आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा साफ बोलें।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी वर्तमान संकट को देखते हुये जो कुछ किफायतशारी अनाउंस किया है उसको बता रहे हैं। प्रश्न यह है कि 50 करोड़ का डेफिसिट है बजट में उस डेफिसिट को पूरा करने के लिये क्या योजना बनायी है, यह नहीं बता रहे ह। पचास करोड़ का जो डेफिसिट है वह कैसे पूरा किया जायगा, उस योजना को आप बताएं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, वह दिये गये हैं इसमें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

गाल में पान भरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है। थूक देंगे तो कुछ समझ में आये हमारे भेजे में। क्या मंत्री जी पान को थूक करके पढ़ेंगे ताकि हम समझ लें ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा हुआ है—"अन्यान्य उपायों के अलावा व्यय में मितव्ययिता करके भी राज्य सरकार का घाटे को पूरा करने का विचार है। वर्तमान संकटकालीन स्थिति देखते हुये"

श्री कृष्णानन्द राय—

संकटकालीन स्थिति के लिये नहीं पूछ रहे हैं। यह जो 50 करोड़ का बजट में घाटा हुआ है, माननीय असरार अहमद ने पूछा है कि वह घाटा कैसे पूरा करने जा रहे हैं। उस के बारे में उत्तर नहीं है। कहिए फिर से उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

"अन्यान्य उपायों के अलावा व्यय में मितव्ययिता करके भी राज्य सरकार का घाटे को पूरा करने का विचार है।"

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

नम्बर 1 और 2 बंगला देश के सम्बन्ध में है। योजना में कुछ नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

दोनों चीजें उन्होंने कही हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

नम्बर 1 और 2, यह तो बंगला देश में जायगा। इससे क्या मतलब ? मैंने कहा है कि योजना बनाएं, किस-किस में कितनी बचत होगी ? कुछ योजनाएं तो बताएं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जवाब नहीं पढ़ा गया। पूरा जवाब पढ़वा दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो प्रश्न में उत्तर मांगा गया है उसमें लिखा है "विभागों में किफायतशारी," किफायतशारी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर में संकटकालीन स्थिति का भी विवरण दिया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पूरा उत्तर तो हो जाय। पहली व दूसरी स्थिति संकटकालीन स्थिति से संबंधित है। तीन व चार जो हैं वे नान प्लान्ड एक्सपेंडीचर में कमी करने से सम्बन्धित है तथा डेफोरेशन पर व्यय में कमी हो। पांचवी नये प्रोजेक्टस में कमी पर विचार करना है। छठी प्लान्ड

आइटम्स पर कमी करने से संबंधित है। इसके लिये अलग-अलग विभागों से बातचीत चल रही है और उस पर निर्णय बाद में लिया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले आप प्रश्न पढ़ें। पहली दोनों कटौती तो बंगला देश से सम्बन्धित हैं। उनका बजट से क्या ताल्लुक है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि 1 और 2 का इससे सम्बन्ध नहीं है लेकिन 3, 4, 5 और 6 से तो है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

50 करोड़ घाटे का इनसे क्या सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष—

1 और 2 से तो नहीं है लेकिन शेष से है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

1 और 2 को फिर क्यों रखा गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अगर नहीं रखा जाता तो प्रश्न होता क्यों नहीं रखा गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो प्रश्न है उसका उत्तर तो दिया नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई हर्ज नहीं अगर उन्होंने सम्मिलित कर दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप, परसों की कार्यवाही उठा कर देख लें। माननीय मुख्य मंत्री से पूछा गया था कि वे बंगाल देश के शरणार्थियों को क्या मदद देंगे और उसके लिये केन्द्रीय सरकार से क्या हिदायतें हैं ? उन्होंने उस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया था, मंत्रियों की कटौती के सम्बन्ध में ठीक वही बात मंत्री जी रिपीट कर रहे हैं। बंगला देश की मदद के लिये कटौती से 50 करोड़ के घाटे से क्या सम्बन्ध है ? आप कहिये कि 50 करोड़ का घाटा पूरा करने के लिये टैक्स लगाने जा रहे हैं तब हम पूछेंगे कि क्या टैक्स लगाने जा रहे हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा मैंने कहा 3 से 6 तक यही बताया गया नान प्लान्ड तथा प्लान्ड एक्सपेंडीचर में क्या कमी हो सकती है उस पर विचार हो रहा है। मैंने एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते हुये भी कहा था 19 करोड़ रुपये का घाटा जो इस तरह से उपलब्धियां होंगी उनसे पूरा करेंगे और बाकी का जो घाटा है उसके लिये सदन के सामने प्रस्ताव आयेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

जो कटौतियां रखी गयी हैं वे बंगाल देश की कटौतियां हैं या कोई अन्य कटौतियां भी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पहली व दूसरी कटौती बंगला देश से सम्बन्धित है। बाकी चार कटौटियां घाटे से सम्बन्धित हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, 19 करोड़ का घाटा तो यह सरकार अपने सोर्स से पूरा करेगी और बाकी जो घाटा है उसके लिये मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव आयेंगे इसी सदन में। तो मैं जानना चाहता हूं कि टैक्सेस के अतिरिक्त और क्या प्रस्ताव आ सकते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सदन के सामने जो प्रस्ताव घाटे को पूरा करने के लिये हो सकते हैं वे प्रस्ताव आयेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप हमारी रक्षा करें। इन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव घाटे को पूरा करने के लिये हो सकते हैं, वे आयेंगे। श्रीमन्, मैंने तो यह पूछा था कि टैक्स के अतिरिक्त और क्या प्रस्ताव हो सकते हैं। इस पर आप हमारी रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आज तैयारी नहीं की है। आज आप यह जबरदस्ती उनसे कहलाना चाहते हैं कि आप टैक्स लगायें। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो तीन, चार, पांच छः कमी के प्वाइन्ट बताये हुये हैं उनमें किस रूप में कैसे कमी करेंगे। कुछ तो मालूम हो कि आप किस किस्म की कमी करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसमें कमी इस प्रकार होगी जैसे किसी सर्किट हाउस, इन्सपेक्शन हाऊसेज आदि को नये बनाना, उनके लिये फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने तथा उनमें सामान्य खर्चे में कमी करना, नये डिवीजन देरी से खोलना, जहां स्टाफ ज्यादे हैं और जितने स्टाफ से वहां का काम चल सके कम से कम स्टाफ से काम करना। इस किस्म से खर्चे में कमी हो जायेगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब ये योजनायें बनाई गई थीं और बजट में शामिल की गई थीं उस वक्त सरकार ने इन चीजों को कम करने का विचार क्यों नहीं किया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मितव्ययिता के जो प्रस्ताव हैं वे केवल इसी बजट के लिये शुरू नहीं किये गये हैं, बल्कि कंटिन्युयिंग प्लान के लिये भी ये प्रस्ताव हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैंने तो यह सवाल किया था कि जो बजट आपने बनाया वह घाटे का हो रहा था तो उसमें खर्चे को कम करने के लिये आपने उस वक्त ही विचार क्यों नहीं किया ? ये खर्चे तो उसी वक्त कट सकते थे, घाटे का बजट न आता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उस समय भी विचार किया गया। जो कोई योजना रखी गयी तो वह मितव्ययिता की दृष्टि से ही रखी गई। लेकिन इसकी परिभाषा है उनका अन्त नहीं हो सकता है और जितनी मितव्ययिता की आवश्यकता होती है कभी-कभी योजनाओं स्थगित करनी पड़ती हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 19 करोड़ के घाटे के अलावा जो 21 करोड़ का घाटा आप कहते हैं कि फर्नीचर आदि में कटौती करने से पूरा हो जायेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे पूरा हो जायेगा ? और इनको पूरा करने के लिये क्या आपकी नये टैक्स लगाने की योजना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा कि मैंने पहले भी एप्रोप्रियेशन बिल में यह कहा था कि, चौथी योजना में घाटे की परिस्थिति में प्रदेश की जनता को और इस सदन को अतिरिक्त भार उठाने के लिये तैयार रहना होगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मैं सदन के सामने यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो यहां पर गरीबी बढ़ती गई और दूसरी तरफ हमारे सामने बंगला देश की समस्या आ गई। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुये प्रदेश की आय की 15 सौ रुपया तक की सीमा बांधने पर विचार करेंगे, जैसे कि प्रधान मंत्री का एक माह का खर्च 40 हजार रुपया है तो उसमें कमी करने के लिये यह सरकार लिखेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित सदस्य को मैं यह बता दूं कि पहले तो प्रधान मंत्री का इतना खर्च नहीं है और दूसरे केन्द्रीय सरकार क्या खर्च करे क्या न करे यह इस सदन के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मितव्ययिता की जो चार मदें उन्होंने अपने उत्तर में दी हैं उनके जरिये कितनी मितव्ययिता का वे अनुमान करते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। विभागों से बातचीत करके ही सही कहा जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तथा 25-8-71 का स्थगित तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर, सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक विधायक का ठेकेदार होना

*1—श्री अमरनाथ दूबे (जिला वाराणसी), श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी) तथा श्री कृष्णानन्द राय—

क्या न्याय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शाहजहांपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग में वहां से एक विधायक को भी बाजाब्ता ठेकेदार बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार (पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट) के खिलाफवर्जी पर चुनाव आयोग को लिख कर वह स्थान रिक्त घोषित कराने की कृपा करेगी ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर के किसी खन्ड या उप खन्ड में कोई विधायक सूची बद्ध नहीं है। आगे प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि ऐसा प्रश्न कभी उठे तो इसका निर्णय राज्यपाल महोदय के द्वारा ही होना है और श्री राज्यपाल महोदय यह निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय लेंगे और उस राय के अनुसार ही अपना निर्णय देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री राममूर्ति अन्चल ने पी० डब्लू० डी० में ईंटों की सप्लाई की है और उसके बदले में विभाग द्वारा उसका भुगतान किया गया है तो कब किया गया है और कितने ईटों के लिये किया गया ? और किस आदेश के द्वारा किया गया ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्री राममूर्ति अंचल ने अस्थायी खन्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर में टी० पी० डब्यू० ए० नं 3/ए दिनांक 10-2-71 द्वारा ईंटों की सप्लाई की गई। उसके अनुबंध की लागत 12 हजार रुपये थी। उसमें 2 लाख ईटों को सप्लाई करने का प्राविधान था। इसके अतिरिक्त ठेकेदार ने 1 लाख 18 हजार ईटों को जिसका मूल्य 7 हजार 80 रु० है, पूर्ति कर दी है। इस अनुबन्ध कार्य को आरम्भ करने की तिथि 10-2-71 और समाप्त करने

की तिथि 9–3–71 थी। 7 हजार 80 रु० का भुगतान वाउचर संख्या 21 दिनांक 10–3–71 द्वारा किया गया है।

श्री धर्मबीर—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जिले में इस प्रकार का कोई विधायक ठेकेदार की अनुसूचक में नहीं है तो क्या इतने ईटों को सप्लाई करने के बावजूद क्या वे ठेकेदार की लिस्ट में नहीं आते ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे स्वयं मंत्री रह चुके हैं। ठेकेदार के इनलिस्ट होने का नियम यह है कि या तो उसको एक लाख रुपये से अधिक का काम करना होता है अथवा 51 रुपया उसकी फीस दे दे तभी वह इन्लिस्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब भी कोई कान्ट्रैक्ट की नौबत आती है तो टेन्डर उसके पास से आते हैं और आर्डर पर सप्लाई होते हैं।

(व्यवधान)

हां, अगर कोई मंत्री कपड़े का दुकानदार हो और उसकी दूकान से कपड़ा खरीदते हैं या सरकारी कर्मचारी है तो यह नहीं समझा जायगा कि उसने कांट्रेक्ट किया और उसके लिये उसको एनलिस्ट होने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो ईटों की सप्लाई हुई वह विभाग से किसी एग्रीमेंट के जरिये से हुई? अगर विभाग ने कोई एग्रीमेंट किया तो वह किस तारीख को किया और किस किस व्यक्ति के बीच में हुआ ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि एग्रीमेंट नहीं, आर्डर के तहत में हुआ और आर्डर किसी इंजीनियर ने दिया था।

श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ठेकेदार एनलिस्ट नहीं होते हैं क्या उनको भी आर्डर दिया जा सकता है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसमें आर्डर का सवाल तभी ही खड़ा होता है जब ठेकेदार एनलिस्ट नहीं होता है। अगर एनलिस्टेड है तो टेंडर देना होता है। जब वैसे जरूरत होती है तो आर्डर पर काम कराया जा सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर देने के पश्चात् ही यह निश्चय हुआ कि वह बाजाब्ता ठेकेदार नहीं थे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह बात तय हो गयी कि वह एनलिस्ट ठेकेदार नहीं थे।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं पूछना चाहता हूं कि वर्क-आर्डर जब होता है जब कोई एनलिस्टेड ठेकेदार नहीं होता, तो क्या आर्डर की कंडीशंस को पूरा किया गया था? जब कि इंजीनियर ने उनको दिया जिसकी परिभाषा पी० डब्लू० डी० मैनुअल के अनुसार इस प्रकार है—

This agreement is entered between the contractor and the department for the engineering work in a short period. If the contractor does not complete the work in time agreed, fine is unposed.

यही दोनों पार्टियों के बीच में इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसका प्रश्न तब खड़ा होता है जब आर्डर का फुलफिलमेंट न हो । तो जो भी आर्डर किया गया था वह उन्होंने सप्लाई कर दिया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब वर्क आर्डर से काम कराया जाता है तब भी पी०डब्लू० डी० मैनुअल के अन्तर्गत एग्रीमेंट होता है, क्या यह सही नहीं है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

वर्क आर्डर का मतलब यह हुआ कि उन्हें कोई जरूरत पड़ गयी तो आर्डर दे दिया और एनलिस्ट जो किया जाता है उसके माने यह है कि वह रेगुलर सप्लायर है गवर्नमेंट का और फीस देकर उसने अपने को एनलिस्ट कराया है । यों साधारण तौर पर जब किसी चीज की जरूरत होती है तो टेंडर होता है और टेंडर के बाद कानून के मुताबिक उसको आर्डर दिया जाता है। मान लीजिये कोई ऐसी जरूरत होती है, काम हो रहा हो, एनलिस्टेड न मिल रहा हो तो जाकर एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने या किसी सरकारी मुहकमें ने कहा कि ईंट नहीं मिल रही है, इतनी सप्लाई कर दो और उसने कर दिया तो इसके माने यह नहीं होते हैं कि वह कांट्रैक्टर हो गया ।

श्री कृष्णनन्द राय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक तो रेगुलर कांट्रैक्टर की लिस्ट होती है जिसको एनलिस्टेड कांट्रैक्टर कहते हैं, जो विभागों में होती है जिसके अनुसार कांट्रैक्ट दिया जाता है । क्या यह सही है कि विशिष्ट कार्यों के लिये या टैम्पोरेरी कांट्रैक्ट्स में भी कुछ आदमियों से पैक्ट किया जाता है कि वह इतने दिनों में आर्डर पूरा कर दें? और बाकायदा उसका एग्रीमेंट होता है कि अगर वह व्यक्ति इस कार्य को पूरा न करे समय से तो वह लायबिलिटी हो जाता है जिस पर गवर्नमेंट प्रोसीड करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो एक ऐसा प्रश्न उठाया है जो इंटरप्रिटेशन का है । इस प्रकार से आर्डर दे दिया किसी खास काम के लिये, हमारा कोई काम तेजी से चल रहा है लेकिन सीमेंट नहीं मिल रहा है । तो सीमेंट का ठेकेदार है लेकिन नहीं मिल रहा है और आपके पास है तो दे दीजिये आपको वर्क आर्डर दे दिया और आपने सीमेंट सप्लाई कर दिया और उसकी कीमत आपको मिल गई । एक दुकान खुली हुई उससे खरीद कर ली तो आपका यह कहना कि वह ठेकेदार हो गया क्योंकि किसी समय किसी काम के लिये उनसे कुछ सामान खरीदा गया । लेकिन हमारे यहां कानून में नहीं हुआ जब तक वह हमारे यहां एनलिस्ट नहीं है । यह इंटरप्रिटीशन का सवाल है ।

श्री धर्म वीर—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे पूर्व माननीय रामर्मूति अंचल ने इससे पूर्व विभाग को ईंटें सप्लाई की या नहीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आप जो प्रपोजल मान कर चलें कि किसी काम के बीच में किसी चीज की कमी पड़ जाने पर आपने वह चीज उनसे मंगा ली तो वह कौन ठेकेदार था जो ईंटें सप्लाई कर रहा था ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री रामधारी शास्त्री जिला देवरिया—

वह कौन सी परिस्थिति थी जो वर्क आर्डर से इतनी लम्बी ईटें खरीदनी पड़ीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी, रैगुलर कंट्रैक्टर सप्लाई नहीं कर सका और काम को आगे चलाना था इस लिये ईटें खरीदी गईं ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, इसके लिये समय निर्धारित होता है कि इतने समय में सप्लाई करेगा । इसके लिये तीन फार्म होते हैं । यह तथ्य से परे है कि कोई एग्रीमेंट नहीं कराया जाता है । इसके लिये सीमा बांधी जाती है कि इतने दिनों में सप्लाई करे । वैसे ही जुरमाना भी होता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न पूछा था । आपने इजाजत नहीं दी तो क्या दूसरा प्रश्न पूछने नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सब मिला कर सात प्रश्न पूछे जाते हैं । यह जरूरी नहीं है कि हर एक का नम्बर आ जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय—

वर्क आर्डर पर कोई सप्लाई न करे तो आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

नहीं बताया । अगर वर्क आर्डर के मुताबिक सप्लाई नहीं करेगा तो विभाग उसके विपरीत क्या कार्यवाही करेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कैसे करेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनसे कहलवाइये । आप मिनिस्टर की हैसियत से जवाब न दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

[अब हम आगे बढ़ गये । उनसे क्यों कहलवाऊं] ? यह कोई जरूरी बात नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो बहुत जरूरी सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार काफी प्रश्न हो चुके हैं। और जरूरत नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय आप प्रश्न नहीं करने देते हैं, मैं नियम 52 के अन्तर्गत नोटिस देता हूं। इस पर विवाद कराया जाय।

आप प्रश्न न करने देने से अपने उस आसन से कार्यक्रम को गड़बड़ करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर 10–12 प्रश्न हो चुके हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? वे क्यों नहीं बताते कि पी० डब्लू० डी० में वर्क आर्डर की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो आपने स्वयं ही पढ़ कर सुनायी।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप उनसे तो कहलवाइये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

परिभाषा बताने के लिये तो कानून को देखना पड़ेगा। उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। परिभाषा हम देख कर बता देंगे। इसमें कोई तो वर्क आर्डर होता है और कोई सप्लाई आर्डर होता है। यह भी देखना होगा कि वर्क आर्डर और सप्लाई आर्डर की परिभाषा में कोई भेद है या नहीं है। इलेक्शन के दिनों में जिस प्रकार से कलेक्टर के आर्डर निकल जाते हैं जिन लोगों के पास भी ट्रक्स हैं उनको हम रिक्विजीशन करते हैं, हमारे पास भेज दी जायं, उनका पेमेन्ट तुरन्त कर दिया जायगा। यह वर्क आर्डर तो हुआ नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर कोई ट्रक नहीं भेजता तो उसका परमिट कैंसिल कर दिया जाता है, उसको सजा भी दी जाती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस सवाल में कोई बड़े आवेश में आने की आवश्यकता तो है नहीं। जैसा मैंने निवेदन किया, यह इन्टरप्रिटेशन का सवाल है कि वर्क आर्डर या सप्लाई आर्डर की क्या परिभाषा है और उसका क्या मतलब है। कानून में जो भी परिभाषा लिखी है वह सदन से छिपायी तो नहीं जा सकती इस प्रश्न में यह सूचना थी कि वह लिस्टेड कान्ट्रेक्टर हैं या नहीं। फिर यह पूछा गया कि कोई एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? अब वर्क आर्डर में एग्रीमेंट होता या नहीं होता, हुआ या नहीं हुआ, अथवा खाली आर्डर सप्लाई करने को कह दिया गया था। परमानेन्ट जो एग्रीमेन्ट होता है और जो वर्कआर्डर होता है, उस सब की परिभाषा देख कर बता दी जायगी। अब जहां तक उसकी व्याख्या का सवाल है वह तो सब अपने मन के अनुसार कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या वे इसमें अन्तर नहीं समझते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, मैंने कृष्णानन्द राय जी से कहा है कि आप प्रश्न पूछिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुख्य मंत्री जी से हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं क्योंकि इनके वक्तव्य से एक भ्रम पैदा हो गया है कि वर्क आर्डर जो एक विभाग द्वारा दिया जाता है और एक दुकान से खरीदना एक ही तरह की चीज ये समझते हैं। किसी दुकान से अगर कपड़ा खरीद लिया तो उसके लिये कोई ऐग्रीमेंट नहीं होता है। वह तो जितना पैसा दिया जायगा उतना सामान वह दे देगा, लेकिन विभाग जब कोई वर्क आर्डर देता है और वह उसे स्वीकार करता है तो वह एक तरह का टेम्पोरेरी ऐग्रीमेंट होता है और उतने दिन के अन्दर अगर वह सप्लाई नहीं करता तो गवर्नमेंट को एक पावर होती है कि उस पर मुकदमा चला कर उससे पैनाल्टी वसूल कर सके। तो मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करें कि किसी दुकान से कोई चीज खरीदने में, जोकि बिल्कुल एक फ्री व्यवसाय है, उसमें और जो विभागों द्वारा वर्क आर्डर दिये जाते हैं, जिसमें एक लायबिलिटी होती है, उसमें कोई अन्तर वह समझते हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उसी की मैं सफाई कर रहा था कि कानून के मुताबिक वह आदमी जो कि एक रेगुलर कंट्रैक्टर है उसके ऊपर आपत्ति उठ जाती है अगर वह विधान सभा का सदस्य हो। यह कास्टीट्यूशन में है। अब एक आदमी ऐसा है जो कंट्रैक्टर नहीं है, एनालिस्टेड भी नहीं है, बराबर सप्लाई भी नहीं करता है और किसी समय इमर्जेन्सी में या सामान न मिल रहा हो तब उसको एक आर्डर दे दिया गया कि तुम 2 लाख ईंट सप्लाई कर दो जो कीमत तय हो गयी उसके ऊपर तो यह ऐग्रीमेन्ट हो गया और इससे वह एनलिस्टेड कंट्रैक्टर हो गया और उसमें वह आपत्ति लग जाती है या नहीं, इस सवाल को मैंने कहा कि यह तो कानूनी इंटरप्रेटेशन की बात है। मैं समझता हूं कि नहीं लगती है और आप समझते हैं कि अगर एक बार आकस्मिक ढंग से भी किसी से सामान ले लिया और उसने सप्लाई कर दिया तो वह कंट्रैक्टर की श्रेणी में आ गया। मैं समझता हूं कि यह इंटरप्रेटेशन सही नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

चर्चा करा दीजिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी यह कहा कि वर्क आर्डर में कोई ऐग्रीमेंट नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह उचित और सही नहीं है और उनकी जानकारी में यह बताना चाहता हूं कि वह सिंचाई मन्त्री भी रहे और सिंचाई विभाग में और पी० डब्लू० डी० में 5 हजार रुपये तक का अगर कंट्रैक्ट होता है तो वह वर्क आर्डर पर दिया जाता है और उससे ऊपर के काम के लिये टेन्डर काल किये जाते हैं। तो जब 5 हजार रुपये तक का वर्क आर्डर भी एक कंट्रैक्ट होता है जो कि इंजीनियर अपनी इच्छा से देता है तो जो वर्क आर्डर दिया गया वह कंट्रैक्ट हुआ और उसका एक ऐग्रीमेंट लिखाया गया और एक भी केस ऐसा नहीं मिल सकता जिसका ऐग्रीमेंट न लिखाया जाता हो। इसलिये मैं यह व्यवस्था का प्रश्न आपके जरिये से उठाना चाहता हूं, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था नहीं, आप जवाब दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि न तो यह व्यवस्था का प्रश्न है और न सदन को इस पर व्यवस्था देने का कोई अधिकार है। सवाल केवल यह है कि एक वर्क आर्डर उसको मिला कि तुम इस चीज को सप्लाई कर दो और उस आदमी ने उसको मंजूर कर लिया कि अच्छी बात है, हमारे पास ईंटें हैं, दो लाख ईंटें हम एक माह के अन्दर सप्लाई कर देंगे। उसके केवल इस कार्य से अगर हम उसको उस कंट्रैक्टर की श्रेणी में लेते हैं जिस प्रकार का कंट्रैक्टर बन जाने के बाद यह आपत्ति उठती है तो इसके लिये संविधान में धारायें मौजूद हैं। अगर इस इंटरप्रेटेशन से सदस्य संतुष्ट न हों तो वह उस को ग्रहण कर लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

प्रश्न यह था कि वर्क आर्डर दिया गया या नहीं और एग्रीमेंट हुआ या नहीं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

श्रीमन्, इस पर आप कृपा कर के चर्चा दे दें।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं उनको बताना चाहता हूं कि वर्क आर्डर उन के मैनुअल के अन्तर्गत एक कान्ट्रैक्ट है और संविधान की धारा 102 के 1 (ई०) के अन्तर्गत लिखा है कि "If he has any share or interest in a Government contract for the supply of goods or for the execution of any work or for the purpose of any service".

श्री अध्यक्ष--

यह सदन को तय नहीं करना है....

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न तो यहां यह है कि जब वर्कआर्डर हुआ और एक ऐग्रीमेंट हुआ तो इस आर्टिकिल के अनुसार माननीय सदस्य डिसक्वालिफाई हो गये।

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में तो उन्होंने कह दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, यह बड़े महत्व का प्रश्न है। सारी दुनिया देखती है कि कोई सम्मानित सदस्य अपने पद का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो चूंकि उसका सरकार में स्थान होता है और वह उस पर प्रभाव डाल सकता है इसलिये नियम के अनुसार वह कोई कान्ट्रेक्ट नहीं ले सकता और वह डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है अगर कोई ऐसा करता है। यह मामला इस में विचाराधीन है। इस क्वेश्चन को आप थ्रेश-आउट करें तो झगड़ा सारा कान्ट्रेक्ट के बारे में है। सवाल यह है कि कान्ट्रेक्ट हुआ या नहीं हुआ, एक पक्ष ने आफर किया और दूसरे ने मंजूर किया और तुरन्त मंजूर हुआ, वह लिखित हुआ या अलिखित हुआ लेकिन कान्ट्रेक्ट हुआ। जब कान्ट्रेक्ट हुआ तो पेनल क्लाज का मामला यह हुआ या नहीं, वह डिसक्वालिफिकेशन की बात है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की मंडी समितियों में नमी मापक यन्त्र

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की मन्डी समितियों में नमी मापक यन्त्र लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के भी आदेश दिये हैं कि नमी वाले गेहूं को किस भाव पर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

कृषि विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की किसी मण्डी समिति में अभी नमी मापक यंत्र नहीं लगे हैं परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने, जिनके द्वारा प्रदेश में गेहूं की खरीदारी की जा रही है, लगभग सभी खरीदारी केन्द्रों पर नमी मापक यंत्रों का प्रबन्ध कर दिया है।

नमी वाले गेहूं के लिये भारत सरकार द्वारा यह आदेश है कि 12 प्रतिशत नमी तक वाले गेहूं में जिस ग्रेड का गेहूं है उसको पूरे मूल्य पर खरीदा जायगा। 12 प्रतिशत से अधिक परन्तु 14 प्रतिशत के भीतर नमी होने पर गेहूं कटौती के साथ खरीदा जायगा। कटौती 12 प्रतिशत से जितनी प्रतिशत अधिक नमी होगी उसके अनुसार पूरे मूल्य पर एक निर्धारित मात्रा के अनुसार की जायगी। 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाले गेहूं को स्वीकार नहीं किया जायगा क्योंकि स्टोर करने में ऐसा गेहूं खराब हो जाता है।

श्री त्रिलोक चन्द---

मैं पूछना चाहता हूं कि यह 12 प्रतिशत नमी की जो कटौती रखी है कि वह होगी तो पूरा लिया जायगा तो उसका आधार क्या है ? 12 प्रतिशत नमी वाला पूरे रेट पर लिया जायगा और साढ़े 12, 13, साढ़े 13, 14 प्रतिशत नमी होगी तो उस का आधार क्या होगा ?

श्री बेनी सिंह---

पहले ऐसा था कि किसी खास प्रतिशत पर नमी होती थी तभी खरीदते थे लेकिन अब के भीग गया है इसलिये इस प्रतिशत को बढ़ा कर 12 कर दिया है, वैसे 11-12 तक खरीदते थे, अब 2 प्रतिशत तक और बढ़ा दिया है।

श्री त्रिलोक चन्द---

12 से 14 प्रतिशत तक की नमी वाले गेहूं का क्या भाव रखा है ?

श्री बेनी सिंह---

सफेद गेहूं एफ ए० क्यू० 76 रुपया और अगर उस में 13 प्रतिशत नमी होगी तो 76 पैसे कम हो जायंगे।

अगर 13.5 प्रतिशत नमी हो जायगी तो 1.14 और यदि 14 प्रतिशत नमी होगी तो 1.52 कटौती होगी। एक ग्रेड नीचे जिसका भाव 75 रुपये है उस पर 13 प्रतिशत नमी पर 75 पैसे, 13.5 प्रतिशत नमी पर, 1.12 1/2 और 14 प्रतिशत नमी होगी तो 1.50 रुपये की कटौती की दर होगी। दो ग्रेड नीचे के गेहूं जिसका भाव 74 रुपये है, 13 प्रतिशत नमी पर 74 पैसे, 13.5 प्रतिशत नमी पर 1 रुपया 11 पैसे और 14 प्रतिशत पर 1 रुपया 48 पैसे। तीन ग्रेड नीचे जिसका भाव 72 रुपये है, 13 प्रतिशत नमी पर 72 पैसे, 13.5 प्रतिशत पर 1 रुपया 8 पैसे और 14 प्रतिशत नमी पर 1 रुपया 44 पैसे की कटौती की दर है।

श्री बांकेलाल---

क्या मंत्री जी ने ये भाव इसलिये निर्धारित किये हैं कि बनिये लोग किसानों को लूट लें ?

श्री बेनी सिंह---

कभी-कभी अगर नेता लोग भी चाहें तो वे भी लूट सकते हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द---

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में बताया कि किस ग्रेड के गेहूं किस भाव में लिये जायेंगे लेकिन उनकी प्रतिलिपि उन्होंने मुझे नहीं दी । मेरा निश्चित प्रश्न था कि नमी वाले गेहूं किस भाव पर लिया जायेगा । तो इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष---

जो उन्होंने ब्योरा सुनाया है, उसकी एक कापी आपको मिल जायेगी ।

श्री त्रिलोक चन्द---

श्रीमन्, वह तो पहले ही मिल जानी चाहिये थी ?

श्री अध्यक्ष---

वह आपने नहीं मांगी ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि जो 14 प्रतिशत नमी से अधिक होंगे उन्हें नहीं लिया जायगा । किसानों को इस हाल की बाढ़ से बहुत हानि हुयी है तो क्या माननीय मंत्री जी उस गेहूं की भी खरीदे जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे जो 14 प्रतिशत की नमी से अधिक हैं ?

श्री बेनी सिंह---

गेहूं की खरीदारी एफ० सी० आई० से होती है । ये जो गल्ला खरीदते हैं, स्टोर करके साल दो साल तक, जब तक यह चलता है सारे देश में वितरित होता है । अगर 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाला गेहूं खरीदा गया तो उसमें घुन लग जायगा और सड़ जायगा । इसलिये एफ० सी० आई० का 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाले गेहूं के खरीदने का इरादा नहीं है । यह एक कमर्शियल बाडी है, जो खरीदती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

ड्राई संयन्त्र या सुखाने के संयंत्र गल्ले के लिये जो अबकी बार भीग गया है, राष्ट्रीय हित में भी है और किसानों और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, बड़ी मंडियों में स्थापित कराने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बेनी सिंह---

अभी तक तो विचार नहीं हुआ है । अब आपने कहा है, अगर हो सकेगा तो जरूर करेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एफ० सी० आई० के कर्मचारियों द्वारा कि कितनी मात्रा में गेहू में नमी है, किस प्रकार नापा जायगा ?

श्री बेनी सिंह--

मैंने बताया कि एफ० सी० आई० के डायरेक्ट परचेजिंग सैन्टर्स हैं, उनमें ये संयन्त्र लगा दिये गये हैं। बाकी स्थानों पर अपनी अक्ल और अनुभव के आधार पर ही अन्दाजा लगाया जाता है।

श्री चन्द्र भान शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एफ० सी० आई० के जिले में जो परचेजिंग सेन्टर्स हैं उनमें वे 14 या 14 परसेन्ट नमी को नापेंगे तो अगर क्वालिटी की तरह 76 की जगह 75 बताते हैं तो अगर उसी प्रकार से 12 प्रतिशत नमी वाले को 14 प्रतिशत बताकर नहीं खरीदेंगे तो उसकी रोकथाम के लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे और क्या आप वहां पर अपना स्टाफ भी नियुक्त करेंगे ताकि काश्तकार घाटे से बच सके ?

श्री बेनी सिंह--

ऐसी जगहे जहां शिकायतें आई हैं हमने स्टाफ रक्खा है और उसके रोकथाम की कोशिश वह कर रहा है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई विशेष शिकायत हो तो उसका इन्तजाम करा देंगे।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इन्सपेक्टर ये निर्धारित करते हैं कि इतना परसेन्ट पानी है और उसे अपने मुंह में डालकर बताते हैं, 14 या 14 परसेन्ट है। यही अनुभव जो बताया है वे किस तरह बताते हैं कि कितना परसेन्ट म्वाइश्चर है ?

श्री बेनी सिंह--

वह विज्वल होता है उसको आंख से भी देखते हैं। मुंह में भी डालकर देखते हैं कि कैसी आवाज आती है। इसको मैंने भी किया है। मुंह में डालकर देखा और अगर कड़ी आवाज आई तो कम है और अगर पिच से या हिच से आवाज बोली तो भी समझ लिया जाता है।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, मंत्री जी के मुंह में तो दांत ही नहीं है, मुंह में डालकर क्या देखा होगा ?

(सदन में हंसी)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

जिन जिलों में कृषि मंडियां नहीं हैं वहां के कोआपरेटिव सीड स्टोर पर और एग्रीकल्चर के सीड स्टोर पर भी खरीद होती है वहां कोई भी यन्त्र नहीं है, जिसके द्वारा जाना जा सके कि इतना भीगा है गेहूं। तो उनके सम्बन्ध में आप क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री बेनीसिंह--

यह तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि सब जगह नमी नापने के लिये यन्त्र नहीं हैं, सिवाय आंख का और अपने अनुभव का ही सहारा है जिससे देख सकें। इससें गल्ती भी हो सकती है। नमी नापने का जो एफ० सी० आई० ने इन्तजाम किया है, हमारे यहां और भी मंडियां हैं। हम इन्तजाम करेंगे कि उनमें भी नाप जोख हो सके।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मंत्री जी ने कहा कि आंख और मुंह का ही यन्त्र है हमारे पास जिससे कि नमी नापी जा सके। ऐसी संभावना है कि इसमें अक्ल भाग जाय। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि आज तक इनको कोई गलती प्राप्त हुई कि कम नापा गया और कम दाम दिया गया ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, दो घंटे की बहस हुई थी और उसमें हमने यह बताया था कि इतने आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की है। उसमें यह भी कहा था कि कितने केसेज हैं। तो यह तो मुश्किल होगा। सूचना दें तो नम्बर भी बता देंगे ?

सुल्तानपुर के भट्ठा व्यापारियों को कोयले का वितरण

*2—श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970–71 में सुल्तानपुर जनपद के भठ्ठा व्यापारियों को वितरण करने हेतु सरकार ने कोल-ट्रेडिंग कम्पनी चेत गंज, वाराणसी को एक रेक कोयला इस शर्त पर दिया था कि वह जिलाधीश सुल्तानपुर की अनुमति से कोयले का वितरण करें यदि हां, तो उक्त कम्पनी को किस आधार पर और किसकी सिफारिश पर कोयला दिया गया और क्या यह सही है कि उक्त कंपनी ने कोयले को काले बाजार में बेंच दिया जिसके कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। जिलाधिकारी, सुल्तानपुर की संस्तुति पर दिया गया था क्योंकि मेसर्स कोल ट्रेडिंग कम्पनी, सुल्तानपुर के नामांकित कोल एजेन्ट थे। उन्होंने कोयले को 40 रु० प्रति टन के हिसाब से बेचा जब कि उचित मूल्य 37 रु० प्रति टन था। उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया और 500 रु० जो जमानत की धनराशि थी वह जब्त कर ली गई।

श्री शिवकुमार पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14–12–70 को जिलाधीश सुल्तानपुर ने जिस कोल ऐजेन्ट को पचास-पचास वैगन्स देने की अनुशंसा की थी और 21–12–70 को हरभजन सिंह के प्रार्थना-पत्र पर कोल ट्रेडिंग कम्पनी चेतगंज, वाराणसी को दो रेक कोयला देने की सिफारिश की थी। तो हरभजन सिंह का एक और कोल ट्रेडिंग कम्पनी से क्या सम्बन्ध था जिसकी दरख्वास्त पर दो रेक कोल की सिफारिश की ?

श्री बेनी सिंह—

यह बात सही है कि जिलाधीश ने 14 दिसम्बर, 1970 को छः कोल एजेन्टों को पचास-पचास वैगन्स के लिये स्पांसर किया। चिट्ठी लिखी थी और 28–12–70 को उन्होंने प्रतापगढ़ ले जाने के लिये कोल ट्रेडिंग एजेन्ट जो था उनके नाम की संस्तुति की थी उसको लेने के लिए उनकी ओर से कोई हरभजन सिंह आये थे, उन्हीं को परमिट दे दिया गया था।

श्री शिव कुमार पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरभजन सिंह का उस कोल कम्पनी से क्या सम्बन्ध था, जिससे प्रभावित होकर हरभजन सिंह की दरख्वास्त पर एक रेक देने की सिफारिश की ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, यह तो जानकारी मुझे नहीं है कि हरभजन सिंह का और उस कम्पनी का क्या ताल्लुक है। यह तो शिवकुमार जी को अधिक मालूम होगा। लेकिन यह सही है कि दरख्वास्त उस कोक कम्पनी के नाम से थी और उसको लेकर हरभजन सिंह गये थे।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुमायूं मंडल के जिलों में सेल्स टैक्स की वसूली

*3—श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बतायेगी कि कुमायूं मंडल (अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़) में विगत 4 वर्षों से सेल्स टैक्स का कुल कितना रुपया किन-किन व्यक्तियों से 1 लाख रुपये से अधिक वसूलना शेष है? और इसका क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पिछले चार वर्षों में इन तीनों जिलों में से केवल एक फर्म, सर्वश्री श्याम सुन्दर गरीबदास, देशी शराब के ठेकेदार, काशीपुर, जिला नैनीताल के ऊपर 1,27,000 रुपये का बिक्री-कर बकाया है जो वर्ष 1969–70 से संबंधित है। इसकी वसूली के लिये प्रमाण-पत्र जिला अधिकारी नैनीताल को जारी कर दिया गया है।

[30 अगस्त, 1971 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–2—श्री नौनिहाल सिंह—[24–8–71 को प्रश्न संख्या 8–9 के अन्तर्गत उत्तरित]

प्रदेश के निजी नलकूपों तथा पम्पिग सेटों का विद्युतीकरण

*3—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी नलकूपों तथा पम्पिग सेटों के विद्युतीकरण का वार्षिक लक्ष्य 20 हजार से बढ़ा कर 50 हजार कर दिया है। क्या इसी सन्दर्भ में सरकार यह भी बतायेगी कि बढ़े हुये लक्ष्य के प्रकाश में जिला अलीगढ़ के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितनी निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। राज्य विद्युत परिषद् ने निजी नलकूप/पम्पसेटों के विद्युतीकरण का वर्ष 1971–72 का लक्ष्य 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। इसमें से 20,000 का सामान्य कार्यक्रम में तथा 30,000 का जमा तथा कमर्शियल योजना में विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

इस बढ़े हुए लक्ष्य के अनुसार जिला अलीगढ़ में इस वर्ष 1,600 निजी नलकूप/पम्प सेटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। इसमें से 800 नलकूपों का सामान्य कायक्रम में तथा शेष 800 नलकूपों का जमा तथा कामर्शियल योजना में विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत् विभाग के पुत्र का विभिन्न फर्मों में साझा

*4—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार जांच करवा कर यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या (1) ए० के० अग्रवाल एण्ड कम्पनी रेलवेगंज, हरदोई, (2) अग्रवाल एण्ड कम्पनी, रेलवेगंज हरदोई, (3) सोनिया ट्रेड्स हरदोई, (4) गर्ग इलेक्ट्रिक एण्ड पेल्ट्स कम्पनी, 90 ठाकुरगंज, लखनऊ, उपरोक्त चारों फर्म एक ही व्यक्ति की हैं जो भिन्न नामों से काम करता है तथा इसमें श्री हरीपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत् मण्डल, गोरखपुर के पुत्र का साझा है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*5--श्री राम गोपाल सण्ड--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मुरादाबाद में विद्युत् विभाग के राजपत्रित अधिकारी

*6--श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्किल मुरादाबाद में कुल कितने राजपत्रित विद्युत विभाग के अधिकारी हैं जिनको मुरादाबाद में 3 वर्ष से अधिक हो गये हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके स्थानान्तरण किये गये परन्तु बाद में रद्द कर दिये गये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

औद्योगिक उपभोग पर विद्युत् शुल्क में बढ़ोत्तरी

*7--श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन पर कब से कर लगाने का आदेश जारी किया गया है तथा उससे प्रति वर्ष कितनी अनुमानित आय सरकार को प्राप्त होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रदेश में 1 सितम्बर, 1970 से औद्योगिक उपभोग पर 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क लगाया गया है । शेष सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रेणुसागर पावर कम्पनी, मिर्जापुर द्वारा विद्युत् उत्पादन कर का भुगतान

*8--श्री राम प्यारे--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि रेणुसागर पावर कम्पनी, मिर्जापुर ने माह मई एवं जून 1971 का विद्युत उत्पादन कर का भुगतान कर दिया ? यदि हां, तो दोनों माह के उक्त कर कर की धनराशि क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर जिले में राशन की दूकानों पर सड़े चावल का वितरण

*9--श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में राशन की दूकानों पर सड़ा चावल बांटा जा रहा है और 16 जून को स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य खाद्य मंत्री के सामने सड़े हुए चावल का नमूना भी प्रस्तुत किया गया था । सरकार द्वारा उक्त चावल के संबंध में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बेनी सिंह--

जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना से मालूम हुआ है कि जिले की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में सड़ा चावल नहीं बल्कि धूमिल रंग का चावल बांटा गया था, ऐसा रंग चावल पर कम

पालिश होने के कारण था । 16 जून, को स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य खाद्य मंत्री के समक्ष जिस चावल का नमूना प्रस्तुत किया गया था वह 1969–70 फसल का प्रतीत होता था और कम पालिश का था जैसा कि पहले बताया गया है ।

प्रश्नगत चावल के क्रय से संबंधित अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के कार्यवाही की जा रही है ।

भारी गाड़ियों के टायर ट्यूबों की अन्य जिलों में बिक्री

*10—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री को यह ज्ञात है कि भारी गाड़ियों के टायर और ट्यूब, जिनको कम्पनी जिलावार कोटे के अनुसार सप्लाई करती है ब्लैक मार्केट में दूसरे जिलों में बेंचे जाते हैं ?

श्री बेनी सिंह—

ऐसा कोई ज्ञान शासन को नहीं है ।

*11—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार इस बात की विशेष इनक्वायरी कराने की कृपा करेगी कि यह ब्लैक मार्केटिंग की प्रथा (टायर और ट्यूबों की) विशेष तौर से गोरखपुर, बरेली, और मुरादाबाद में व्यापक रूप से है ?

श्री बेनी सिंह—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

मुजफ्फरनगर जिले में आबकारी सम्बन्धी नीलाम

*12—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या आबकारी मंत्री कृपया जांच कराकर बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर में नियमों के अनुसार 1971–72 के लिये नीलामी नहीं कराई गई तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मुजफ्फरनगर में नियमों के अनुसार ही वर्ष 1971–72 के आबकारी के नीलाम सम्पन्न कराये गये । इस संबंध में जांच करा ली गयी है और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

सभी वस्तुओं पर एक-सूत्री बिक्री-कर

*13—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार सभी वस्तुओं पर एक-सूत्री बिक्री-कर लगाने का विचार रखती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं ।

वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली में संशोधन

14—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 मई, 1970 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के क्रम में ट्रेजरी आफिसरों को विभागीय परीक्षा की नियमावली में

संशोधन करके नियमावली को अंतिम रूप देने के संबंध में क्या-क्या कदम उठाये है तथा क्या जून 1971 में हुई परीक्षा में केवल वित्त विभाग के ही सहायकों को बैठने दिया गया और अन्य विभाग के सहायकों को नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली में सचिवालय के विभागों से परामर्श के पश्चात् प्रस्तावित संशोधनों पर लोक सेवा आयोग के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जी हां, कोषाधिकारियों की जून 1971 में होने वाली वैभागिक परीक्षा में वित्त शाखा के सहायकों को ही वर्तमान नियमानुसार बैठने की अनुमति देय थी ।

प्रदेश में चावल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध

*15—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, तथा श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चावल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। मगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर नहीं बल्कि एक ब्लाक में किसी स्थान से उस ब्लाक से बाहर किसी दूसरे स्थान को ले जाने पर प्रतिबन्ध है। उसी ब्लाक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रदेश को उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (वहन पर निर्बंधन) आदेश, 1970 के अन्तर्गत 8 ब्लाकों में (पहाड़ी जिलों को छोड़कर) विभाजित किया गया है और उपरोक्त वहन प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि एक तो धान और चावल के भावों को विनियमित करके उनको उचित मूल्य पर उपलब्धता कराना दूसरे सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा जनता में वितरण करने के लिए तथा बफर स्टाक बनाने हेतु चावल की अनुसूचित मूल्यों पर उगाही सुगम करना तथा अन्य प्रदेशों को उनका तस्कर व्यापार (Smuggling) रोकना है।

*16—श्री राम प्यारे—

[9 वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थगित]

*17-18—श्री राम चरण त्रिपाठी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उप निरीक्षक आबकारी के पदों पर नियुक्ति का आधार

*19—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1964 में उपनिरीक्षक आबकारी के पदों पर नियुक्ति किस आधार पर की गई थी और ज्येष्ठता सूची किस आधार पर बनाई गई थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

फरवरी, 1964 में उप आबकारी निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर की गई थी। उनकी ज्येष्ठता सूची प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर बनाई गई थी।

*20-21—श्री महीलाल—

[9वे मंगलवार में प्रश्न संख्या 28-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला एटा के पटियाली विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण की योजना

*22—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटियाली विधान सभा क्षेत्र, जिला एटा में बिजली पहुंचाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक बिजली उक्त क्षेत्र में पहुंचा दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायनदत्त तिवारी—

जिला एटा में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 90,085 लाख रुपये की तीन वर्ष की योजना बना कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को ऋण स्वीकृत करने के लिए भेजी गई है परन्तु अभी तक यह योजना निगम द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है। इस योजना में पटियाली विकास क्षेत्र भी शामिल किया गया है। योजना के लिए ऋण स्वीकृत होने पर इसे शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायगा।

अंग्रेजी शराब की दूकानों की नीलामी (र०-292)

*23—श्री मनफूल सिंह, (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री इन्द्रमणि—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली (टी० एन० सिंह) सरकार ने अंग्रेजी शराब की दूकानों के सम्बन्ध में जो नीलामी करने का निर्णय किया था उसे वर्तमान सरकार कार्यान्वित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह विषय अभी शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश में सीमेंट मिलने में दिक्कत

*24—श्री महराम सिंह, (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि काफी दिनों से प्रदेश में जनता को सीमेंट मिलने में काफी दिक्कत है और क्या सरकार को ऐसी भी सूचनायें प्राप्त हुयी हैं कि 20 रु० बोरी तक सीमेंट बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार सीमेंट की उचित वितरण व्यवस्था कराने के लिए तुरन्त आवश्यक आदेश जारी करेगी?

श्री बेनी सिंह—

शासन के पास सीमेंट के कम व अधिक मूल्य पर मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सीमेंट पर से हर प्रकार का नियन्त्रण जनवरी, 1966 से समाप्त कर दिया गया है। अब सीमेंट की वितरण व्यवस्था भारतीय सीमेंट निगम के हाथ में है। जनता को सीमेन्ट निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु शासन ने उत्तर प्रदेश सीमेंट आदेश 1966 पूरे प्रदेश राज्य में लागू कर रखा है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी को स्टाक स्थिति तथा बिक्री का मूल्य प्रदर्शित करते हुए सूची टांगना अनिवार्य किया गया है।

प्रदेश में ईंट, लोहा तथा टीन आदि का मूल्य निर्धारण

*25—श्री महराम सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ईंट, लोहा, टीन आदि के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संकट को दूर

करने के लिए पूर्ण नियन्त्रण करके उचित कीमतों पर यह चीजें उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

ईटों पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण उसका मूल्य निर्धारित नहीं है। ईटों के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण प्रदेश में ईटा पकाने वाले कोयले की कमी है। यह कमी पर्याप्त मात्रा में रेल वैगन न मिलने की वजह से है। शासन कोयले को रेल द्वारा मंगाने का बराबर प्रयत्न कर रहा है। जैसे ही रेल विभाग रेल वैगन दे सकेगी कोयला प्रदेश में आयेगा और उस समय ईटों के दाम अपने आप ही गिर जायेंगे।

लोहा तथा इस्पात पर अब कोई वैधानिक मूल्य नियन्त्रण नहीं है। अब उपभोक्ताओं को लोहा तथा इस्पात व्यापारियों के माध्यम से न देकर उत्पादकों द्वारा सीधे और उनके स्टाक बोर्डों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत दिया जाता है। व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को माल देने के बाद ही केवल स्टाक यार्ड से शेष माल दिया जाता है जो बहुत कम होता है। कोई व्यक्ति बिना लाइसेन्स के इसका व्यापार कर सकता है। वर्णित परिस्थिति में कीमतों के नियन्त्रण का प्रश्न नहीं उठता।

बैंकिंग कमीशन के समक्ष बैंकों की सेवा बढ़ाने सम्बन्धी सुझाव

*26—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में जो बैंकिंग कमीशन, उत्तर प्रदेश में आया उसके सम्मुख सरकार की ओर से प्रदेश में बैंकों की सेवा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में क्या-क्या सुझाव दिये गये और उस कमीशन से इस सम्बन्ध में क्या-क्या आश्वासन प्राप्त हुये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश में बैंकों की सेवा बढ़ाने के सम्बन्ध में तथा दूसरे विषयों पर सरकार के सुझाव 'बैंकिंग आयोग के प्रति मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश के अभिभाषण' में दिये हुए हैं।† यह अभिभाषण सदन के पटल पर रख दिया है।

चूंकि बैंकिंग आयोग का कार्य बैंक सम्बन्धी कार्य का नियन्त्रण नहीं, बल्कि उसका अध्ययन करके भारत सरकार को अपनी सिफारिशें देना था, अतः उनसे आश्वासन पाने का प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में थर्मल व हाईडिल पावर स्टेशन

*27—श्री शिवराज सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ योजना काल में प्रदेश में कहां-कहां पर थर्मल पावर स्टेशन और कहां-कहां पर हाइडिल पावर स्टेशन स्थापित करने का निश्चय सरकार ने किया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में हरदुआगंज, ओबरा तथा कानपुर में थर्मल स्टेशन तथा देहरादून, बिजनौर, ओबरा, उत्तर काशी तथा टेहरी में हाईडिल स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है।

---

† छापी नहीं गई।

हरदुआगंज थर्मल प्लान्ट

*28—श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज थर्मल प्लान्ट जो जौहन थामसन द्वारा सन् 1962 में लगाया गया था और जिसे 16,000 किलोवाट बिजली देना चाहिये थी, वह 6 हजार किलोवाट से ज्यादा नहीं दे पायी ? क्या इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था ? यदि हां, तो कब तक उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सन् 1962 में जान थाम्पसन कम्पनी के चार वाटर ट्यूब वायलर 1,60,000 पौंड वाष्प प्रति घंटा की क्षमता के लगाये गये थे। परन्तु इनका कार्य प्रारम्भ से ही असन्तोष-जनक रहा जिसको ठीक करवाने के लिए राज्य विद्युत् परिषद् ने सभी सम्भव प्रशासनिक एवं विधिक प्रयत्न किये तथा अन्त में जुलाई, 1970 में परिषद् ने कम्पनी को नोटिस दिया कि वायलर अस्वीकृत हैं तथा सप्लायर्स को अपने व्यय पर इन्हें बदलना पड़ेगा और परिषद् द्वारा किये गये व्यय और क्षति के लिए भी कम्पनी उत्तरदायी होगी। कम्पनी ने संविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्वों को पूरा करने के लिए 16,81,300 रुपये की अदायगी का प्रस्ताव किया है जो परिषद् के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया।

बिक्री-कर कार्यालय देवरिया में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन न मिलना

*29—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री बंशीधर पांडेय—

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया बिक्री-कर कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन कितने माह से नहीं दिया गया है और क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

देवरिया बिक्री कर कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के केवल चार कर्मचारियों का निम्नांकित अवधि का अवकाश वेतन अभी तक अवकाश स्वीकृत न किये जाने के कारण देना शेष है :—

1—श्री सर्वजीत राय 17-3-71 से 5-5-71 तक।

2—श्री छोटे लाल, 16-3-71 से 24-3-71 तक।

3—श्री महगू, 1-5-71 से 15-6-71 तक।

4—श्री विदेशी राम, 4-6-71 से अभी तक।

अभियन्ता (जल-विद्युत्) संगठन द्वारा मन्त्री जी को मांग-पत्र

*30—विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ अभियन्ता (जल विद्युत्) संगठन ने वार्षिक उत्सव (जो गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल, लखनऊ में 11 जुलाई, 1971 को सम्पन्न हुआ) के अवसर पर उन्हें कोई मांग पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गयीं हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अधीनस्थ अभियन्ता (जल विद्युत) संगठन का दिनांक 11 जुलाई, 1971 का मांग-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें की गई मांगे इस प्रकार थीं :

1—केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सही रूप में लागू किया जाय, समाप्त कर दी गई पहले मिलने वाली सभी सुविधाओं को तत्काल पुनः देना आरम्भ किया जाय। वेतन आयोग की सिफारिशों को वर्कचार्ज कर्मचारियों पर भी लागू किया जाय।

2—वर्क चार्ज कर्मचारियों को रेगुलर किया जाय।

3—सहायक अभियन्ता पद पर हमारे 25 प्रतिशत कोटा के अनुसार पदोन्नति की जाय।

4—क्वालीफाइंग एक्जामिनेशन के आदेश रद्द किये जांय तथा पदोन्नति सहायक अभियन्ताओं का एप्रूवल करके उनकी वरीयता का निर्धारण किया जाय।

5—अधीनस्थ अभियन्ताओं व ओवरसियरों की वरीयता निर्धारित की जाय तथा उन्हें स्थायी किया जाय।

6—अधीक्षण एवं सहायक अभियंता पदों पर तत्काल पदोन्नतियां की जावें।

7—हड़ताल के समय का हमारे सदस्यों का रुका हुआ वेतन तत्काल दिया जाय।

8—एम० एम० आई० ई० उत्तीर्ण सदस्यों को तत्काल सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत किया जाय।

उपरोक्त 1 व 2 मद के बारे में स्थिति से दिनांक 2 अगस्त, 1971 को नियम 51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य तथा मुख्य मंत्री जी के दिनांक 10 अगस्त, 1971 के वक्तव्य में सदन को अवगत किया जा चुका है। तीसरी तथा छठी मांग परिषद् को मान्य है और इस दिशा में वे कार्यवाही कर रहे हैं। चौथी मांग विचाराधीन है। पांचवी मांग उल्लिखित वरिष्ठता सूची परिषद् द्वारा शीघ्र जारी की जायगी। सातवीं मांग के बारे में परिषद् ने आदेश जारी कर दिये हैं। आठवीं मांग के बारे में परिषद् ने ए० एम० आई० ई० उत्तीर्ण अभ्यर्थी को बी० ई० उत्तीर्ण के समकक्ष मान लिया है और वे भी सहायक अभियन्ता पद के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जहां तक ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रश्न है, यह मद तीन में उल्लिखित कोटा के अन्तर्गत सभी पात्रता में आने वाले कर्मचारियों के चयन के आधार पर ही होगा।

राज्य विद्युत् परिषद् के सदस्य

*31—श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर) श्री मन्जूर अहमद, (जिला मेरठ) तथा श्री मनफूल सिंह

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् (बोर्ड) परिषद् में कितने सदस्य मनोनीत किये गये हैं और-कौन कौन सदस्य हैं उनकी सूची मय योग्यता विवरण के सदन में रखी जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य विद्युत परिषद् के सदस्यों की सूची मय योग्यता संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 219 पर)

स्टीम पावर स्टेशन, सोहावल, फैजाबाद में मस्टर रोल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की योग्यता

*32—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टीम पावर स्टेशन, सोहावल, फैजाबाद में कितने ऐसे कर्मचारी, 1966 से मस्टर रोल में कार्य कर रहें हैं, जो हाई स्कूल पास एवं

आई० टी० आई० फिटर की योग्यता प्राप्त किये हुये हैं ? क्या यह सच है कि जूनियर एवं कम योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या आधार है ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान श्री गोपीनाथ दीक्षित, सदस्य विधान सभा द्वारा उनके दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के पत्र में दिलाया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसी प्रकार के विधान सभा के द्वितीय सत्र 1970 के तीसरे गुरुवार को विधायक महोदय के प्रश्न संख्या 27 के उत्तर में बताई गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोरखपुर विद्युत् खण्ड पर फर्जी वर्कचार्ज में मजदूरों की भर्ती का आरोप

*33—श्री राम करन सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस-ट्रक्शन डिवीजन, गोरखपुर के श्री नफीसुल हसन के खिलाफ फर्जी वर्क चार्ज मजदूर भर्ती करने का आरोप था जिसकी जांच 1970–71 में राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने दो अधिकारियों द्वारा कराई है ? यदि हां, तो उन अधिकारियों की क्या रिपोर्ट है जिन्होंने जांच की है और क्या कार्यवाही की गई है, इससे सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री नफीसुल हसनैन, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

चावल पर लगे प्रतिबन्ध का हटाया जाना

*34—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री को अनेक विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र प्रदेश में चावल पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के विषय में दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस मांग पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री बेनी सिंह—

प्रदेश में चावल पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के विषय में पिछले वर्ष कुछ विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित मांग-पत्र उपलब्ध नहीं हैं । मगर माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं खाद्य मंत्री को लिखे गये इस तरह की मांग के पत्र गत वर्ष शासन को मिले थे । उक्त पत्रों पर शासन द्वारा विचार किया गया तथा चावल पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना जनहित में उचित नहीं समझा गया और तदनुसार माननीय सदस्य को सूचित कर दिया गया था ।

जिला एटा में चल रहे भट्टों पर बिक्री-कर का बकाया

*35—श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में कितने भट्टे चल रहे हैं । उनमें से कितनों पर सेल्स टैक्स बकाया है और कितनी धनराशि ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला एटा में 30 जून, 1971 में प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय 120 भट्ठे चल रहे हैं । और इनमें से 67 भट्ठों पर 2,31,797 रुपये सेल्स टैक्स का बकाया है।

*36—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[9वें सोमवार में प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ जिले की शुगर फैक्ट्री का शीरा बांसपट्टी में रखा जाना

*37—श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत प्रतापपुर शुगर फैक्टरी द्वारा बांसपट्टी के पास शीरे को सार्वजनिक स्थान पर रखा गया है जिससे संक्रामक रोग फैल रहा है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी यह तो सही है कि स्थान की कमी के कारण इस फैक्टरी का शीरा बांस पट्टी में रखा जाता है परन्तु यह स्थान आबादी से दूर है इसलिये रोग फैलने की संभावना नहीं है।

*38—श्री भाभी यादव तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उक्त मामले के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 1971 को आबकारी मंत्री महोदय को एक विधायक का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, उक्त विषय में श्री हरिवंश सहाय का पत्र दिनांक 21 जुलाई, 1971 प्राप्त हुआ है। पत्र की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, हाइडिल सर्किल

*39—मोहम्मद असरार अहमद—

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, हाइडिल के कितने सर्किल हैं और इन सर्किलों में इस समय कौन-कौन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कार्य कर रहे हैं और कब से ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सर्वश्री महेशचन्द्र गुप्त एवं ज्ञानचन्द्र वर्मा, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, जल-विद्युत् विभाग की मुअत्तली

*40—श्री त्रिलोक चन्द श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), तथा श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री महेशचन्द्र गुप्ता, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जल-विद्युत विभाग लखीमपुर खीरी और ज्ञानचन्द्र वर्मा, इक्जीक्यटिव इंजीनियर जल-विद्युत विभाग महानगर, लखनऊ को सरकारी आदेशानुसार हाल में मुअत्तल किया गया है । यदि हां, तो इन दोनों के विरुद्ध कौन-कौन आरोप थे ? इनकी जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दोनों अधिकारी शासन द्वारा निलम्बित किये गये हैं। आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

जौनपुर जनपद के ग्रामों का विद्युतीकरण

*41—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1971–72 में जौनपुर जनपद में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है और उन ग्रामों का चयन किस आधार पर हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस वर्ष (1971–72) जौनपुर जनपद में 30 ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है। विद्युतीकरण के लिये ग्रामों का चयन उन पर व्यय होने वाली अनुमानित लागत व उनके विद्युतीकरण से न्यूनतम निर्धारित 15 प्रतिशत प्रतिलाभ के आधार पर किया जाता है।

ओबरा विद्युत्-गृह में उत्पादित बिजली को उद्योगों के लिए दिया जाना

*42—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओबरा विद्युत-गृह से उत्पादित बिजली को किन-किन उद्योगों को दिया गया है और किस-किस दर से?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ओबरा से उत्पादित बिजली प्रदेश के ग्रिड में जाती है जिससे फिर वह उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर या विशेष अनुबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर दी जाती है। किसी एक बिजली घर से उत्पादित बिजली विशेष तौर पर किन्हीं उद्योगों को अलग से नहीं दी जाती है।

*43—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

*44—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण योजना के अधीन बस्ती जिले में किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

चालू वित्तीय वर्ष 1971–72 में बस्ती जिले के निम्नलिखित ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है:—

शिवपति नगर, तैतरी बुजुर्ग, गौर, परसरामपुर, दुबौलिया, विसेरगंज, अम्होडा, सिकन्दरपुर हैदराबाद, सेमरोखान कोट, दुधौरा, गोल्होरा, ककरहवा, जगदीशपुर, सुकरौली, बरगदवा, बढ़नी एवं महदेई।

सीतापुर जिले के महमूदाबाद कस्बे में एक उप-विद्युत्-गृह का निर्माण

*45—श्री श्याम सुन्दरलाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के कस्बा महमूदाबाद में एक 66,000 किलो वाट का उपविद्युत गृह 1969–70 ई० में बनाना स्वीकार हुआ था। यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सीतापुर जिले के महमूदाबाद कस्बे में 66,000 किलोवाट के उप-विद्युत-गृह के बनाने की तकनीकी स्वीकृति भारत के केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग से प्राप्त हो गयी है। उपरोक्त विद्युत-गृह के निर्माण का कार्य जो कि इस वर्ष के बजट में सम्मिलित था, प्रारम्भ नहीं किया जा सका है क्योंकि जिस भूमि को उपरोक्त उप-विद्युत-गृह बनाने के लिये चुना गया था उसके स्वामी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है। अभी तक उच्च न्यायालय का इस संबंध में निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत की सारी कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिंचाई तथा विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है तथा वही अधिकारी इस मुकदमें की देख रेख उच्च न्यायालय में भी कर रहे हैं। उपरोक्त उप-विद्युत-गृह बनाने की सामग्री का भी भलीभांति प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस उप विद्युत-गृह के लिये सिधौली से 66,000 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन मार्च, 1972 तक बने जाने की संभावना है तथा इस दिशा में कार्य प्रगति पर है।

*46—श्री कल्याण सिंह—

[9वें सोमवार के लिये स्थगित]

वाराणसी में भूतपूर्व विधायक, श्री गिरधारी के गोदाम से नाजायज गांजे, की बरामदगी

*47—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि हाल ही में वाराणसी में चेतगंज पुलिस ने किसी भूतपूर्व विधायक के गोदाम से सत्तर हजार रुपये का गांजा बरामद किया है। यदि हां, तो गांजा कहां से मंगाया गया था और वह उसे कहां ले जा रहे थे। अभी तक क्या कार्यवाही उस केस में हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 5 जुलाई, 1971 की रात्रि में थाना चेतगंज के पुलिस अधिकारियों ने भूतपूर्व विधायक श्री गिरधारी लाल मुहल्ला हबीबपुरा, थाना चेतगंज के गोदाम से लगभग एक सौ पचास किलोग्राम नैपाली नाजायज गांजा बरामद किया जिसका अनुमानित मूल्य करीब पचास हजार रुपये बताया गया है। उक्त अवैध गांजा पुलिस सूत्रों के अनुसार नैपाल से तस्करी द्वारा वाराणसी के अज्ञात फुटकर नाजायज गांजा विक्रेताओं के उपयोग के लिये लाया गया था। यह गांजा वहां से बाहर नहीं भेजा जाना था। श्री राम बहादुर पुत्र रतनराज सिंह, चौकीदार, कारखाना सुर्ती जर्दा, मुहल्ला हबीबपुरा, वाराणसी श्रीमती गंगादेवी, पत्नी, राम बहादुर कारखाना सुर्ती जर्दा गोदाम मुहल्ला, हबीपपुरा, वाराणसी और किशन लाल, पुत्र रामदास निवासी नई पोखरी, हबीबपुरा, वाराणसी अपराधीगण के विरुद्ध अपराध संख्या 415,416 तथा 417 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी ऐक्ट, पुलिस द्वारा कायम किया गया है जो अभी जेरे तफसीश हैं। गांजे की तशखीस केमिकल इक्जामिनर, आगरा से कराना शेष है जिसके लिये पुलिस कार्यवाही कर रही है।

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के शिष्ट मण्डल की मांगें

*48—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिग्री कालेजों के अध्यापकों का एक शिष्ट मंडल वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी से विगत 10 मई, 1971 को मिला था ? यदि हां, तो अध्यापकों की क्या मांगे थी । उनकी मांगों को सरकार कब पूरा करेगी, वित्त मंत्री ने शिष्ट मंडल को क्या आश्वासन दिया था?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी, नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

रामपुर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीदारी

1—श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर में एफ० सी० आई० द्वारा माह जून, 1970 में कितनी गेहूं की खरीदारी की गई थी और एफ० सी० आई० द्वारा माह जून, 1971 में कितनी गेहूं की खरीदारी की गई । इस खरीदारी में कृषक को अधिकतम कितना मूल्य दिया गया एवं न्यूनतम कितना मूल्य दिया गया?

श्री बेनी सिंह—

भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार माह जून 1970 में 4,847 टन तथा माह जून 1971 में 10,319 टन गेहूं उनके द्वारा खरीदा गया । इस खरीदारी में कृषकों को अधिकतम मूल्य 76.00 रुपया तथा न्यूनतम मूल्य 67.56 रुपया प्रति कुंतल कटौतियों के बाद क्वालिटी के अनुसार दिया जा सकता था। वास्तविकता में न्यूनतम मूल्य कितना दिया गया उसकी सूचना शासन को उपलब्ध नहीं है ।

राजकीय लाटरी से प्राप्त धन का मेरठ के लिए आवंटन

2—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या वित्त मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1971 तक मेरठ जिले से कुल कितना धन राजकीय लाटरी से प्राप्त हुआ ? और आवंटन में मेरठ जिले को कितना धन किसको व किस कार्य के लिये दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी के 31 मार्च, 1971 तक कुल 14 ड्रा सम्पन्न हुये थे और मेरठ जिले से उक्त ड्रा तक कुल आय 6,05,279.50 रुपये हुयी, जिसमें से 34,858 रुपये का व्यय हुआ तथा 5,70,421.50 रु० शुद्ध आय प्राप्त हुयी । प्रथम से दसवें ड्रा तक लाटरी से प्राप्त शुद्ध आय में 5,55,365 रु० का अनुदान मेरठ जिले को स्वीकृत किया गया जिसका विवरण संलग्न किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 220 पर।)

श्री जे० एन० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् का निलम्बन

3—श्री मंजूर अहमद तथा श्री मनफूल सिंह—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि श्री जे० एन० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता विद्युत् इस समय निलम्बित हैं और इससे पूर्व जब वह सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहे थे तभी निलम्बित थे ? यह किन-किन परिस्थितियों में निलम्बित किये गये थे और इस समय भी हैं ? क्या इनके विरुद्ध कोई जांच रिपोर्ट भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन के सम्मुख रखने का कष्ट करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री जे० एन० सक्सेना के विरुद्ध इस समय राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है। सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य करने की अवधि में भी श्री सक्सेना निलम्बित किये गये हैं। आनुशासनिक जांच की कार्यवाही में परिषद् द्वारा अनियमिततायें पायी गई थीं। अनियमिततायें मस्टर रोलों को बगैर जांच के पास करने रु० 2,53,637.25पैसे के ऐसे सामान की खरीदारी जिसकी परिषद् को आवश्यकता नहीं थी तथा जिसमें परिषद् का धन अवरुद्ध हो गया था करने, परिषद् के अस्थायी आदेशों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए तथा बिना अधिशासी अभियन्ता की अनुज्ञा प्राप्त किये अत्यधिक वर्क आर्डर जारी करने, रु० 1,26,873.56 पैसे की राशि के 13 भुगतान करने, तथा ठेकेदारों को रु० 57,893.61 पैसे के अधिक भुगतान करने आदि के सम्बन्ध में थी।

जान थाम्सन, ब्वायलर हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ का खराब होना

4—श्री मंजूर अहमद तथा श्री मनफूल सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1962 में जो जान थाम्सन ब्वायलर हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में लगा था वह खराब था ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान श्री एस० एन० सिंह ने जो उस समय मुख्य अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, ने कर दिया था ? क्या इससे सरकार को कोई घाटा हुआ था और क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से भी कोई लिखा-पढ़ी हुई थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सन् 1962 में लगाने के बाद ही ब्वायलर में खराबी आ गयी। पूर्ति कर्त्ता को भुगतान फर्म द्वारा यह गारंटी दिये जाने पर किया गया कि संयंत्र संतोषजनक रूप से काम करेगा। बार बार प्रयत्न करने पर भी फर्म इसको ठीक नहीं कर पाई। राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह हस्तक्षेप कराकर स्थिति ठीक करा दे। फर्म की परफारमेन्स गारन्टी भी रोकी हुई है।

गैस टरबाइन, मुरादनगर में गलत ईंधन प्रयोग करने के फलस्वरूप नष्ट होना

5—श्री मंजूर अहमद तथा श्री मनफूल सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि सन् 3963 में गैस टरबाइन, मुरादनगर में गलत ईंधन से चलाये जाने के कारण 1970 में नष्ट हो गया था ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन था तथा इसकी जांच रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

रेन्ट कन्ट्रोल अधिकारी, लखनऊ द्वारा मुकदमों का निर्णय तथा एलाटमेंट

6—श्री किशनलाल, श्री केशव राम, श्री रामलाल राही, श्री नत्थाराम रावत—

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि वर्तमान रेंट कन्ट्रोल अधिकारी, लखनऊ ने अक्तूबर, 1970 से 30 मई, 1971 तक कितने मकानों के एलाटमेंट के मुकदमों का निर्णय कर एलाटमेन्ट आर्डर किन-किन सज्जनों को दिये? इन एलाटमेन्ट आदेशों में क्या मोहल्ला नौबस्ता, लखनऊ के मकान भी शामिल हैं? अगर हां, तो क्या उनकी सूची सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री बेनी सिंह—

रेन्ट कन्ट्रोल अधिकारी, लखनऊ ने प्रश्नगत अवधि में 183 एलाटमेन्ट के मुकदमों का निर्णय कर 116 व्यक्तियों को मकान एलाट किये जिसकी सूची सदन की मेज पर रखी है। एलाट किये गये मकानों में मोहल्ला नौबस्ता, लखनऊ का भी एक मकान शामिल है जो उपरोक्त सूची के क्रम-संख्या 69 पर अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 222 पर)

देहरादून में एक नये बार का लाइसेंस

7—श्री इन्द्र लाल—

क्या आबकारी मन्त्री बतायेंगे कि देहरादून में 1 अप्रैल, सन् 70 से 31 मार्च, 71 तक का बार का लाइसेंस किसको दिया गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

देहरादून में उक्त अवधि में बार का कोई नया लाइसेंस नहीं दिया गया है।

हरदुआगंज पावर हाउस, ओबरा पावर हाउस व मुख्य अभियन्ता कार्यालय में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स व एस० डी० ओज०

8—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस ओबरा पावर हाउस व चीफ आफिस में आजकल कितने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एस० डी० ओ० लगे हुये हैं और कितनी मुद्दत से?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मन्त्रियों के कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में शिक्षा राज्य मन्त्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नगीना सिंह)—

मैं सदन को अपने सम्बन्ध में एक सफाई देना चाहता हूं। कुछ अखबारों में मेरे सम्बन्ध में बहुत गलत सूचनाएं निकली हैं। 25 तारीख को हमारे मित्र श्री रामबिलास पाण्डेय जी..

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह किस नियम के अनुसार हो रहा है ?

श्री नगीना सिंह—

मैं घर से आया था। मेरे शरीर में दर्द था, चारपाई पर पड़ा था। राम बिलास पाण्डेय जी ने फोन किया। मैंने इनसे बात करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि आपकी आवाज नहीं मालूम पड़ती। मैंने कहा कि मैं ही बोल रहा हूं, मेरी तबियत खराब है। लेकिन पाण्डेय जी ने बार-बार कहा कि नहीं यह तो आपकी आवाज नहीं मालूम होती है। मैंने कहा कि मेरी ही आवाज है, सम्भव है आप मेरी आवाज को भूल गये हो। पान्डेय जी ने यहां इस तरह का बयान दिया कि किसी कर्मचारी ने कहा कि मैं ही बात कर रहा हूं, मैं ही मंत्री हूं . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं थे ?

श्री नगीना सिंह—

मैं स्वयं ही था। मैं चाहता हूं कि पांडेय जी को ऐसी गलतफहमी न हो। उधर बैठने पर यह न हो कि सही बात भी दूसरे ढंग से कहनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

पहले मेरी बात सुन लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह सदन का अपमान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की बात सुनने के बाद आपकी बात सुनेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे 3 बातें कहनी हैं। पहली बात तो यह है कि मन्त्रियों की आवाज बहुत महत्व रखती है। आवाज में गलती होने पर स्टेट बैंक से 60 लाख रुपया निकल गया। दूसरी बात यह है कि माननीय उदित नारायण शर्मा का नाम लिया गया और उनके ऊपर आक्षेप लगाये गये। "दैनिक जागरण" में भी छपा था। तीसरी बात यह है कि सदन में उस दिन प्रश्न उठा था। उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री शिव कुमार पाण्डेय—

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि मैं लगातार 3, 4 दिन से प्रयत्न कर रहा हूं। आपने एक सवाल पर 1/2 घन्टा स्वीकार कर लिया। उसका नतीजा यह हुआ कि मैं केवल एक सवाल ही कर पाया। आप इस प्रश्न पर आधे घन्टे की चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप भेजते क्यों नहीं हैं ?

श्री शिव कुमार पाण्डेय—

आप आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

व्यवस्था का प्रश्न ।

श्री राम लाल राही द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मेरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न मेरे पास 11-50 पर आया है । मैं उसको देख नहीं सका हूं । कल उस पर निर्णय दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रामलाल राही—

मान्यवर,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें । श्री उदित नारायण शर्मा-पार्टी के नेता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

ये लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं ।

मऊनाथ भंजन की स्वदेशी काटन मिल में तालाबन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव व नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मऊ स्वदेशी काटन मिल के मजदूर हड़ताल कर रहे हैं । वहां पर कालेज तथा सिनेमाघर बन्द हो चुके हैं और तनाव उत्पन्न हो गया है । मैंने नियम 56 के अन्तर्गत प्रश्न दिया है । जमीन इस आशय से दी गयी थी कि पूर्वी जिलों में उद्योग स्थापित होगा तो वहां के लोगों को काम मिलेगा । बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा गोरखपुर के लड़कों को काम पर नहीं लगाया गया और राजस्थान से लोगों को लाया गया है । बड़ी जबरदस्ती करने के बाद वहां पर लोगों को 45 रु० व 52 रु० पर रखा गया है । 3 वर्ष हो गये हैं परन्तु उनको मुस्तकिल नहीं किया गया है और इसके साथ-साथ बेरहमी के साथ निकाला जा रहा है । इस कारण उन लोगों ने हड़ताल की है । वहां म्युनिसिपल बोर्ड में उनको 10 वर्ष तक चुंगी कर से मुक्त कर दिया था । मैं चाहता हूं, आप मंत्री जी से इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलवा दें । वह लोग बहुत दिनों से हड़ताल पर हैं ।

प्रश्न का उचित उत्तर न देने के सम्बन्ध में शिकायत

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपने लिख कर दिया है तो उस पर फैसला करूंगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, सवाल नं० 39 को आप देखें । उसमें मैंने पूछा था कि हाइडिल डिपार्टमेन्ट में कितने एस० ईज ० हैं । उस पर लिख कर सूचना मिली है कि जवाब एकत्र हो रहा है । तो हेडक्वार्टर्स पर यह सूचना मौजूद है और मुझे यह लिख दिया कि सूचना एकत्र हो रही है । तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि सवालों को इस तरह से टाला जाता है । यह जवाब हुआ या नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

आप नियम देख लें । इसमें लिखा है कि सूचना एकत्र हो रही है, ऐसा कह सकते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह सूचना तो हेडक्वार्टर्स पर मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है और उनको उत्तर देने का अधिकार है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

तो वह इस अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आपका यह काम है कि आप देखें कि वह सही तरीके से हो ।

श्री अध्यक्ष—

आपका उत्तर मिल गया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यहीं उत्तर मिल जाना चाहिये था कि कितने खंड हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जब सूचना एकत्र होगी तो रक्खा जावेगा ।

कानपुर में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं निवेदन कर रहा था कि यह निर्विवाद सत्य है कि मंत्रिमंडल का संयुक्त दायित्व होता है । तो कैबिनेट स्तर के एक मंत्री, श्री लक्ष्मी शंकर यादव ने कानपुर में 28, 29 के भाषण में कहा था कि यौन शिक्षा स्कूलों में इन्ट्रोड्यूस की जाय । इस विषय पर बहुत कन्ट्रोवरसी है । मैं कहना चाहता हूं कि जिन देशों में यौन शिक्षा इन्ट्रोड्यूस की गई है, वहां पर विद्यार्थियों के चरित्र गिरे हैं, वहां बेपर्दगी बढ़ी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह इस सरकार की नीति हो गई है कि यौन शिक्षा दी जावे ? यह कैबिनेट स्तर के एक मंत्री ने जो कहा है कि वह सजेस्ट करते हैं और उनकी राय है कि यह इन्ट्रोड्यूस की जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह देश के भविष्य का सवाल है । इस पर आप पूरी तरह से विचार कर लें । यह कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों की राय हो सकती है कि यह ठीक बात है। मैं कहता हूं कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत राय होने से ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा करना है तो दस बार विचार करना होगा कि ऐसा किया जावे या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि यह मंत्रिमंडल की राय है या उनकी निजी राय है ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि क्या उनको यह हक है कि एक कैबिनेट स्तर का मंत्री....

श्री अध्यक्ष—

आप आक्षेप कर रहे हैं और व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। मैं व्यवस्था देता हूं कि यह आपने अखबार में पढ़ा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो सामने बठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

सामने तो सभी बैठे हैं। आप व्यवस्था सुन लें। व्यवस्था यह है कि जिस किसी को अखबार में कोई आपत्ति दिखाई दे तो मुझे लिखें। मैं उस पर विचार करके फैसला दूंगा। लेकिन आप सदन में अखबार की चीज उठायेंगे तो मैं कहूंगा कि अखबार की चीज नहीं उठा सकते।

मऊनाथ भंजन की स्वदेशी काटन मिल्स में तालाबन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव व नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मैं 25 तारीख को मऊनाथ भंजन गया था। वहां पर स्वदेशी काटन मिल में तालाबन्दी हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप शांत हो जायं। यहां गवर्नमेंट पार्टी मौजूद है या नहीं। मैं उदितनारायण जी से पूछना चाहता हूं। इस तरफ के लोग तो करते ही हैं क्योंकि विरोधी दल के हैं। लेकिन आपके आदमी व्यवस्था का प्रश्न उठाना शुरू कर दें, जो कि व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं तो अनुचित है। मैंने आपको (श्री हबीबुर्रहमान को) इजाजत दी लेकिन आपके यहां से दो तीन आदमी खड़े होकर बोल रहे हैं। उन्हें रोकना चाहिये।

श्री हबीबुर्रहमान—

मैं 25 तारीख को मऊनाथभंजन में था। वहां गैर कानूनी तरीके से स्वदेशी मिल में तालाबन्दी कर दी। वहां सारे होटल बन्द थे, सिनेमा बन्द थे, रिक्शे बन्द थे। वहां हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। एक तरफ तो ज्यादा बारिश और बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया था और अब दूसरी तरफ जो उनका मिल में काम करके रोजी पैदा करने का सहारा था वह भी उनसे छिन गया। मैंने नियम 51 में दिया था, यह बड़ा गम्भीर मसला है। लेबर मिनिस्टर भी यहां पर बैठे हैं। उनसे वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखकर दिया है। उस पर विचार हो जायेगा।

श्री इन्द्राणी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मेरा आपसे निवेदन और जानकारी है। इस विधान सभा में सन् 67 में घोषित किया गया था कि उत्तराखंड में एक यूनीवर्सिटी बनेगी। उसके बाद 69, 70 और 71 में भी घोषणा हुई। शिक्षा के अनुदान पर बोलते हुये भी मैंने इस विषय में कहा था। आज गढ़वाल बन्द चल रहा है। पौड़ी में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी हालत खराब है। जो भी सरकार की स्पष्ट नीति हो वह घोषित करे कि कहां बनाना चाहते हैं, वैसे तो बनना श्रीनगर में ही चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपको स्मरण होगा कि नियम समिति ने निश्चित किया था कि नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें देंगे वे प्रश्नों के बाद टेकअप की जायंगी। वे नियम सदन की मेज पर भी रख दिये गये थे और 14-15 दिन बीत गये। कोई संशोधन नहीं आये थे। अतः वह नियम बन गये। उस नियम के अन्तर्गत जो नोटिसेज आते हैं उनको लेने का यही समय है। श्री रामबिलास पांडेय और मऊ के हमारे साथी ने नियम ५६ के अन्दर सूचना दी है। मऊनाथभंजन में तालाबन्दी हुई है और वह तालाबन्दी मिल मालिकों ने की है, और गिरफ्तार किये जा रहे हैं मजदूर। जिस तरह से हड़ताल अनियमित होती है उसी तरह से तालाबन्दी भी अनियमित होती है। यहां तालाबन्दी तो की है मिल मालिकों ने, और गिरफ्तार मजदूरों को किया जा रहा है। तो मिल मालिकों को गिरफ्तार न करके किस नियम से मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है? माननीय बाजपेयी जी बैठे हैं, वे एलान करें कि तालाबन्दी के अन्तर्गत वे मिल मालिकों को गिरफ्तार करेंगे। एक तरफ तो यह सरकार समाजवादी बनती है, दूसरी तरफ मजदूरों को गिरफ्तार करती है और मिल मालिकों के यहां दावतें खाती है। तो नियम 56 के अन्तर्गत इस पर विचार होना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष--

नियम 45 के अन्तर्गत अगर आप देते हैं तो 4 बजे वह लिया जा सकता है। आज तो 4 बजे कार्य समाप्त करना है। आज बाढ़ पर बहस होगी।

श्री कृष्णानन्द राय--

नियमों में संशोधन हो गया है, अब 12 बजे ही आ सकता है।

श्री अध्यक्ष--

वह नये नियमों में है, उसे देख लेंगे कि कौन कौन सा पास हुआ है। वह 14 तारीख से लागू करेंगे..... (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

नियम तो अभी से लागू हो गया।

श्री अध्यक्ष--

आज तो प्रैक्टीकली सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

इस प्रश्न को मान्यवर, कल ले लीजिये, यह बड़े महत्व का प्रश्न है। मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हड़ताल चल रही है। इसको आप अवश्य कल ले लें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है कि इस वक्त राज्य मंत्री, श्रम विभाग, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं लेबर लीडर रहे हैं, श्री गणेशदत्त जी बाजपेयी। वे जाने पहचाने लेबर लीडर रहे हैं

और टैक्सटाइल के तो वे एक्सपर्ट माने जाते हैं और वे इस प्रदेश के ही नहीं, देश के स्तर के व्यक्ति हैं जिनसे बहुत से लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। इस वाकये के तथ्य इस प्रकार से हैं, एक लिपिक को मिल के सचिव ने मार कर.....

श्री अध्यक्ष---

आप फैक्ट्स पर अभी न जायें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी तो सारी वस्तुस्थिति से परिचित होंगे। वे खाली इतना ही बता दें कि यह तालाबन्दी कानूनी है कि नहीं ? वे बोलना चाहते हैं, केवल आपकी आज्ञा चाहते हैं। अगर यह तालाबन्दी गैर कानूनी है तो क्या मंत्री जी हस्तक्षेप करके उसे खुलवा देंगे ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सदन के समक्ष कि आज शाम को मैं मऊनाथ भंजन जा रहा हूं। दूसरी बात यह कि जब बिना नोटिस के हड़ताल शुरू हो जाती है तो कांसिक्वेंशल लाक आउट हमेशा कानूनी होता है। इसलिये चूंकि बिना नोटिस के हड़ताल प्रारम्भ हुई है एक लिपिक के प्रश्न के ही सिलसिले में लिहाजा उसके बाद जो लाक आउट हुआ, वह कानून की दृष्टि में गैर कानूनी नहीं है। मजदूरों की मांगें बुनियादी हैं और उनकी जांच होनी चाहिये, इसीलिये मैं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप वापस आयेंगे कब ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मैं परसों लौटूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

परसों को सदन की बैठक नहीं होगी, मान्यवर। वहां 800 मजदूर भूखों मर रहे हैं। इस सरकार ने वहां के लोगों की जितनी सुविधायें हो सकती हैं, उसने इस मिल मालिक को दी है। इसका मालिक कौन है ? इसका मालिक सीताराम जयपुरिया है जो उसी पार्टी से सम्बन्धित है जिससे इस वक्त माननीय बाजपेयी जी का रिश्ता है। तो यह सम्बन्ध भी इसमें हायल है। श्रीमन्, यह भी सुनने में आया है कि यह वही जयपुरिया है जिसने प्रधान मंत्री के चुनाव के मौके पर उनके क्षेत्र में धोतियां बंटवायी थीं। इस तरह से एक तरफ तो इसने मजदूरों का शोषण किया है और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री के क्षेत्र में वोटरों के बीच अपनी धोतियां भी बंटवायी है। अगर आप प्राइवेटली इस सम्बन्ध में किसी से बात करें तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। यह जयपुरिया खाली शोषक ही नहीं है, बेशर्म शोषक है और डाकू है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी जिम्मेदारी आपकी या आपके विभाग की नहीं है कि इस लाक आउट को खोलवायें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जब डाकू अपने ही लोगों को रुपया देता है तो उसको डाकू नहीं कहा जाता है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, श्रम मंत्री भी हैं, और आज माननीय बाजपेयी जी जब आजमगढ़ जा रहे हैं तो कल को माननीय मुख्य मंत्री का उस पर वक्तव्य हो सकता है। क्योंकि

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]
यह बड़ी गम्भीर घटना है और तमाम विरोध पक्ष से एकमत से मांग इसके लिये की जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य कल जरूर करवा दें।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—
अध्यक्ष महोदय, क्या यह सम्भव है कि आप एक मिनट और मुझे इस मऊनाथ भंजन की हड़ताल के विषय में कुछ कहने के लिये दे दें ?

श्री अध्यक्ष—
किसी को कोई एतराज तो नहीं है ? ठीक है आप बोलें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—
माननीय मंत्री जी सदन को केवल इतना ही आश्वासन दे दें कि वे मिल खोलवा देंगे और वहां के मजदूरों की मांगों पर विचार करेंगे। विरोध पक्ष की आवाज एक ही है।

श्री कृष्णानन्द राय—
अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के बाद स्पष्टीकरण के तौर पर एकाध प्रश्न करने का हम लोगों को आप मौका दे देंगे।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—
अध्यक्ष महोदय, समस्त माननीय सदस्यों को मैं यह पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द लाक आउट लिफ्ट करलिया जायेगा और इसके लिये सरकार हर सम्भव उपाय करेगी। एक वाक्य और मुझे कह लेने दीजिये कि औद्योगिक विवाद के सिलसिले में जो गिरफ्तारी वहां हुई है या दूसरी जगह होती है उससे श्रम विभाग का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—
अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय मंत्री किसी विभाग का यह कह सकता है कि यह प्रश्न जो है, हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है बल्कि दूसरे विभाग से सम्बन्धित है, जब कि कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है ? श्रम विभाग के जब मिनिस्टर हैं तो हड़ताल और तालाबन्दी देखना उनका काम है तथा हड़ताल और तालाबन्दी में गिरफ्तारी के लिये श्रम विभाग जिम्मेदार है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जब आप इसको स्वीकार करते हैं कि वहां के स्वदेशी काटन मिल में तालाबन्दी हुई है तो जिस कानून के अन्तर्गत शान्ति और व्यवस्था के नाम पर आपने मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है उसी के अन्तर्गत आप के शासक दल के जो जयपुरिया जी हैं, तालाबन्दी करने के आधार पर उनको गिरफ्तार करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—
अध्यक्ष महोदय, हड़ताल करने या गैरकानूनी हड़ताल के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी श्रम विभाग के मोशन पर नहीं हुई है।

श्री कृष्णानन्द राय—
किस विभाग से की गयी है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—
ला एण्ड आर्डर पर की गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
जब उन्होंने कह दिया कि लाक-आउट हम खत्म कराने का हर प्रयत्न करेंगे और वह जा भी रहे हैं तो फिर अब क्या रह गया, आप बैठें।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वह जानकर क्या करेंगे जब वह कहते हैं कि गिरफ्तारी ला एण्ड आर्डर के लिये दूसरे विभाग ने की है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं। यह तो इस तरह से चलता ही रहेगा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, यह अभी मामला हल नहीं हुआ, आप मुख्य मंत्रीजी को बुला लीजिये। तालाबन्दी करने वाले बन्द नहीं हैं, बेचारे मजदूर बन्द हैं, बेमतलब परेशान किये जा रहे हैं। श्रम मंत्री जी ने तो अपनी जिम्मेदारी को टाल दिया है। आप मुख्यमंत्री जी को इस पर सूचित करने के लिये बुलाइये।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं उन्हें कहना चाहिये था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने दूसरे मंत्री को फंसा दिया, यह उत्तर ठीक नहीं है। उन्हें गिरफ्तारियों के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं थी।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह वहां जा रहे हैं, अगर पकड़ लिये गये तो यह कैसे छूटेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पाण्डेय—

एक सूचना मैं और देना चाहता हूं जो उनकी मदद के लिये होगी...

श्री अध्यक्ष—

अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता, आप बैठ जायें।]

वीरभद्र कृषक सहकारी समिति, देहरादून को दी गई भूमि का भूमिहीनों में वितरण सम्बन्धी आश्वासन पर आश्वासन समिति का छठा विशेष प्रतिवेदन

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का छठवां विशेष प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

2—यह प्रतिवेदन वीरभद्र कृषक सहकारी समिति, जिला देहरादून को दी गई भूमि का भूमिहीनों में वितरण किये जाने के बारे में है। इस सहकारी समिति का गठन भूमिहीन कृषक मजदूरों को विशेषतः जो हरिजन परिवार के हैं, खेती के लिये भूमि देकर वहां स्थापित करना था और इस भूमि पर सामूहिक रूप से खेती की जानी थी, किन्तु समिति को दुःख है कि इस उद्देश्य की प्रारम्भ से ही अवहेलना की गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

3—इस विषय पर 9 जून, 1970 को श्री शिवानन्द नौटियाल, सदस्य, विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में सदन को यह सूचना दी गई थी कि (1) समिति के सभापति की रिपोर्ट के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति ही इस सहकारी समिति के सदस्य हैं तथा (2) सदस्यों ने अपने भूमिहीन होने का ग्राम सभा के सभापति द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र सदस्य होने से पहले दिया था।

4—उपरोक्त प्रश्नों के समय एक अनुपूरक प्रश्न में श्री शिवानन्द नौटियाल ने आरोप लगाया था कि देहरादून के धनवान व्यक्ति इस सहकारी समिति की भूमि हड़प लेना चाहते हैं। उक्त प्रश्न के उत्तर में सरकार ने इस आरोप की जांच कराने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के विश्लेषण के सम्बन्ध में समिति ने आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास का भी साक्ष्य लिया जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुये यह सूचना दी कि निबन्धक सहकारी समितियों की रिपोर्ट के अनुसार इस सहकारी समिति के सदस्यों की आय 900 रुपया वार्षिक से अधिक नहीं होगी। समिति ने इस सहकारी समिति से सम्बन्धित रिकार्डस् देखने हेतु तथा स्थानीय अधिकारियों व सहकारी समिति के पदाधिकारियों के साक्ष्य हेतु मौके पर जाकर भी जांच की।

5—इस विषय का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है कि पशु लोक सेवा मंडल, देहरादून को शासन द्वारा वर्ष 1950 में 2866 एकड़ जमीन वीरभद्र ब्लाक में सुरक्षित वन से 99 वर्ष, के पट्टे पर दी गयी थी। इसका लगान केवल 2.80 पैसे प्रति एकड़ सालाना निर्धारित किया गया था। पशु लोक सेवा मंडल ने इसमें से 750 एकड़ भूमि 1953 में वीरभद्र कृषक सहकारी समिति को सबलेट कर दी। वर्ष 1954 से इस सहकारी समिति के पास 594.90 एकड़ भूमि है। आश्चर्य का विषय है कि 17 वर्ष बीत जाने पर भी इस पट्टे का कोई लीज-डीड अभी तक एक्जीक्यूट नहीं हो सका है। इस प्रकार जो भूमि जिस व्यक्ति के अधिकार में है वह उस पर अनधिकृत रूप से काबिज है।

6—प्रारम्भ में सहकारी समिति के 36 सदस्यों में हरिजनों की संख्या केवल 14 थी, इस समय कुल सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर यद्यपि 39 हो गयी परन्तु हरिजनों की संख्या 14 से घटकर 8 रह गयी है। यह सहकारी समिति यद्यपि हरिजनों को विस्थापित करने के लिये गठित की गयी थी परन्तु उसके बाई लाज में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं किया गया। सामूहिक खेती के स्थान पर व्यक्तिगत खेती को वरीयता दी गयी। प्रत्येक सदस्य को 10—10 एकड़ भूमि खेती करने को दे दी गयी। हरिजनों की सदस्य संख्या में कमी होने का अपरोक्ष रूप से यही एक कारण रहा क्योंकि 10 एकड़ पर खेती करने के लिये निस्संदेह काफी धन की आवश्यकता है जो उन गरीब हरिजनों के लिये जुटा पाना सम्भव नहीं था। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वर्तमान 39 सदस्यों में 11 सदस्य निस्संदेह धनवान एवं व्यापारी हैं जिनकी आय 900 रुपया वार्षिक से कहीं अधिक है। इनमें आयकर देने वाले भी सदस्य हैं। सहकारी समिति के रिकार्ड में सदस्यों के भूमिहीन होने का एक भी प्रमाण-पत्र देखने को नहीं मिला।

जहां तक शासन के वन तथा सहकारिता विभागों का सम्बन्ध है समिति यह कहने को बाध्य है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। वन विभाग ने अपना मतलब केवल लगान वसूली तक ही सीमित रक्खा और इस ओर से अपनी आंखे बन्द रखीं कि जिस कार्य के लिये यह भूमि दी गयी थी उसका उस कार्य हेतु प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं। जहां तक सहकारिता विभाग का सम्बन्ध है उसके अधिकारियों ने भी इस सहकारी समिति के कार्य का निरीक्षण नहीं किया क्योंकि सहकारिता विभाग के किसी भी अधिकारी के इस समिति के रजिस्टर कार्यवाही व रजिस्टर सदस्य पर हस्ताक्षर नहीं हैं। सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट भी अश्वासन समिति को अवलोकानर्थ प्राप्त नहीं हो सकी।

समिति को दुख है कि आयुक्त एवं सचिव ने समिति के समक्ष साक्ष्य देने के पूर्व मामले की उचित छानबीन नहीं की और ऐसी भाषा में साक्ष्य दिया जो अनिश्चित तथा गोलमोल थी। समिति को इसका भी दुख है कि मूल प्रश्न का जो उत्तर 9-6-1970 को विधान सभा में दिया गया वह तथ्यों से परे था। समिति यह अपेक्षा करती है कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय जिन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख हो कर सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास किया जिसके कारण सदन में भी गलत उत्तर दिया गया। ऐसे दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाने की समिति संस्तुति करती है। समिति का मत है कि सदन में दिये गये पूर्व उत्तर का संशोधन भी किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व में इस समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सहायता तथा सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज का विरोध करता हूं, आपके माध्यम से। उन्होंने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। बिलकुल गलत धन्यवाद दिया है। वाकयात यह है कि सदन में जो आश्वासन दिये गये हैं वे पूरे नहीं किये गये हैं। एक घंटे के अन्दर प्रोसीडिंग बुक आपके पास रख दूंगा। इसी सदन में सरकार का आश्वासन हुआ था कि इलाहाबाद में भारत प्रेस के बहुत से कर्मचारियों को डिप्टी लेबर कमिश्नर ने गिरफ्तार कर लिया। इस सदन में प्रश्न उठाया गया कि वहां पर बहुत से जर्नलिस्ट्स को गिफ्तार किया गया है। इसी सदन में, जो भी गवर्नमेंट रही हो, आश्वासन दिया गया कि उस डिप्टी लेबर कमिश्नर को हटा जरूर दिया जायगा। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि वह डिप्टी लेबर कमिश्नर आज तक इलाहाबाद में डिप्टी लेवर कमिश्नर बना हुआ है, बावजूद सदन में आश्वासन के। सारी फाइल आपके पास एक घंटे के अन्दर पहुंचा दूंगा। मेरा निवेदन है कि माननीय सभापति जी ने जो कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है, अपने प्रतिवेदन में, म कहूंगा कि सारी बातें छिपायी जाती हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने उसका अभिप्राय समझा नहीं या मैं समझा नहीं पाया। वीरभद्र कोआपरेटिव सोसाइटी हरिजनों को विस्थापित करने के लिये गठित की गयी थी। उसमें हरिजनों का अधिकार छीन लिया गया। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें रखे गये। कोआपरेटिव सोसाइटी ने न आडिट किया, न कभी वहां के अधिकारियों ने निरीक्षण ही किया कि पट्टे की शर्तें पूरी हुई या नहीं। वह बातें सदन के सामने आयेंगी। इसीलिये मैंने कहा था कि आश्वसान समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये अवसर मिलना चाहिये। मैंने वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में तारीफ नहीं की। जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की, यहां के सचिवालय के बारे में कहा। वहां के कर्मचारियों के बारे में मैं घोर विरोध करता हूं। इसमें उनसे सहमत हूं। उनको दंड देना चाहिये। मैं इसको आपके सामने ला नहीं सका। जिस वक्त चर्चा होगी सारी बातें आपके सामने आयेंगी, उसका सारा मामला आपके सामने आयेगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा हम उसमें उनके साथ हैं लेकिन जिनको धन्यवाद दिया गया है ये वे कर्मचारी हैं जो हमारे सचिवालय के हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

समिति की रिपोर्ट में साफ तौर से यह कहा गया है कि सदन के अन्दर गलत बयानी की गयी और प्रश्नों का उत्तर असत्य दिया गया। मेरा निवेदन है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दिया गया और सदन को गुमराह किया गया उन अधिकारियों के विरुद्ध सदन के अवमान की कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

सभापति जब मुझे लिखेंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

समिति की रिपोर्ट सदन में रख दी गयी है । आप उसका कागनिजेन्स ले सकते हैं । रिपोर्ट में कहा गया है कि सदन को गुमराह किया गया । आप अवमान की कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मेरा निवेदन है कि बिजनेस एडवायजरी कमेटी जब बैठे तो उसमें तारीख साफ तौर से रख दी जाय और हाउस को पहले से सूचना दे दी जाय ताकि अच्छी तरह से इस पर विवाद हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

इसे आप लिख कर भेज देंगे, इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लिखने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी । मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । लिख कर भेज दूंगा ।

इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, पनकी, कानपुर के फर्टिलाइजर प्लान्ट में श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

मेसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, द्वारा पनकी, जिला कानपुर में 62 करोड़ रुपये की लागत पर एक फर्टिलाइजर फैक्टरी स्थापित की गई है । इस कम्पनी में 51 प्रतिशत साझेदारी मेसर्स इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज की, 12 प्रतिशत भारत सरकार की और 37 प्रतिशत भारतीय जनता की है । इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि० (पनकी) इम्प्लाइज यूनियन द्वारा दिनांक 23 जून, 1971 को प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों को एक 13 सूत्री मांग-पत्र दिया गया ।

यूनियन की मांगों का सारांश निम्न प्रकार है:—

1—आई० ई० एल० इम्प्लाइज यूनियन हो मान्यता दी जाय ।

2—1969-70 का बोनस 20 प्रतिशत की दर से दिया जाय ।

3—महंगाई भत्ते की दर में 24 प्रतिशत वृद्धि की जाय ।

4—कैन्टीन में ठेकेदारों के श्रमिकों के लिये सेवा की शर्तें निर्धारित की जायं ।

5—काफी (CAFI) (थाना) में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार श्रमिकों को शिफ्ट एलाउन्स दिया जाय ।

6—भविष्य निधि की कटौती बढ़ा कर 8 प्रतिशत तथा कटौती की धनराशि सरकार के पास जमा की जाय ।

7—पंद्रह दिन का आकस्मिक अवकाश ।

8—भार वाहकों को 20 रुपया प्रतिमास दुग्ध भत्ता ।

9—छः माह की अवधि में श्रमिकों के लिए निवास व्यवस्था ।

10—एक वर्ष से सेवारत श्रमिकों का स्थायीकरण ।

11—वेतन का पुनर्निर्धारण, जिससे प्रत्येक श्रमिक के वेतन में 20 रुपये से 25 रुपये प्रतिमास की न्यूनतम वृद्धि हो ।

12—कार्यालय कर्मचारियों तथा अन्य के लिये पांच दिवसीय कार्य, सप्ताह ।

13—किसी भी स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक कर्मचारी को उसके वेतन-क्रम के न्यूनतम से कम न दिया जाय ।

इन मांगों के विषय में कई द्विदलीय व तृदलीय मीटिंगें हुयीं किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका और यूनियन की कार्यकारिणी ने 3 अगस्त, 1971 को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया कि उक्त मांगों की पूर्ति के लिए 20 अगस्त, 1971 से फैक्टरी के श्रमिक हड़ताल करेंगे । यूनियन द्वारा इसी आशय की एक हड़ताल नोटिस प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों को दिनांक 4 अगस्त, 1971 को दी गई ।

उक्त प्रतिष्ठान में 52 दिन की हड़ताल व तालाबन्दी केंद्रीय श्रम मंत्री जी के सम्मुख हुए एक समझौते क पश्चात् दिनांक 5 मई, 1971 को ही समाप्त हुई थी । इस समझौते में यह तय हुआ था कि प्रतिष्ठान में नवम्बर, 1970 में जो समझौता हुआ था उसमें यदि कोई बकाया बातें रह गई हों अथवा कोई नयी मांगें हों तो उप श्रमायुक्त की उपस्थिति में, त्रिदलीय वार्ता द्वारा तय की जायेंगी, तथा यूनियन अनुशासन और कार्य में दक्षता बनाये रहेगा । उपरोक्त 13 मांगों में कई मांगों, जैसे आकस्मिक अवकाश, आवास, श्रमिकों का स्थायी किया जाना, वेतनमानों और वेतन के समायोजन, आदि को पुनः उठाया गया है । अतः समझौते के अनुसार इन मांगों को त्रिदलीय वार्ता द्वारा तय किया जाना चाहिये था । उपरोक्त हड़ताल नोटिस से पूर्व यूनियन की ओर से कोई त्रिदलीय वार्ता की मांग नहीं की गई और श्रम अधिकारियों द्वारा ऐसी वार्ता के लिये बुलाये जाने पर श्रमिक प्रतिनिधियों ने या तो भाग लेने से इन्कार किया या समझौता करने के लिये कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये ।

यह प्रतिष्ठान लगभग 4.50 लाख टन यूरिया उर्वरक प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता रखता है जिससे लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन होता है । अतः इस कारखाने का उत्पादन निरन्तर बने रहने की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए, ताकि प्रदेश में कृषि उत्पादन को धक्का न लगे, राज्य सरकार ने इस प्रतिष्ठान को दिनांक 18 अगस्त, 1971 को यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 की धारा 2(क्यू०) के अन्तर्गत "सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा" घोषित कर दिया । श्रमिकों की मांगों को भी राजाज्ञा संख्या 4170 (श्र०आ०) 36–श्रम(क)–2(57)/71 तथा संख्या 4184 (श्र०आ०)/36–श्रम (क) 2(57)/71, दिनांक 17 अगस्त, 1971 द्वारा अभिनिर्णय हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण (3) उत्तर प्रदेश, को भेज दिया गया । सार्वजनिक सुरक्षा, सुविधा को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक जीवन के लिये आवश्यक शांति व्यवस्था सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने तथा सेवायोजन के अनुरक्षण के लिये राज्य सरकार ने उक्त ऐक्ट की धारा 3(क) के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या 4226 (एसटी)/36–क–836 (एसटी)/71, दिनांक 21 अगस्त, 1971 द्वारा इस प्रतिष्ठान में 180 दिन की अवधि के लिये हड़ताल करने अथवा तालाबन्दी की घोषणा करने का भी निषेध कर दिया है।

इस प्रतिष्ठान में लगभग 900 श्रमिक कार्य करते हैं । वाच ऐंड वार्ड एवं फायर सर्विस के श्रमिकों को छोड़ कर अन्य सभी श्रमिकों ने दिनांक 20 अगस्त, 1971 को प्रातः 6 बजे से हड़ताल आरम्भ कर दी । दिनांक 25 अगस्त, 1971 को जिलाधिकारी कानपुर के निवास स्थान पर दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप दिनांक 26 अगस्त, 1971 को दोपहर से हड़ताल समाप्त हो गई । समझौते के अनुसार हड़ताल बिना शर्त वापस करने पर दोनों पक्ष मांगों पर वार्ता करेंगे । जिन मांगों पर समझौता नहीं होगा उन्हें मुख्य मंत्री जी को मत हेतु भेज दिया जायगा और उनका मत दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि यह जो आई०ए०एल० का प्लांट फर्टिलाइजर का कानपुर, पनकी में है इसका कंट्रोल आई० सी० आई० की एक ब्रिटिश फर्म करती है और वह लगातार इसके पैसे का दुरुपयोग करती है ? उसने दिल्ली और कलकत्ते में बिल्डिंगें खड़ी की हैं, स्टाफ का खर्चा और टेलीफोन का बिल यहीं के पैसे से पे करती है जिसके कारण यहां के

[श्री चन्द्रभान शर्मा]
मजदूरों की तरफ इसके कार्यकर्ताओं का ध्यान बिलकुल नहीं है और उनकी जायज मांगें मानने में यह कोताही करते हैं । यही कारण है कि इस दफा भी हड़ताल हुई और पहली दफा भी हड़ताल हुई ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--
इन तमाम बातों को बताने के लिये तो सूचना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--
क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो हड़ताल बिना शर्त वापस हो गयी एक आपसी अच्छा वातावरण आपने तैयार किया तो क्या हड़ताल के दौरान का वेतन इन कर्मचारियों को दिया जायगा और साथ ही कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--
हड़ताल के दरमियान वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि हड़ताल निषिद्ध थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी का विक्टिमाइजेशन तो नहीं होगा ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--
जहां तक मेरा ख्याल है विक्टिमाइजेशन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस हड़ताल के सिलसिले में किसी को चार्जशीट नहीं किया गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--
अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को यह याद दिलाते हुये कि आप लेबर लीडर पहले हैं यह तो बाद की बात है कि आप सरकार में पहुंच गये हैं, क्या मंत्री जी अपनी दृष्टि से इसको उचित समझते हैं कि हड़ताल निषिद्ध थी इससे वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता है ? हड़ताल तो मिल मालिक सरकारी पक्ष से मिलकर निषिद्ध घोषित करवा लेते हैं तो क्या मंत्री जी पुनः विचार करके उनके वेतन को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--
अध्यक्ष महोदय, हड़ताल हम निषिद्ध तब करते हैं जब पहले श्रम विभाग की राय में गैर-कानूनी होती है । फिर जितनी उनकी मांगें होती हैं उनको हम न्यायालय में भेज चुके होते हैं । जब हड़ताल जारी रहने से लाखों रुपयों का प्रति दिन नुक्सान होता है । देश के उत्पादन के क्षय होने की आशंका होती है । जहां पेरेनियल फैक्टरीज हैं ऐसे स्थान पर इनको देखते हुए कभी-कभी हम हड़ताल निषिद्ध करते हैं ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--
मान्यवर, श्रम मंत्री जी ने अपनी सूचना दी है । लेकिन यह हड़ताल दूसरी बार हो रही है । उन्होंने राजाज्ञा का हवाला देते हुये यह मामला 17 अगस्त को न्यायालय भेज दिया और एसेंशियल सर्विसेज ऐक्ट में निषिद्ध कर दिया कि हड़ताल नहीं कर सकते हैं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिल मालिकों द्वारा प्रभाव डाल कर मजदूरों पर दबाव डालने के लिये यह किया गया है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--
अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में हम स्ट्राइक बैन करते हैं वह मैं निवेदन कर चुका हूं । मोटिव जो चाहे लगा सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि हड़ताल के दौरान पैसे देने का सवाल नहीं उठता । लेकिन

जब प्रश्नों पर विचार किया जायेगा और उसमें पैसा देने पर सहमति हो जाये तो वह बाधक तो नहीं होंगे ? और दूसरी बात यह कि विक्टिमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि चार्जशीट नहीं दी है। लेकिन आप जानते हैं कि चार्जशीट देकर विक्टिमाइजेशन नहीं होता बल्कि आगे चल कर अगुआ लोगों को तंग किया जायेगा । क्या मंत्री जी इसके लिये आश्वासन देंगे कि भविष्य में किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जायेगा ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, कभी भविष्य में दूसरे बहाने से उनको चार्जशीट नहीं दी जायेगी, इस बात का एश्योरेंस कोई भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं दे सकता है । जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है कि हड़ताल के दौरान वे अपने पैसे की मांग करें । वह जो चाहें अपनी मांग वार्ता के दरमियान रख सकते हैं, हम बाधक क्यों होंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस दिन से वह एसेंशियल सर्विसेज ऐक्ट में आया उस दिन से हड़ताल अमान्य हो गयी लेकिन मई वाली हड़ताल निषिद्ध नहीं थी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, पहले वाली हड़ताल बैन नहीं थी और जो दूसरी है उसे पब्लिक यूटिलिटी ऐक्ट में डिक्लेयर किया है, एसेंशियल सर्विसेज ऐक्ट में नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मजदूरों की एक मांग यूनियन को मान्यता देने की भी थी। इस संबंध में किस यूनियन को मान्यता दी जाय, क्या श्रम विभाग में उसके बारे में कोई नियम हैं ?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी--

श्रम विभाग की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु कोड आफ डिसिप्लिन और कोड आफ कन्डक्ट जो आल इंडिया लेबर कांफरेंस ने बनाया है, उसके तहत मान्यता के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

जब आप यह जानते हैं कि पिछले मई और जून में इस प्लांट में हड़ताल हुई और इस जून में भी हुई, इसका कारण केवल यह है कि यह फर्म एक ब्रिटिश फर्म है और वह यहां का रुपया बाहर ले जाकर उसका दुरुपयोग करती है और उसके ही कारण यहां के श्रमिकों को फैसिलिटी नहीं दी जाती है । एक ओर जहां सरकार हड़ताल को रोकने का प्रयास करती है तो क्या श्रमिकों और प्रदेश के हित में वह इसके मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार समझती है 13 लाख रुपया रोज के खाद के उत्पादन पर इसका असर होगा। क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया इसके द्वारा 20 लाख टन खाद का उत्पादन होता है । इसलिये सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि उत्पादन में कमी न होने पाये ।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी]

जहां तक अन्डरटेकिंग को टेक ओवर करने की बात है, इसमें आर्थिक प्रश्न निहित है। ऐसे तमाम प्रश्नों के बारे में केंद्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार से भी बातचीत करनी पड़ती है। अभी चूंकि इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि इस प्रश्न पर विचार किया जाय।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

किसानों के उत्पादन का एक बड़ा भारी साधन खाद भी है। एक तरफ तो आपने एसेन्शियल सर्विसेज ऐक्ट लगा कर मजदूरों पर हड़ताल करने की रोक लगा दी लेकिन दूसरी ओर आप इसको नेशनलाइज करने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। कृपा करके बतायें कि प्रदेश और किसानों के लिये इतने उपयोगी साधन को आप नेशनलाइज क्यों नहीं करते हैं?

(इस समय 12 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

यह तो इस सदन को तय करना चाहिये। प्रश्न हड़ताल बनाम उत्पादन की रक्षा का है। इन दोनों में से किस को प्रायोरिटी दी जाय। मौजूदा कानून में इस तरह से स्ट्राइक और तालाबन्दी के लिये निषेध किया गया है और जिन परिस्थितियों में तालाबन्दी और हड़ताल का निषेध हम करते हैं, वह मैं बता ही चुका हूं, निम्न प्रकार से हैं---

1---यदि कोई हड़ताल या तालाबन्दी गैर कानूनी हो, श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत।
2---जिससे लाखों रुपया प्रतिदिन का नुक्सान होने की संभावना हो।
3---जिससे संबंधित सारी मांगों को मजदूर अदालत में भेज दिया गया हो।
4---परपेचुअल प्रोसेसिंग फैक्टरी हो।

इस तरह की और भी कई बातों पर विचार किया जाता है जिसमें लाखों रुपये का नुक्सान होने वाला हो। अतः देश के हित को देखते हुए हम वैसा निर्णय लेते हैं। भारत में अगर सभी सदनों की अथवा किसी सदन की यह राय हो जाय कि चाहे जितना देश या उत्पादन नष्ट हो जाय लेकिन हर हड़ताल को पूर्ण रूप से एलाउ कर दिया जाय, तो हम भी उसके बारे में उसी प्रकार के नियम बना लेंगे। पहले कानून में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक ऐसी राय किसी की नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

अब यह विषय समाप्त हुआ। माननीय राजस्व मंत्री।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

बहुत से माननीय सदस्यों ने नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी हैं उसकी घोषणा आप किस वक्त करेंगे क्योंकि आज 4 बजे सदन उठ जायेगा?

श्री अधिष्ठाता---

3 बजे के बाद सूचना देंगे।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, यह जो बाढ़ का वक्तव्य है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। यह 20-25 पेज का है, इसके पढ़ने में 4 बज जायेंगे जिस रफ्तार से मंत्री लोग पढ़ते हैं एक-एक शब्द जोड़ कर। तो इस पर बहस शुरू करा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

(राजस्व मंत्री से) इसके बारे में आपका क्या विचार है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो सर्टिफिकेट हमको मिला है कि एक-एक शब्द जोड़-जोड़ कर पढ़ते हैं तो अब कुछ दिन उनसे सबक लेंगे कि जल्दी पढ़ लिया करें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों की राय है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय । इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मेरा निवेदन यह है कि जहां से जिलेवार दिया हुआ है उसको आप चाहें छोड़ दें लेकिन 4–5 सफे तक जो है उसको सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

बनारस भर के लिये, आपने मुख्य मंत्री जी के जिले को 5 रुपये दिये हैं ।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय पांडेय जी, वह विषय तो बाद में आयेगा । तो यह पढ़ा हुआ मान लिया जाता है ।

[श्री उदित नारायण शर्मा—

20 अगस्त, 1971 को मैंने सदन को प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से जानकारी करायी थी । उस समय 44 जिलों में बाढ़ का न्यूनाधिक प्रकोप था । 6 नये जिले, सहारनपुर, मैनपुरी, एटा, झांसी, लखनऊ एवं रामपुर और बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं । बाढ़ का प्रकोप अवश्य ही बहुत व्यापक पैमाने पर अभूतपूर्व हुआ है । बहुधा एक साल किसी नदी में औसतन बाढ़ आती थी, दूसरे साल दूसरी में । इस वर्ष की बाढ़ अभूतपूर्व इस माने में भी है कि इस वर्ष सभी क्षेत्रों में और सभी नदियों में बाढ़ आयी जिससे यह कहना अत्युक्ति न होगा कि सारा प्रदेश बड़े भू-भाग में पीड़ित हो गया है ।

2—पूरे अगस्त के महीने में पानी बरसता रहा जिसके कारण फसलों को, मकानों को तथा सार्वजनिक भवनों, सड़कों इत्यादि को नुकसान हुआ है । भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया है । जलमग्न क्षेत्र में हुई क्षति का ठीक अनुमान तभी लगाया जा सकेगा जबकि पानी उतर जाय और राजस्व तथा अन्य विभागों के लोग मौके पर जाकर क्षति का अनुमान लगा सकें । अब तक फसलों की अनुमानित हानि लगभग 60 करोड़ रु० आंकी गयी है । मकानों की क्षति का मूल्यांकन लगभग 3 करोड़ 88 लाख रु० है । सार्वजनिक भवनों, स्कूलों, सड़कों, बांधों और नहरों इत्यादि की क्षति का अनुमान लगभग 7.50 करोड़ रुपया आया है । इस प्रकार पूरी क्षति लगभग 71 करोड़ रु० की आ रही है । क्षति का ब्योरा निम्न प्रकार है । अभी विभिन्न विभागों द्वारा अपनी सम्पत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट आने पर क्षति का ठीक मूल्यांकन हो जायेगा ।

3—26 अगस्त, 1971 तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्षति का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) प्रभावित जिलों की संख्या	..	50
(2) प्रभावित गांवों की संख्या	..	.. 21,032

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

(3) प्रभावित जन-संख्या	..	.. 75,04,600
(4) प्रभावित क्षेत्रफल	..	.. 65,10,850 एकड़
(5) प्रभावित कृषि क्षेत्रफल	..	.. 30,54,060 एकड़
(6) क्षतिग्रस्त फसलों का मूल्यांकन		.. 60.40 करोड़ रु०
(7) क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या		.. 1,16,106
(8) क्षतिग्रस्त मकानों का मूल्यांकन		.. 3.88 करोड़ रु०
(9) मनुष्यों की मृत्यु		.. 133
(10) पशु हानि	..	.. 922

शासन ने अब तक सहायता कार्य में निम्नलिखित धनराशियां आवंटित की हैं:—

(1) अहेतुक सहायता एवं गृह निर्माण अनुदान	57.50 लाख रु०
(2) प्रकीर्ण व्यय (नावों को किराये पर लेना, डेरे, खेमे का किराया, गैस बत्ती आदि का प्रबन्ध करना)	8.96 लाख रु०
(3) आपदा तकावी	21.61 लाख रु०
कुल योग ..	88.07 लाख रु०

4—जिलाधिकारियों की अतिरिक्त धनराशि के लिये मांगें आ रही हैं। उनकी मांग तथा क्षति का विस्तार देखते हुए उनको और रुपया दिया जायेगा। वास्तव में सहायता कार्य बाढ़ के समाप्त होने पर वृहत रूप लेगा क्योंकि उसी समय लोग अपने मकानों की मरम्मत अथवा नये सिरे से मकान बनाना एवं अगली फसल के बोने का प्रबन्ध करने लगते हैं। इसलिये हर जिले में गृह अनुदान और तकावी का वितरण बाढ़ समाप्त होने पर होगा। अगली रबी की फसल के लिये बीज एवं उर्वरक का वितरण भी प्रारम्भ होगा। जिन व्यक्तियों के पशुओं की मृत्यु हो गयी है उनको पशुओं की खरीदारी के लिये तकावी उपलब्ध की जायेगी। जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे समय से तथा समुचित मात्रा में सहायता बाढ़ से पीड़ित मनुष्यों को दें।

5—प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो प्रति वर्ष काफी दिनों तक जलमग्न रहते हैं। इस साल की अप्रत्याशित अतिवृष्टि के कारण स्थिति और गम्भीर हो रही है। और ऐसे क्षेत्रों में तत्काल पानी निकालने की व्यवस्था करने के साथ-साथ कुछ ऐसे प्रबन्ध भी करना होगा जिससे अगले वर्ष में इन क्षेत्रों में पानी के निकास में सुविधा हो जाय और पुनः जलमग्न न हो।

6—बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्रति वर्ष स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की फीस माफ करने की सहायता भी दी जाती है। इस साल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी क्योंकि बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पिछली रबी की फसल अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी हैं और खरीफ की फसल भी या तो बोई नहीं जा सकी है या उसमें भी बाढ़ के कारण क्षति हुई है। बहुत से विद्यार्थियों की किताबें भी बाढ़ में खराब हो गयी होंगी। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बराबर पिछली आपदाओं के कारण खराब हो चुकी है, उनके बच्चों की फीस एव किताबों के मूल्य में आर्थिक सहायता देने के आदेश दे दिये गये हैं।

7—बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में बहुत दिनों तक सड़ान पैदा हो जाती है। वातावरण स्वास्थ्य-प्रद नहीं रहता जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। मनुष्यों एवं पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिये कदम उठाये गये हैं एवं डाक्टरों तथा दवाइयों की सुविधा इस संबंध में कर दी गयी है।

8—बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में छोटे काश्तकारों, भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा गांव के छोटे-छोटे कारीगरों की आर्थिक स्थिति इसलिये भी खराब हो जाती है कि उनके लिये जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं रह जाता । हृष्ट-पुष्ट लोगों को अधिक दिन तक निःशुल्क सहायता नहीं दी जा सकती है, इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें तथा उनके परिवार के लोगों को अगली रबी की फसल तक किसी न किसी कार्य में लगाया जाय । इसके लिये टेस्ट-वर्क द्वारा गांव की आबादी ऊंचा करने, बांधों को ऊंचा करने तथा सड़कों आदि पर मिट्टी फेंकने के कार्य पर उन्हें लगाने की व्यवस्था करने के लिये समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है ।

9—क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या इस साल अधिक है । सरकार की ओर से पक्के मकान बनाने अथवा मरम्मत के लिये 300 रु० और कच्चे मकान बनाने और मरम्मत के लिये 200 रु० तक अनुदान मिल सकता है । छोटे काश्तकारों को जिन्हें झोंपड़ी बनानी है उनके लिये विवेकानुसार कम धनराशि दी जायगी । इसके अलावा मकान बनाने के लिये ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा । जिलाधिकारियों के पास छोटे मकानों के नमूने भेज दिये गये हैं जिससे जिन लोगों को नये मकान बनाने हैं वे उन्हें सुनियोजित ढंग से बना सकें । जिलाधिकारियों से यह भी कहा गया है कि आबादियों के बनते समय वे यह सुनिश्चित कर लें कि सीधी सड़क, गलियों, नालियों इत्यादि को बनाने के लिये भी समुचित जगह का प्रबन्ध कर लिया जाय ।

10—इस साल अहेतुक सहायता पाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी क्योंकि बाढ़ का विस्तार बहुत व्यापक रहा है । शासन ने अहेतुक सहायता की अधिकतम सीमा प्रति परिवार 25 रु० से 100 रु० कर दी है ।

11—पिछली रबी की फसल नष्ट होने के साथ-साथ भूसे का भी बृहत नुकसान हुआ है । चरी इत्यादि भी निरन्तर वर्षा होने के कारण बहुधा नहीं हुई है । जिसके कारण कुछ जिलों में तो चारे का अभाव अभी हो गया है और अगले महीने में कुछ और जिलों में चारे का अभाव अवश्य होगा । सरकारी फार्मों पर जो भूसे का भंडार उपलब्ध है उसको आवश्यकतानुसार उन जिलों को भेज देने के लिये आदेश दे दिया गया है जहां पर कि भूसे-चारे की कमी हो गयी है। पशुपालन निदेशक ने एक ठेकेदार की नियुक्ति भी कर दी है जिसके द्वारा भूसे की मांग की पूर्ति जिलों में हो सके ।

12—अगली रबी के लिये बीज और उर्वरक का भी छोटे काश्तकारों के लिये प्रबन्ध करना है। काफी संख्या में ऐसे छोटे कृषक होंगे जिन्हें रियायती मूल्य पर ये वस्तुयें उपलब्ध अवश्य हो सकती हैं जिससे कि वे रबी की फसल समय से बो सकें तथा उसमें उर्वरक का उपयोग भी कर सकें ।

13—बाढ़ के कारण सड़कों, पुलों, सिंचाई के गूलों तथा अन्य सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है । इसमें सबसे अधिक नुकसान सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को हुआ है। सड़कें तो इस साल कम कटी हैं लेकिन सड़कों के ऊपर पानी बहुत देर तक रुकने के कारण वे खराब हो चुकी हैं और उनके बनने में अधिक व्यय होगा । सिंचाई विभाग ने प्रारम्भिक रूप से 2,35,00,000 रुपये का खर्च अपनी सम्पत्तियों के नुकसान की मरम्मत का लगाया है । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी अपनी सम्पत्तियों की मरम्मत इत्यादि में लगभग ढाई करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है । अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों का भी जो नुकसान हुआ है उसे लेकर अनुमान है कि साढ़े सात करोड़ रुपये का व्यय सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत इत्यादि में लगेगा ।

14—बाढ़ के समय नावों की बहुत आवश्यकता पड़ती है । सभी गांव सभाओं को जो नदियों के किनारे हैं कहा गया है कि वे बड़ी नावों का प्रबन्ध कर लें । इसके लिये शासन

[श्री उदितनारायण शर्मा]

से 60 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है । अगर कोई गांव सभा ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह नाव का प्रबन्ध कर सके तो एक से अधिक सभायें मिलकर एक नाव का प्रबन्ध कर सकती हैं ।

15—जिन जिलों में फसलों का अधिक नुकसान हुआ है वहां की मालगुजारी, लगान, तकावी, सिंचाई देय तथा अन्य कृषि देय, हाल व बकाया की वसूली 15 अक्तूबर, 1971 तक स्थगित कर दी गयी है । इसकी धनराशि लगभग 21 करोड़ रुपये है । विधायकों द्वारा भी जिन जिलों में फसलों को अधिक नुकसान होने की सूचना समय-समय पर दी जाती रही है उस पर भी मालगुजारी इत्यादि देयों की वसूली स्थगित की गयी है । व्यक्तिगत रूप से भी यदि कभी कोई व्यक्ति परेशानी में आया कि वह सरकारी देयों का भुगतान नहीं कर सकता है तो विधायकों की सिफारिश पर उसके देयों की वसूली भी स्थगित की गयी है । कहीं-कहीं विधायकों द्वारा इस बात की पुष्टि होने पर कि किसी गांव अथवा तहसील में भारी क्षति पहुंची है वहां की मालगुजारी/लगान, इत्यादि की वसूली रोकी गयी है । बाढ़ घटने पर नुकसान की सही स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद मालगुजारी/लगान की छूट अथवा वसूली और आगे स्थगित करने पर विचार कर लिया जायेगा ।

16—जहां कहीं सहायता सामग्री का वितरण ठीक न होने की शिकायतें आईं उनको ठीक करने का प्रयास किया गया । सभी जिलाधिकारियों को यह हिदायत कर दी गयी है कि वे अपने जिले में सहायता कार्य व सामग्री वितरण किस प्रकार हो इसके लिये जिले के सभी विधायकों को बुलाकर परामर्श कर लें और उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यान दें और यथासंभव उन्हें कार्यान्वित करें ।

17—क्षति और बाढ़ से पहुंची हुई जन-साधारण की पीड़ा हृदय दहलाने वाली है । शासन इसके प्रति जागरूक है और अपनी सीमा के अन्दर यथाशक्ति पीड़ितों की सहायता व सेवा करने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय सरकार से तदर्थ रूप से 2 करोड़ रुपये ऋण के रूप में सहायता कार्य के लिये अभी तक प्राप्त हुआ है । भारत सरकार का एक अध्ययन दल बाढ़ से हुई क्षति का निरीक्षण करने के लिये आया है । आज वह अपने दौरे से लौटकर शासन के संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रहा है । शासन ने भारत सरकार से 42 करोड़ रुपये सहायता देने के लिये अनुरोध किया है । केंद्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही भारत सरकार और धनराशि उपरोक्त सहायता के लिये उपलब्ध कर सकेगी । मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सहायता देने के संबंध में जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे उनकी पूर्ति के लिये शासन भरसक प्रयत्न करेगा । अब मैं बाढ़ का विवरण जिलेवार दे रहा हूं। प्रत्येक जिले में हुई क्षति का अनुमान तथा सहायता के लिये दी गयी धनराशि का विवरण संलग्नक में दे दिया गया है ।

बलिया

बलिया जिले में मुख्य रूप से गंगा और घाघरा नदियों में बाढ़ आई है । 26 अगस्त को गायघाट पर गंगा का जलस्तर 187.2 फीट था जबकि उच्च बाढ़ स्तर 192 फीट है । लाटघाट पर गंगा का जलस्तर 21 अगस्त को 194.1 फीट था जो बाद में 23 अगस्त को घटकर 192.5 फीट रह गया । इस स्थान पर गंगा का उच्च बाढ़ स्तर 198.5 फीट है । इस समय गंगा घट रही है । घाघरा नदी का जलस्तर तुर्तीपार पर 212 फीट तथा चांदपुर पर 195.4 फीट था । जबकि इन स्थानों पर उच्च बाढ़ स्तर क्रमशः 211 फीट तथा 196 फीट है । घाघरा अभी धीरे-धीरे बढ़ रही है । दोनों नदियों के क्षेत्र में कटान का क्रम जारी है । 21 अगस्त को बलिया बेरिया बांध के स्तर 4 व 6 के बीच नदी की तरफ का ढलान 80 फीट की लम्बाई में कट रहा था । 30 फीट की लम्बाई में ढलान बिल्कुल बह गया था और ऊपर सड़क की पटरी भी तीन से पांच फीट की चौड़ाई में कट गयी थी । बांध के बचाने के प्रयास जारी हैं और बांध अभी सुरक्षित है । गंगा भी अब घट रही है ।

देवरिया

यह जिला बड़ी गंडक, छोटी गंडक, घाघरा, राप्ती एवं बांसी नदियों की बाढ़ से प्रभावित हुआ है। इन नदियों का जलस्तर 26 अगस्त को क्रमशः 309.1 फीट (निम्न बाढ़ स्तर 314.25 फीट) 217.80 फीट(निम्न बाढ़ स्तर 22.0फीट), 220.15 फीट (उच्च बाढ़ स्तर 218.60 फीट,238.30 फीट), (मध्यम बाढ़ स्तर 235 फीट तथा उच्च बाढ़ स्तार 239 फीट) तथा 246.56 फीट (मध्यम बाढ़ स्तर 245 फीट तथा उच्च बाढ़ स्तर 248 फीट) था। इस समय केवल घाघरा बढ़ रही है जबकि अन्य नदियां घट रही हैं।

तहसील सलेमपुर तथा देवरिया में छोटी-छोटी नदियों में भी बाढ़ है।

खड्डा-छितौनी, अटहा-छितौनी, रुद्रपुर-गजपुर, पडरौना, कीनर पट्टी छितौनी, नवरगिया सी०सी० रोड सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं और उनकी मरम्मत कर दी गई है। तहसील पडरौना में 6,828 व्यक्तियों को बाढ़ शरणालय में पहुंचाया गया और उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 14 हैन्ड पंप लगाये गये हैं। तहसील हाटा में 9,936 व्यक्तियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था की गई है, 17 टिन शेड तथा 18 हैन्ड पंप लगाये गये हैं। तहसील सलेमपुर तथा तहसील देवरिया के 2,451 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और खाने का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त बाढ़ से निराश्रित लगभग 30 हजार व्यक्तियों के भोजन इत्यादि का प्रबन्ध किया गया है। अभी भी पीड़ितों को पानी से घिरे स्थानों से हटाया जा रहा है। सहायता तथा सुरक्षा कार्य में 409 नावें लगी हैं।

गोंडा

इस जिले में सरजू, घाघरा तथा राप्ती नदियों में बाढ आई। सरजू नदी का मध्य बाढ़ जलस्तर 342 फीट और उच्च बाढ़ जल स्तर 344 फीट है। 25 अगस्त को इस नदी का जलस्तर 342.25 फीट रहा। घाघरा नदी का जलस्तर उस समय 106.35 मीटर रहा जो मध्य बाढ़ जलस्तर 106.15 मीटर के ऊपर तथा उच्च बाढ़ स्तर 106.75 मीटर से नीचे था। राप्ती नदी का वर्तमान जल स्तर 342.20 फीट है जो न्यूनतम बाढ़ स्तर 342.00 फीट से कुछ ऊपर है। तीनों नदियों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खड़ी फसलों में कीड़ों से बचाव का प्रयास हो रहा है। बलरामपुर-तुलसीपुर, तुलसीपुर–इटवा तथा हरिहरगंज–ललिया सड़कें एक-एक स्थान पर कट गई थीं। इनकी मरम्मत हो रही है। बलरामपुर,–तुलसीपुर सड़क पर यातायात आरम्भ हो गया है। बाढ़ से घिरेहुए 1,954 मनुष्यों, 4,906 पशुओं को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बलरामपुर तहसील के विलोहा ग्राम में एक टिन शेड बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिये बनाया गया। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों को स्कूलों,बाढ़ शरणालयों में रहने की व्यवस्था की गई। सहायता कार्य में 305 नावें व 1 मोटर लांच लगाई गई। 24 अगस्त, 1971 से सेना की 6 नावें भी सुरक्षा व सहायता कार्य में लगी हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिये 1,288 मनुष्यों को हैजे के टीके एवं 6,105 कुओं में दावाई डाली गई। 8,184 रोगियों को दवाइयां दी गईं। पशुओं के लिये वन विभाग के कुछ ब्लाक निःशुल्क चराई के लिये खोल दिये गये हैं।

आजमगढ़

घाघरा, टोंस, वेसो, उवेंती, गांगी, मगई, ओरा, नोनी, दोना, छोटी सरजू, कुंवर नुमुई और भैसुही नदियों में बाढ़ आई जिनमें से गांगी, मगई, ओरा, नोनी और दोना नदियों को छोड़कर शेष नदियों में बाढ़ अभी तक बनी हुई है। घाघरा का 26 अग त को जलस्तर 229.6 फीट था। जो मध्यम बाढ़ स्तर 228 फीट के ऊपर है और खतरे का स्तर माना जाता है। इस नदी का जल स्तर 9 अगस्त 1971 से मध्यम बाढ़ स्तर से ऊपर बना रहा है। टोंस का

[श्री उदित नारायण शर्मा]

वर्तमान जल-स्तर 241.4 फीट है जो मध्यम बाढ़ स्तर 241.51 फीट से थोड़ा कम है । इन दोनों नदियों का जलस्तर मंद गति से बढ़ रहा है अन्य नदियों में जल घट रहा है। जिला परिषद् की एक सड़क 6 फीट की लंबाई में कट गई थी। इस पर इस समय आने-जाने में कोई बाधा नहीं है । सहायता तथा सुरक्षा कार्य में 150 नावें लगी हुई हैं । खतरे के स्थान से 670 मनुष्यों व 450 पशुओं को निकाला गया ।

बस्ती

घाघरा, राप्ती, बूढी राप्ती, बानगंगा, कूंडा, घोंघा, बिलार, अमुआर, आमी, कुवानों, मनोरमा और रायरेखा में बाढ़ आई । राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा और कुंडा नदियों का इस वर्ष सबसे ऊंचा जलस्तर क्रमशः 287 फीट, 278 फीट 308 फीट तथा 277.50 फीट रहा । इनका 26 अगस्त को जलस्तर क्रमशः 284 फीट 272 फीट, 305 फीट तथा 275 फीट है । सभी नदियां इस समय घट रही हैं । बस्ती में 7 सड़कें जगह-जगह कट गई थीं या इन पर पानी आ गया था, यातायात के लिये इन पर नावों का प्रबन्ध किया गया है। बस्ती-फैजाबाद मार्ग पर लोहे की पटरियां डालकर यातायात चालू कर दिया गया है । बाढ़ सहायता कार्य में 308 नावें लगाई गई हैं । अब तक 4,182 मनुष्यों तथा 4,510 पशुओं को खतरे के मुकाम से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उनके अस्थायी आवास का प्रबन्ध कर दिया गया ।

फैजाबाद

इस जिले में घाघरा, तमसा, टोंस, भंडता, बिसुई, मझुई, टोंडी, पिकिया, डूंडी नदियों तथा थिरुवा नाला में बाढ़ आई । केवल घाघरा नदी का जलस्तर टांडा तहसील में धीमी गति से बढ़ रहा है । अन्य नदियों का जलस्तर घट रहा है। सुरक्षा कार्यों के संबंध में 101 नावें लगाई गई थीं। 4,313 मनुष्यों और 2,890 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। इलाहाबाद—फैजाबाद रोड तथा फैजाबाद—रायबरेली रोड पर सड़कों का कटाव हुआ था । कोई पुल नहीं बहा । फैजाबाद-इलाहाबाद रेलवे लाइन को भदरसा टाउन एरिया के पास काट दिया गया था जो कुछ ही घं. में ठीक करदी गई । गोंसाईगंज सड़क पर एक सप्ताह तक पानी भरा रहा । यहां नाव द्वारा यातायात का प्रबन्ध किया गया । गोसाईगंज—मीटी, नवरी-जलालपुर सड़कें जगह-जगह काट दी गयी थीं। अकबरपुर टोंस नदी का पुल टेढ़ा हो गया । अकबरपुर गोसाईगंज सड़क पर एक पुलिया धंस रही है। तहसील बीकापुर में 7 सड़कें जगह-जगह काट दी गई थीं, इनमें से फैजाबाद-रायबरेली रोड पर यातायात अभी चालू नहीं है।

वाराणसी

गंगा, बढ़ई और चन्द्रप्रभा नदियों में इस वर्ष बाढ़ आई । इस बाढ़ में गंगा का उच्चतम स्तर 72.621 मीटर रहा जो सन् 1948 के उच्चतम स्तर 75.675 मीटर से नीचे था । 26 अगस्त को गंगा का जलस्तर 65.491 मीटर था जो खतरे के बिन्दु से बहुत नीचे है । जिले में 11 सड़कों को बाढ़ से क्षति पहुंची लेकिन यातायात अवरुद्ध नहीं हुआ। सहायता कार्य में 238 नावों का उपयोग किया गया और 1,380 मनुष्यों तथा 2,105 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये 2,085 कुओं में लाल दवा डाली गई, 4,659 व्यक्तियों को हैजे का टीका लगाया गया तथा 19,967 पशुओं को गलाघोटू बीमारी से बचने के टीके लगाये गये पशुओं के चारे की कमी को दूर करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

गाजीपुर

यह जिला गंगा, गोमती, गांगी, उदन्ती, बेसा, भैंसही, टोंस तथा कर्मनाशा नदियों में बाढ़ से प्रभावित हुआ है । ज्यादातर नदियां गंगा की बाढ़ से प्रभावित हुईं । गंगा का पानी

घट रहा था कि कर्मनाशा ने 13 अगस्त, 1971 को उग्ररूप धारण कर लिया, परन्तु 14 अगस्त, ही से इसका जल घटने लगा । इस बाढ़ में गंगा का उच्चतम जलस्तर 217.20 फीट रहा जबकि मध्यम और उच्च बाढ़ स्तर क्रमशः 213 फीट और 221 फीट है। 25 अगस्त, 1971 को गंगा का जल-स्तर 208 फीट एवं टोंस का 219.50 फीट है ।

रेवतीपुर रिंग बांध की पुलिया और सैदपुर टाउन एरिया का एक पुल तथा 25 सड़कों के टूट जाने से जिले में यातायात में अवरोध उत्पन्न हो गया था, बल्लियां गाड़कर अथवा नावों की व्यवस्था करके यातायात चालू किया गया । इस समय सभी नदियों का पानी घट रहा है । 357 नावों का प्रबन्ध किया गया और 11,775 मनुष्यों तथा 28,679 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया । चारे की कमी को पूरा करने हेतु प्रबन्ध किया जा रहा है ।

मिर्जापुर

इस जिले में सोन, गंगा और गरई नदी में बाढ़ आई जिसकी अवधि क्रमशः 5 दिन, 12 दिन और 12 दिन रही । इस समय सभी नदियों में बाढ़ उतर गई है। इस वर्ष गंगा का उच्चतम जलस्तर 257.50 फीट था जबकि मध्यम बाढ़ स्तर 252 फीट है । जिले की नौ सड़कें जगह-जगह कट गई थीं जिनकी मरम्मत की जा रही है और यातायात की अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। चोल्हघाट पर बना पीपे का पुल बह गया था। बाढ़ कार्य में 340 नावों का उपयोग किया गया 10,100 मनुष्यों तथा 13,360 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ।

सुल्तानपुर

यह जिला गोमती नदी की बाढ़ से प्रभावित हुआ । इस वर्ष गोमती का उच्चतम स्तर 278.2 फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर 282 फीट से नीचे था । इस समय नदी घट रही है । सुल्तानपुर-लखनऊ सड़क तीन स्थानों पर, सुल्तानपुर-फैजाबाद रोड 2 स्थानों पर गंहेड़ी-मंडरा सड़क तथा कूड़ेभार-धनवांतिगंज सड़क एक-एक स्थान पर कट गई थी गंहेड़ी-मंडरा सड़क जिला परिषद् की सड़क है, ठीक नहीं की जा सकी है। बाकी सभी सड़कों पर यातायात जारी कर दिया गया है। सुल्तानपुर-अमेठी मार्ग को लोगों ने काट दिया था जो अब ठीक कर दिया गया है । चौका से पट्टी रोड और कादीपुर से अखंडनगर रोड भी कट गई है । इस पर मरम्मत का कार्य हो रहा है । 15 सरकारी तथा 52 निजी नावों से सहायता तथा सुरक्षा का कार्य किया गया 170 मनुष्य तथा 4000 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ।

बाराबंकी

घाघरा तथा उसकी सहायक नदियां चौंका तथा सिमली और सीता में बाढ़ आई । घाघरा का जलस्तर 26 अगस्त को 348.94 फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर 347 फीट से ऊपर था । इस समय नदी घट रही है । इस नदी में इस वर्ष उच्चतम स्तर 350.08 फीट पहुंच गया था जबकि उच्च बाढ़ स्तर 350 फीट ही है। इस समय बाढ़ घट रही है । सहायता और सुरक्षा में 44 नावें लगाई गई और 1493 मनुष्यों और 3124 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

शाहजहांपुर

रामगंगा, गंगा, सोत तथा बहगुल नदियों में बाढ़ आई थी । रामगंगा का जलस्तर इस समय इस जिले में निम्न बाढ़ स्तर से नीचे हैं । गंगा का जलस्तर भी घट रहा है । अल्हागंज-जलालाबाद सड़क एक स्थान पर कट गई थी । बाढ़ के समय नावों का प्रबन्ध कर दिया गया था । सहायता कार्य में कुल ७ नावों का प्रबन्ध किया गया और

श्री उदित नारायण शर्मा]

687 मनुष्यों और 235 पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। परगना खेड़ा बल्लेड़ा के कुछ ग्राम रामगंगा की स्पिल चैनेल की बाढ़ आने से विशेष रूप से प्रभावित हो जाते हैं और इनकी स्थिति एक टापू सी हो जाती है। इस स्पिल चैनेल के बन्द करने की योजना बहु व्यय साध्य होगी और इसलिये अव्यवहारिक है।

जौनपुर

गोमती, सई, बसुही, पीली और वरुणा नदियों में बाढ़ आई। 26 अगस्त, 1971 को गोमती का जलस्तर 24.75 फीट था और सई का 88.83 फीट था जबकि इन दोनों नदियों का उच्च बाढ़ स्तर क्रमशः 26 फीट और 87 फीट है। सभी नदियों का बढ़ना बन्द हो गया है और घटने का रुख है। जौनपुर-इलाहाबाद सड़क पर बखुदारपुर के पश्चिम की तरफ पानी आ गया है और सड़क कट रही है। यातायात के लिये 4 नावों का प्रबन्ध किया गया। विभिन्न स्थानों पर 11 नावों से सहायता कार्य किया गया। 17 व्यक्ति और 45 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया। बाढ़ के अतिरिक्त अतिवृष्टि से खरीफ की फसलों को व्यापक क्षति हुयी है तथा बहुत से मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

प्रतापगढ़

सई, चमडौरा, लोनी, बकुलाही, सकरनी और गंगा नदियों में बाढ़ आई। सई नदी का उच्चतम जलस्तर इस बाढ़ में 23 फीट रहा जो अब घट रहा है। लखनऊ-वाराणसी, जेठवारा-लालगोपालगंज, जौनपुर-प्रतापगढ़, चांदा-पट्टी, सांगीपुर-अलेहा सड़कें कट गई थीं, 123 मनुष्यों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जहां आवश्यकता हुई स्थानीय नावों से कांम लिया गया।

बदायूं

इस जिले में गंगा, रामगंगा, सोन, अरिल, सहावा, बरदमार, टिकटा, अन्धइया नदियों में बाढ़ आई। इस समय बाढ़ की स्थिति नहीं रह गयी है। इस वर्ष गंगा का उच्चतम स्तर, उच्च बाढ़ स्तर 588.50 फीट के मुकाबले 586.62 फीट रहा। 26 अगस्त को गंगा का जलस्तर 585.30 फीट था। यातायात में कोई असुविधा नहीं उत्पन्न हुई और चारे की कोई कमी नहीं है।

गोरखपुर

इस जिले में रोहिन, आमी, कुआनो, घोघी, राप्ती तथा घाघरा नदियों में बाढ़ आई हुई है। राप्ती नदी का 26 अगस्त को जलस्तर 248.30 फीट था जो खतरे के बिन्दु से ऊपर रहा इसका जलस्तर इस समय रुका हुआ है। घाघरा नदी का वर्तमान जलस्तर 229.50 फीट है जो कि मध्य जलस्तर से ऊपर है और बढ़ रहा है। बाढ के कारण बड़हलगंज-पटना रोड तहसील, बांसगांव में तथा फरेंदा-धानी रोड तहसील फरेंदा, में क्षतिग्रस्त हुई। जहां यें सड़कें कट गई वहां यातायात के लिये नावें लगाई गई हैं। इस समय 327 व्यक्तियों को खतरे के स्थानों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से रखा गया है तथा उनके खाने-पीने का प्रबन्ध किया जा रहा है। खतरे के स्थान से निकाले गये तथा पानी से घिरे हुए गांव बासियों को आने-जाने की सुविधा के लिये ३८४ नावें इस समय बाढ़ सहायतार्थ लगी हुई हैं। चारे की समस्या को हल करने के लिये जंगल खुलवा दिये गये हैं और तत्काल चारे की कोई समस्या नहीं है। तहसील, फरेंदा में धानी ग्राम के पास के टेस्ट वर्क से बना हुआ बांध टूट गया है जिससे कि कई गांव पानी से चारों ओर से घिर गये हैं। उन ग्रामों में सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। नावें लगी हुई हैं और जीवन के लिये आवश्यक सामग्री प्रदान की जा रही है। स्थिति गम्भीर होने पर ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थान पर हटाने की पूर्ण व्यवस्था है।

हरदोई

इस जिले में गंगा, रामगंगा, कुंडा, निलप्रन, गर्रा नदियों में बाढ़ आई । सभी नदियां घट रही हैं । 1070 मनुष्यों तथा 1207 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया जो अभी खाली ग्राम समाज के बंजरों तथा खेतों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं । 8 नावों का प्रबन्ध किया गया है । सन्डीला-बेनीगंज मार्ग, बनवारी-बिलराचवां मार्ग पर अनेक स्थानों पर पानी बहने के कारण सड़क कट गई थी । संडीला-बेनीगंज मार्ग पर यातायात चालू है पर पनवारी-बिलराचवां मार्ग के बिलग्राम कन्नौज सेक्शन के 8वें व नवें मील पर सड़क कट जाने से यातायात बन्द है । हरदोई-सन्डीला मार्ग पर एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, पर यातायात चालू है । लखनऊ-हरदोई मार्ग पर 176 वें किलोमीटर पर एक पुलिया टूट गयी ह तथा 47व मील पर सड़क बैठ गयी है । बिलग्राम-शाहाबाद मार्ग के 44वें मील पर गड़ारें पड़ गयी हैं और यातायात में असुविधा है तथा 37वें मील पर सड़क पर पानी भर गया है जिससे यातायात बन्द है । हरदोई-पिहानी मार्ग पर अनेक स्थानों पर पुलिया टूट गयी जिसे तख्तों से पाटकर यातायात चालू कर दिया गया है । इसमें मार्ग के कई भाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं । हरदोई बावन मार्ग के 5वें व 6वें कि० मी० पर बाढ़ के कारण सड़क टूट गयी है । इटौली-गोपामऊ मार्ग के 10वें मील पर सड़क बह गई है । राधेपुर सकतपुर, मुरलीपुर सी०सी० ट्रैक, पीहानी, गौशाला सी०सी० ट्रैक में कहीं-कहीं पटरी कट गयी है और सड़क बैठ गयी है ।

बांदा

इस जिले में केन, यमुना और चन्द्रावल नदियों में बाढ़ आई थी । इस समय सभी नदियां अपने-अपने सामान्य स्तर पर आ गई हैं । इस जिल में सड़कों तथा पुलों आदि की कोई क्षति पहुंचने की सूचना नहीं मिली है । बाढ़ सहायता में 2 स्टीमर तथा 67 नावों का प्रयोग किया गया । 2,277 मनुष्यों तथा 1,600 पशुओं को खतरे के स्थान से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया ।

मथुरा

यमुना नदी में बाढ़ के कारण पानी समीप के क्षेत्रों में भर गया है तथा नालों द्वारा निचले क्षेत्रों में जाकर रुक गया है जिससे अनेक गांव प्रभावित हुए और खरीफ की फसलें नष्ट हो गयीं । पानी की निकासी का प्रबन्ध जारी है । यमुना नदी का इस बाढ़ में सबसे ऊंचा जल स्तर 547.70 फीट था जो खतरे के निशान से 5.70 फीट अधिक रहा । वर्तमान जलस्तर 541.70 फीट है और बराबर घट रहा है । मथुरा-देहली सड़क पर छाता के समीप और मथुरा-बरेली सड़क पर मील नं० 128 पर पानी भर गया था जिसकी निकासी का प्रबन्ध कर दिया गया है । सड़कों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची । 2,095 मनुष्यों को और 1,327 पशुओं को खतरे के स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर अस्थायी रूप से रखा गया है । पशुओं के चारे व मनुष्यों को भोजन की व्यवस्था जहां जरूरत हुई, कर दी गयी । मनुष्यों के ठहरने की व्यवस्था बाढ़ चौकियों के समीप ऊंचे क्षेत्रों में, स्कूल व सार्वजनिक स्थानों पर की गयी । खतरे के स्थानों से निकालने तथा घिरे हुए गांवों को आने-जाने की सुविधा के लिये 19 नावों की तुरन्त व्यवस्था की गई ।

रायबरेली

इस जिले में 26 अगस्त को गंगा का जलस्तर मध्यम बाढ़ स्तर 322 फीट के मुकाबले 325·3 फीट तथा सई का मध्यम बाढ़ स्तर 337 फीट के मुकाबले 337.3 फीट रहा । दोनों नदियां घट रही हैं । बाढ़ से रायबरेली-फैजाबाद रोड कटी थी, जिस पर कुछ दिनों के लिये यातायात अवरुद्ध हो गया था । सहायता कार्य में 12 नावों का उपयोग किया गया । 200 व्यक्तियों तथा 654 पशुओं को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर रखा गया । मनुष्यों

[श्री उदित नारायन शर्मा]

को धर्मशाला एवं पंचायत घरों में ठहरने की व्यवस्था की गई । जीवनोपयोगी वस्तुएं बांटी गई । अब स्थिति सामान्य है । संक्रामक बीमारियों को रोकने के प्रयास किये गये ।

फर्रुखाबाद

गंगा,रामगंगा, काली नदी और बूढ़ी गंगा में बाढ़ आई । गंगा का जलस्तर निम्न बाढ़ स्तर 137.9 मीटर से नीचे 137.00 मीटर तक ही रहा, परन्तु जिले की उत्तरी पूर्वी सीमा पर रामगंगा की बाढ़ का पानी गंगा नदी में आने से फर्रुखाबाद और कन्नौज तहसीलों के बहुत से गांव बाढ़ से प्रभावित हुए । इसके अतिरिक्त बूढ़ी गंगा और काली नदी का जलस्तर बढ़ा और उससे कुछ गांव प्रभावित हुए । इस समय इन नदियों में बाढ़ घट गई है । सहायता कार्य में 25 नावें लगाई गई थीं । 452 व्यक्तियों को बाढ़ से घिरे स्थानों से निकाल कर बाढ़ शरणालयों में पहुंचाया गया ।

आगरा

यमुना, सेंगुर, चंबल तथा उंटगन नदियों में बाढ़ आई । यमुना का निम्न, मध्यम तथा उच्च बाढ़ स्तर जिले में क्रमशः 497 फीट 499 फीट तथा 500 फीट माना जाता है । इस वर्ष सर्वोच्च जल स्तर 499.2 फीट रहा जब कि 26 अगस्त को 493.6 फीट था । सभी नदियां घट रही हैं । बटेश्वर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक सड़क लगभग 1 फर्लांग तक डूबी रही । बटेश्वर में जिला परिषद् की एक सड़क मंदिर से अस्पताल तक कट गई । आगरा-जगनेर-तातपुर रोड पर भी पानी आ गया था । कागारौल-किरावली सड़क को भी कुछ नुकसान पहुंचा । बाढ़ के समय 145 मनुष्यों व 30 पशुओं को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर हटाना पड़ा । बाढ़ उतर जाने के कारण वे अब अपने स्थानों को लौट गये हैं ।

देहरादून

जाखन, बिंडाल, सुआरना, शीतला, रिसपना, चन्द्रभागा, सोंग, बादल, नालापानी गंगा एवं यमुना नदियों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आई । इस वर्ष पहाड़ी नदियों का सबसे ऊंचा स्तर 5 फीट रहा तथा निम्न स्तर 1 फुट रहा है । इस समय इन नदियों का पानी घट रहा है । शीतला नदी का बहाव अपने स्थान से हट जाने के कारण ग्राम छरबा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहसपुर-लोधा सड़क पर पानी बहने लगा । इस कारण छरबा ग्राम की आबादी को सुरक्षित स्थान पर समय रहते हुए पहुंचाया गया । सहसपुर-लोधा सड़क पर गाड़ियों का यातायात बन्द है तरन्तु पैदल यात्री आ-जा सकते हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नदी पर बांध बनाना प्रारम्भ कर दिया है । प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया । खाने-पीने की व्यवस्था वे लोग स्वयं कर रहे हैं । इन व्यक्तियों को अहेतुक सहायता भी दे दी गई ।

एटा

इस जिले में गंगा नदी में बाढ़ आई और इसका जलस्तर 587.6 फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर से 2.6 फीट अधिक था । नदी का 25 अगस्त को जलस्तर 585.52 फीट रहा । पानी निरन्तर घट रहा है । इस जिले में बाढ़ का प्रकोप कम रहा । उठेर बांध को जो क्षति पहुंची है, उसकी मरम्मत के बारे में उचित कार्यवाही की जावेगी ।

लखनऊ

इस जिले में गोमती नदी, सई नदी तथा बेता नाला में बाढ़ आई जो अब घट रही है । गोमती नदी का इस वर्ष 18 अगस्त को सबसे ऊंचा जलस्तर 354.35 था जो खतरे के बिन्दु 362.50 फीट से कम था । सई नदी का सबसे अधिक जलस्तर 13.50 फीट था । दोनों नदियां घट रही हैं । बेता नाला का जलस्तर 378 फीट तक पहुंचा था जो खतरे के बिन्दु 370 फीट से अधिक था । यह भी घट रहा है । मलिहाबाद-मोहान मार्ग बेतापुल से उत्तर की ओर 1 मीटर छोड़ कर सब कट गया । लखनऊ-हरदोई

मार्ग 26 वें कि०मी० पर वर्षा के कारण धंस गया । खतरे के स्थानों से मनुष्यों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई । तहसील, मलिहाबाद में गोमती नदी में गांव सभा की 3 नावों का प्रयोग आने-जाने की सुविधा के लिये किया जा रहा है ।

झांसी

इस जिले की 2 पहाड़ी नदियों जामनी व शहजाद में बाढ रही । 820 मनुष्यों को खतरे के स्थान से हटा कर म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूलों, धर्मशाला, आदि में ठहराया गया व खाने का प्रबन्ध किया गया ।

सीतापुर

इस जिले में घाघरा, गोगरहिया, चौका तथा बकवा नालों में बाढ़ आई । इस जिले में मई मास से ही वर्षा होते रहने से निचले भाग जल मग्न हैं । तहसील सिधौली में सकलपुरवा, केवड़ा, कनरखी और अंगरौरा तथा तहसील सिधौली व बिसवां के गांजरी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ । तहसील बिसवां के चेहलुचा, हरमी, बेहड़, चंटु, आसोत, अंधपुर और जटपुरवा आदि गांव विशेष रूप से प्रभावित हुए । यहां के निवासियों, पशुओं आदि को निकाल कर ऊंचे स्थान पर बसाया गया है और उनकी सहायता तथा सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जा रहा है खतरे के स्थानों से कुल 430 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया । लहरपुर-तम्बौर रोड 5 वें मील पर जलमग्न हो गई थी पर कोई हानि नहीं हुई । पशुओं के लिये चारे की अभी कोई कमी नहीं है ।

बहराइच

घाघरा, सरयू तथा राप्ती नदियों में बाढ़ आई । सरयू और राप्ती में बाढ़ केवल तीन दिन रही और 22 अगस्त को समाप्त हो गई । घाघरा में बाढ़ अभी तक बनी हुई है लेकिन इसका भी पानी घट रहा है । इस वर्ष घाघरा का उच्चतम जलस्तर 106.65 मीटर रहा जो उच्च बाढ़ स्तर से केवल 10 से० मी० कम रहा । 26 अगस्त को घाघरा का जलस्तर 106.27 मीटर था । बहराइच-जरवल रोड सड़क केसर गंज और जरवल रोड के बीच कई स्थानों पर कट गई है । इसकी मरम्मत कर दी गई है जिससे भारी गाड़ियों को छोड़कर यातायात चालू हो गया है । बाढ़ कार्य में 315 नावों का प्रयोग किया गया तथा लगभग 3,900 आदमियों तथा 325 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया ।

जालौन

इस जिले में यमुना, बेतवा तथा पहूज नदियों में बाढ़ आई । इस वर्ष यमुना नदी का उच्चतम जलस्तर 373.50 फीट था जबकि यमुना का उच्च तथा मध्यम बाढ़ स्तर क्रमशः 352.50 फीट तथा 346.00 फीट है । 26 अगस्त को यमुना का जल स्तर 338 फीट था और निरन्तर घट रहा था। इस समय जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं है । 2 सार्वजनिक सड़कों तथा जिला परिषद् स्कूल भदांव को क्षति पहुंची । क्षतिग्रस्त सड़कों पर दो तीन दिन के अन्दर ही यातायात चालू हो गया । 11 नावें बाढ़ के कार्य में लगाई गईं तथा 515 मनुष्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया । रोगों की रोक थाम के लिये 2,044 लोगों को हैजे का टीका लगाया गया । 101 कुओं में लाल दवा डाली गयी, 57282 पशुओं को संक्रमक बीमारियों से बचाने के लिये टीके लगाये गयें । बाढ़ के समय वन विभाग ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया था कि लोग अस्थायी तौर पर अपने पशुओं को निःशुल्क चरा सकतें हैं ।

सहारनपुर

इस जिले में गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ आई । साथ ही साथ बरसाती नालों से भी बाढ़ का पानी फैला । सहारनपुर आबादी के पास बड़वला खाले नाम के एक नाले से आबादी का कुछ भाग कटा जिससे साधारण क्षति पहुंची । इस

[श्री उदित नारायन शर्मा]

समय बाढ़ उतर गयी है । इस जिले में यातायात में कोई बाधा नहीं पहुंची और न खतरे के स्थान से किसी को निकालने की ही जरूरत पड़ी ।

बरेली

इस जिले में रामगंगा, अरिल और नवाब नदियों में बाढ़ आई । बेगुल नदी में भी बेगुलडैम से पानी छोड़ने के कारण बाढ़ आ गयी जो 20 से 24 अगस्त तक रही । बाढ़ के आरम्भ में रामगंगा का जलस्तर 33.05 फीट था जो अब घट कर 28.07 फीट रह गया है । सभी नदियों का पानी घट रहा है । बाढ़ का प्रभाव इस जिले में साधारण ही रहा है ।

अलीगढ़

यमुना नदी से तहसील, खैर में तथा गंगा नदी से तहसील, अतरौली में बाढ़ आई । यमुना नदी की बाढ़ बिल्कुल उतर गयी है और गंगा नदी का जलस्तर 26 अगस्त को 585 फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर माना जाता है । गंगा भी दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है । किसी सड़क या पुल के टूटने की सूचना नहीं है । केवल खपरा नाला का पुल पानी में डूब गया था जिसके कारण 6 गांव के लोगों को आने जाने के लिये 3 नावों का प्रबन्ध करना पड़ा । 1,577 व्यक्तियों तथा 580 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया । सहायता में 3 नावें लगानी पड़ी थीं ।

मेरठ

इस जिले में गंगा और यमुना में बाढ़ थी । दोनों नदियां इस समय दिन-प्रतिदिन घटती जा रही हैं ।

मुजफ्फरनगर

इस जिले में गंगा की बाढ़ का कुछ प्रभाव पड़ा था । बाढ़ अब समाप्त हो गई है।

बुलन्दशहर

यमुना और हिंडन में उच्च बाढ़ आई थी । इस समय बाढ़ समाप्त हो गई है । बाढ़ क्षेत्र में विशेषकर 20 अत्यधिक प्रभावित गांवों में लोगों को बचाने में एक सेना की नाव की सहायता ली गयी । 17 देशी नावें भी बाढ़ तथा सहायता कार्य में लगायी गयीं ।

यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगभग 170 मील बहती है जिसमें दूसरी ओर राजस्थान तथा हरयाणा प्रदेश अवस्थित है । हरयाणा सरकार अपनी ओर करीब-करीब पूरी लम्बाई में बांध बनाती जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर, मुजफ्फर-नगर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ जिलों में यमुना द्वारा कटान की समस्या उत्पन्न होती जा रही है । इस कटान को रोकने की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ।

रामपुर

यह जिला कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित हुआ । बाढ़ के कारण कुंडा, बोंड बांध, टांडा-दढ़ियाल बांध, एक प्राइमरी स्कूल तथा 1 सरकारी बाग को क्षति पहुंची । बाढ़ से अधिक क्षति इस जिले में नहीं हुई ।

मैनपुरी

ईसन, आरिन्द, कक, सेंगर, काली, सेंहर, सिरसा तथा यमुना नदियों में इस वर्ष 7 दिनों तक मध्यम स्तर की बाढ़ रही जो 22 अगस्त को समाप्त हो गई । करहल-किशनी जाने वाली सड़क तीन स्थानों पर कट गई थी । जो अब ठीक करा दी गई है और यातायात आरम्भ हो गया है । जिले की स्थानीय नावों के अतिरिक्त दो नावें आगरा से मंगाई गई । बाढ़ के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण भी फसलों को क्षति पहुंची है । 9 गांवों में नहर कट जाने से भी क्षति पहुंची ।

मुरादाबाद

इस जिल में भी जुलाई में गंगा और रामगंगा में बाढ़ आई थी। गंगा का जलस्तर उच्च बाढ़ स्तर से कुछ कम और रामगंगा मध्यम बाढ़ स्तर तक पहुंची थी। इस समय दोनों नदियां दिन-प्रति दिन घटती जा रही हैं। कोई सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई और यातायात में बाधा नहीं पड़ी। केवल हसनपुर–रहरा सड़क को कुछ क्षति हुई है। इसके सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उपयोग के लिये 26 नावें किराये पर ली गईं थीं और 2,780 मनुष्यों तथा 8,000 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जिले में चारे की कमी नहीं है और न ही पड़ने की संभावना है।

पीलीभीत

शारदा तथा उसकी सहायक नदियों में जुलाई में बाढ़ आई थी। बाढ़ का प्रभाव केवल 7 दिन तक रहा और इससे जिले की सड़क व पुल आदि को कोई क्षति नहीं हुई। केवल 100 आदमियों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने की आवश्यकता पड़ी।

उन्नाव

गंगा तथा सई नदी में बाढ़ आई। तहसील, सफीपुर अधिक प्रभावित हुआ। इस वर्ष गंगा का उच्चतम जलस्तर 372.25 फीट रहा। अब गंगा नदी का जलस्तर उत्तरोत्तर कम हो रहा है। बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में सहायता कार्य के लिये 200 नावें लगाई गईं और लगभग 5,000 व्यक्तियों तथा 10,000 पशुओं को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चलबन्सी –औरान्सी –सन्डीला रोड पर क्षति के कारण यातायात रुका है। हरदोई –उन्नाव रोड की मरम्मत हो गई है और यातायात जारी हो गया है। उन्नाव नगर में अतिवृष्टि के कारण जमा हो गये पानी को 10 पंपिंग सेटों से निकालने की व्यवस्था की गई है।

इटावा

इस जिले में यमुना, चम्बल, सिरसा, सेंगर, कन्हैया, क्वारी, पुरहा, आरिन्द और पांडु नदियों में बाढ़ आई। परन्तु बाढ़ का विशेष प्रभाव यमुना व चम्बल नदियों के कारण पड़ा। अन्य छोटी नदियों में बाढ़ ज्यादा नहीं आई। अब सभी नदियां घट कर अपने पेटे में आ गई हैं तहसील, औरइया में क्षति का विस्तार अधिक रहा। इस जिले में किसी सड़क या पुल को क्षति नहीं पहुंची। बाढ़ के कार्य में दस नावों का प्रयोग किया गया और 550 मनुष्यों तथा 630 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

बिजनौर

इस जिले में गंगा, गांगन तथा रामगंगा में बाढ़ आई थी। अब सभी नदियों का पानी दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। शेरकोट से कालागढ़ तक की पक्की सड़क तथा रामगंगा का बंधा रामगंगा की बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुआ।

चमोली

इस जिले में अतिवृष्टि के कारण क्षति हुई। गुप्तकाशी–सानप्रयाग सड़क तथा गुप्त काशी गौरीकुंड सड़क क्षतिग्रस्त हुई।

कानपुर

उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, खीरी इन जिलों में 20 अगस्त के बाद बाढ़ से और कोई क्षति नहीं हुई।

नैनीताल

इस जिले में बाढ़ की समस्या नहीं है। तहसील, रामनगर में कोसी नदी से ग्राम छोई तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में कटाव की समस्या है। जिसके समाधान का प्रश्न शासन के सिंचाई विभाग के विचाराधीन है।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

26 अगस्त, 1971 तक प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

जिला	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4
1—देवरिया	2,361	9,96,000	4,47,000
2—फैजाबाद	1,251	5,52,000	4,13,000
3—बस्ती	1,360	3,38,000	2,31,000
4—बलिया	1,118	3,93,000	3,52,000
5—वाराणसी	1,445	5,80,000	2,53,000
6—बांदा	276	1,67,000	2,78,000
7—आजमगढ़	955	4,63,000	2,75,000
8—गोरखपुर	1,210	3,29,000	2,00,000
9—गोंडा	320	2,02,000	2,15,000
10—मुरादाबाद	325	1,31,000	2,09,000
11—मिर्जापुर	492	2,15,000	1,42,000
12—इलाहाबाद	546	1,68,000	1,18,000
13—बहराइच	409	1,50,000	2,05,000
14—गाजीपुर	870	2,50,000	1,91,000
15—सुल्तानपुर	1,309	3,89,000	2,31,000
16—मेरठ	129	—	—
17—हमीरपुर	94	42,000	99,000
18—कानपुर	81	12,000	31,000
19—रायबरेली	376	76,000	1,31,000
20—झांसी	157	1,81,000	5,26,000
21—बदायूं	431	2,33,000	1,50,000
22—मैनपुरी	194	74,000	42,000
23—उन्नाव	400	2,00,000	1,00,000
24—बाराबंकी	263	1,03,000	2,15,000
25—फतेहपुर	58	10,000	24,000
26—सहारनपुर	209	1,22,000	1,52,000
27—सीतापुर	132	91,000	86,000
28—हरदोई	555	2,33,000	1,17,000
29—शाहजहांपुर	171	77,000	48,000
30—लखनऊ	1 034	2,04,000	2,17,000
31—पीलीभीत	213	45,000	10,000
32—प्रतापगढ़	213	37,000	33,000
33—जालौन	104	52,000	15,000
34—बुलन्दशहर	111	37,000	75,000

अमर उजाला

प्रभावित फसल का क्षेत्रफल	फसलों की हानि का मूल्यांकन (लाख रु० में)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की हानि का मूल्यांकन (लाख रुपयों में)	जीवन हानि	
				मनुष्य	पशु
5	6	7	8	9	10
2,57,000	568.00	20,951	135.33	10	249
2,12,000	529.32	14,501	29.00	10	20
1,22,000	509.00	486	3.90	1	—
1,55,000	474.00	8,412	44.00	4	20
1,40,000	474.00	9,358	21.52	3	—
88,000	410.00	1,172	5.00	—	8
1,80,000	390.00	4,490	8.60	2	15
1,15,000	358.00	1,573	7.96	—	—
1,50,000	285.00	1,274	2.90	3	4
82,000	215.00	2,568	2.72	—	—
75,000	210.00	6,740	33.70	—	2
73,000	200.00	517	2.24	—	59
2,00,000	176.09	285	0.52	—	—
81,000	155.00	546	2.24	1	—
1,79,000	138.19	9,148	19.77	12	11
31,009	135.00	311	1.00	—	18
24,000	100.00	2,741	6.70	—	—
15,000	75.00	379	0.80	—	—
76,000	64.00	593	1.10	9	—
96,000	57.43	1,805	2.04	1	4
73,000	37.61	1,120	2.67	—	—
24,000	34.15	552	1.18	5	9
55,000	110.00	500	1.50	3	—
65,000	232.48	548	1.58	—	—
8,000	24.00	720	1.55	—	20
28,000	22.56	1,281	2.72	9	1
85,000	22.45	576	0.58	—	—
82,000	20.00	9,255	14.86	11	22
36,000	18.59	218	0.92	—	2
48,000	18.48	6,894	9.33	8	4
3,000	16.05	125	0.63	—	—
3,000	15.00	22	0.30	4	2
3,000	15.00	658	1.56	—	—
19,000	9.50	—	—	—	—

[श्री उदित नारायण शर्मा—]

जिला	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4
35—फर्रुखाबाद	356	87,000	1,42,000
36—मथुरा	138	—	14,000
37—आगरा	179	47,000	17,000
38—अलीगढ़	26	8,000	22,000
39—रामपुर	191	40,000	35,000
40—बिजनौर	90	—	5,000
41—इटावा	118	5,000	13,200
42—पिथौरागढ़	7	—	12,000
43—बरेली	196	10,000	17,000
44—एटा	15	1,400	11,000
45—उत्तरकाशी	5	700	—
46—जौनपुर	61	—	2,000
47—देहरादून	21	1,000	400
48—चमोली	146	4,500	250
49—मुजफ्फरनगर ..	60	32,000	34,000
50—खीरी	51	8,000	38,000
योग ..	21,032	75,04,600	65,10,850

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रभावित फसल का क्षेत्रफल	फसलों की हानि का मूल्यांकन (लाख रु० में)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की हानि का मूल्यांकन (लाख रु० में)	जीवन हानि मनुष्य	जीवन हानि पशु
5	6	7	8	9	10
86,000	9.36	381	.73	6	—
7,000	8.84	540	0.20	—	—
9,000	8.00	302	0.45	3	—
4,700	5.40	856	1.20	—	—
28,000	5.02	1,012	1.65	—	1
1,000	5.00	—	—	—	—
4,000	4.38	223	0.43	—	—
12,000	2.60	76	0.15	3	8
4,000	1.68	310	0.66	—	—
1,500	0.90	60	0.30	—	—
60	0.90	6	0.09	12	8
500	0.77	127	0.64	1	—
200	0.45	134	2.25	4	7
100	0.35	377	6.60	8	432
—	0.19	1,254	2.51	—	—
13,000	1.24	129	0.13	—	—
30,54,60	6040.33	1,16,106	388.41	133	922

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री उदित नारायण शर्मा]

वर्ष 1971-72 में बाढ़ सहायता के लिए आवंटन पत्र का जिलेवार विवरण

(दिनांक 1-7-1971 से 26-8-1971 तक)

जिला		आबंटन		
		निःशुल्क सहायता / गृह निर्माण सहायता (रु०)	प्रकीर्ण व्यय (रु०)	तकावी (रु०)
1		2	3	4
1—देवरिया	..	3,75,000	1,08,000	1,25,500
2—फैजाबाद	..	2,00,000	52,000	—
3—बस्ती	..	2,90,000	50,000	—
4—बलिया	..	4,75,000	1,22,000	—
5—वाराणसी	..	2,75,000	45,000	—
6—बांदा	..	2,55,000	12,000	—
7—आजमगढ़	..	3,50,000	55,000	—
8—गोरखपुर	..	2,00,000	1,12,000	6,50,000
9—गोंडा	..	1,10,000	10,000	1,00,000
10—मुरादाबाद	..	1,50,000	5,000	—
11—मिर्जापुर	..	5,75,000	53,000	—
12—इलाहाबाद	..	2,15,000	45,000	—
13—बहराइच	..	1,20,000	25,000	—
14—गाजीपुर	..	1,25,000	60,000	1,00,000
15—सुल्तानपुर	..	71,000	6,000	35,000
16—मेरठ	..	1,00,000	4,000	10,000
17—उन्नाव	..	25,000	20,000	—
18—हमीरपुर	..	2,65,000	10,000	2,85,000
19—कानपुर	..	95,000	15,000	1,00,000
20—रायबरेली	..	60,000	1,000	10,000
21—झांसी	..	25,000	—	—
22—बदायूं	..	10,000	1,000	—
23—मैनपुरी	..	70,000	2,500	—
24—बाराबंकी	..	1,00,000	5,000	1,00,000
25—फतेहपुर	..	1,30,000	—	—
26—सहारनपुर	..	50,000	1,000	—
27—सीतापुर	..	10,000	1,000	—
28—हरदोई	..	15,000	2,000	—
29—शाहजहांपुर	..	56,000	3,000	—
30—लखनऊ	..	10,000	1,000	—
31—प्रतापगढ़	..	10,000	500	—

1		2	3	4
		रु०	रु०	रु०
32—जालौन	..	1,25,000	—	50,000
33—बुलन्दशहर	..	10,000	3,000	—
34—फर्रुखाबाद	..	20,000	5,000	—
35—मथुरा	..	1,00,000	20,500	—
36—आगरा	..	60,000	2,000	—
37—अलीगढ़	..	30,000	500	—
38—रामपुर	..	10,000	500	20,000
39—बिजनौर	..	66,000	3,000	—
40—इटावा	..	10,000	—	—
41—पिथौरागढ़	..	51,000	3,000	60,000
42—बरेली	..	6,000	1,000	—
43—एटा	..	—	500	—
44—उत्तरकाशी	..	50,000	500	10,000
45—जौनपुर	..	50,000	10,000	—
46—देहरादून	..	10,000	1,000	—
47—चमोली	..	1,20,000	1,000	90,000
48—मुजफ्फरनगर	..	2,05,000	15,000	2,15,000
49—खीरी	..	30,000	3,000	2,00,000
योग	..	57,50,000	8,96,500	21,60,500

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

पेज 6 पर लिख दिया है कि जिलेवार विवरण दे रहे हैं लेकिन 21 पेज तक कहीं भी इलाहाबाद के बारे में आपने विवरण नहीं दिया है। तो अगर इलाहाबाद का भूल गये हों तो अब उसको दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलाहाबाद रह गया हो ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, अभी पता लगाकर बता दूंगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

यह जो रिपोर्ट है यह पढ़ी हुई मान ली गयी। 5-6 पन्ने तो सारे प्रदेश भर के हैं। उसके बाद जिलेवार ब्योरा है। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस क्रम में जिलेवार ब्योरा दिया, है उसी क्रम से चर्चा करने के लिये संबंधित सदस्यों को बुला लें तो आसानी होगी।

('इस सुझाव का विरोध करते हैं', की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा नहीं होगा। दलवार जिस तरह से माननीय सदस्य खड़े होंगे उस प्रकार से हम बुलाते जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब हमने नियम 51 में तीन बार बाढ़ के लिये लिखकर दिया और हर बार अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि यह बाढ़ वाले में जोड़ दिया जायगा, नियम 51 स्वीकार हो गया। तो जिन लोगों का स्वीकार हो गया उन लोगों को तो समय अवश्य दिया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

यदि समय है तो अवश्य दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

हमने भी नियम 51 में लिख कर दिया है लेकिन हो क्या रहा है। जिन जिलों के लोग मंत्रि परिषद् में हैं उनकी तो रिपोर्ट आ जाती है। मिसाल के तौर पर चमोली का तो जिक्र किया है क्योंकि वहां के राज्य मंत्री हैं लेकिन उत्तरकाशी और टेहरी गढ़वाल के अन्दर बाढ़ से इतनी भयंकर हानि हुई है फिर भी उसके बारे में नहीं दिया गया है। तो मेरा निवेदन है कि नियम 51 के अन्दर जिनकी सूचनायें ग्राह्य कर ली गयी हैं, उनको आप अवश्य समय दें।

श्री अधिष्ठाता—

सभी लोगों को और आपको भी अवसर दिया जायगा, यदि समय रहेगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैंने नियम 51 के अन्तर्गत कामरोको प्रस्ताव दिया था जो बाढ़ से बहराइच का एरिया कटता जा रहा है उसके सम्बन्ध में था। उस पर कह दिया गया था कि बाढ़ में सम्मिलित कर लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

जैसा कि मणि जी ने प्रस्ताव में रखा था कि जिन लोगों ने नियम 51 की नोटिस दी है, उनको प्राथमिकता दी जाय तो इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इस सदन में बाढ़ जैसी महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा आरम्भ हो रही है·····

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज हमारी पार्टी के उपनेता ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी को यह लिखकर प्रार्थना की थी कि चूंकि हम भी यहां पर कांग्रेस (संगठन) के बाद नम्बर दो के दल में हैं और पिछली दफा भी 3 दफा इस इश्यु पर बहस हो चुकी है, 2 1/2, 2 1/2 घंटे का समय एक दफा सोशलिस्ट पार्टी के श्री रामधारी शास्त्री, दूसरी बार कांग्रेस के श्री कृष्णानन्द राय को दिया गया और अब कल्पनाथ सिंह जी शुरू कर रहे हैं लेकिन आज तक हमको मौका नहीं दिया गया इसको शुरू करने का। मेरा अनुरोध है कि इस बात को देखते हुये कि हमको बोलने का मौका दिया नहीं और खास तौर से पच्छिमी जिले के किसी आदमी को बोलने का इस पर मौका नहीं दिया गया आज हमको मौका दिया जाय कि हम इस पर बहस शुरू करें। हमारा दल इधर दूसरे नम्बर पर आता है तो हमारी बात पर आप गौर करें।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न आपको पहले उठाना चाहिये था। अब कल्पनाथ सिंह जी को मौका दे दिया गया है इसके बाद आपको अवसर दिया जायगा .....

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि.....

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था यह है कि बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और समय थोड़ा है। अतः 15 मिनट से अधिक न लें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप जो भी समय निश्चित कर देंगें मैं उसमें ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जो लोग बाढ़ के बारे में समय मांगते हैं उनको निश्चित रूप से समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

उनको प्राथमिकता दी जायगी।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस मुल्क में बाढ़ से तबाही होती है। निश्चय ही अगर वह तबाही और बरबादी यदि दिल्ली में बैठने वाले लोगों को देखने के लिये मिल जाती तो इस प्रदेश में यह तबाही न होती। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि आप देखें कि जिस जिले से राप्ती नदी होकर निकलती है,बहराइच और देवरिया तक अगर आप देखें तो जिस समय 1954 में मास्टर प्लान बनाने की कोशिश हुई और 1961 में वह मास्टर प्लान पूरा हुआ तो उस मास्टर प्लान को रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश कर दी गई। यह स्थिति जो घाघरा नदी से हुई या गंगा नदी से हुई, वह कम होती।

आज जो बयान दिया गया मंत्री जी की तरफ से यह बयान अगर इस बात पर ध्यान रखकर दिया गया होता कि बाढ़ को रोका जाय तो उससे लाभ होता। मगर बाढ़ को रोकने के लिए प्रदेशीय सरकार को जो प्रयत्न करना चाहिये था वह नहीं किया गया। अगर सरकार की ओर से इन सब बातों के लिये व्यवस्था होती तो ज्यादा अच्छा था। मंत्री जी ने जो रिपोर्ट पेश की वह सारी इस बात पर पेश की कि आज बाढ़ पीड़ित इलाके में लोगों की सहायता किस प्रकार पहुंचाई जा रही है। हमारे दुर्भिक्ष्य मंत्री ने यह रिपोर्ट पेश करके अपने कर्त्तव्य के पालन की इतिश्री कर दी। इसलिए मेरा एतराज है कि बाढ़ निरोधक योजना के लिये जो ध्यान सरकार का इस तरफ होना चाहिए था वह नहीं रहा। उसको छोड़ देने के लिये यह सब कह दिया गया। सिर्फ एक मुद्दे पर ही अपनी बात रखें और दूसरे किसी मुद्दे की तरफ न जाएं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उत्तर के समय संयुक्त उत्तरदायित्व के नाते सरकार की ओर से ही अगर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहता हूं कि राप्ती पर जलकुण्डी योजना के विषय में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक मास्टर प्लान स्वीकृत हुई थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया था और सर्वेक्षण के बाद 7 करोड़ रुपये का आंकलन भी तैयार किया गया था तो क्या यह सरकार या केन्द्रीय सरकार इस योजना के बारे में अपनी कोई निश्चित नीति रखती है? मैं खास तौर से इस जलकुण्डी योजना के बारे में जानना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

दूसरी बात यह है कि आज वही स्थिति घाघरा के किनारे के गांवों की है और वही स्थिति गंगा के किनारे के गांवों की है। अभी कहा गया कि गंगा नदी घाटी योजना को स्वीकार करने के बारे में निश्चय किया जा रहा है लेकिन क्या वह तब होगा जब वहां लाखों का स्वाहा हो जायगा ? और क्या तभी इन बड़ी नदियों, घाघरा और गंगा के बारे में विचार किया जायगा जब छितौनी बांध की सी तबाही हो चुकेगी ? छतौनी बांध टूटा और गांव तबाह हो गये और अब सरकार का ध्यान जा रहा है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके घाघरा, गंगा और यमुना और राप्ती जो बड़ी नदियां हैं उनकी बाढ़ की आशंकाओं का ठीक से अनुमान और इन्तजाम करने के लिये फ्लड कंट्रोल बोर्ड को सुनियोजित ढंग से फिर से ठीक करें और मौजूदा बोर्ड को आप फिर से गठित करें और उसके लिये आवश्यक फण्ड भी दें। जब इस मास्टर प्लान का आरम्भ हुआ था तो सिंचाई विभाग के अन्तर्गत संभवतः 2 सर्किल और 8 डिवीजन थे लेकिन आज तक कोई इस विशेष कार्य के लिये न तो कोई फ्लड सर्किल है और न फ्लड डिवीजन ही है। आज स्थिति यह है कि जो ट्यूबवेल इन्जीनियर्स हैं उनके ऊपर यह भार डाल दिया जाता है, जो इस कार्य को एक बोझा समझते हैं और उसको अपना असली उत्तरदायित्व वह नहीं समझते। मैं चाहता हूं कि आज सरकार यहां घोषणा करे कि फ्लड्स के काम के लिए सरकार खास तौर से एक अलग सर्किल और डिवीजन्स खोलेगी।

जहां तक रिपोर्ट का संबंध है, इसमें कहा गया है, बच्चों की फीस और किताबों की मूल्य में सहायता के विषय में। कहा गया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बार-बार दवी आपदाओं के कारण खराब हो चुकी है उनके बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिये आदेश दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कौन सा पैमाना लेकर बैठेगी कि किस की आर्थिक दशा खराब है। इससे तो एक भ्रष्टाचार का रास्ता खुलेगा। मैं चाहता हूं कि इस मामले में सरकार फिर से छानबीन करे और अब केवल एक आदेश निकाले कि प्रायः सभी विद्यार्थियों की चाहे वह किसी भी दर्जे के हों, सरकार के माध्यम से फीस दी जायेगी, फीस माफ की जायेगी।

एक निवेदन मैं और करूंगा और वह यह कि पिछले दिनों में माननीय राजस्व मंत्री जी कह सकते हैं कि वह उस समय नहीं थे लेकिन एक अनुभव यह किया गया कि सरकार की ओर से पिछले दिनों में विद्यार्थियों की फीस के लिये कहा गया कि वह तहसील से जाकर अपनी फीस का रुपया लेंगे और फिर वह स्कूल में जाकर जमा करेंगे। इस व्यवस्था से एक नुक्सान हुआ और मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके अगर उनके अधिकारी उसी पुरानी व्यवस्था को चलाने को कहें तो वे उसे तुरन्त रिजेक्ट कर दें। विद्यार्थी जो किसी स्कूल में पढ़ते हैं अगर उनके घर बाढ़ पीड़ित इलाके में पड़ते हैं तो उनके लिये निश्चयपूर्वक फीस के माफी नामे की गुंजाइश रहनी चाहिये।

माननीय मंत्री जी संतोष चाहे जितना कर लें, दवाइयों के बारे में, मैं स्वयं बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम कर आया हूं, मैंने कहीं पर भी दवाओं का नामोनिशान नहीं देखा है। आज यहां आकर मैंने पढ़ा कि कोई दवा आदि का भी प्रबन्ध होता है लेकिन मेरा निश्चित मत है कि आज तक दवाओं का इन्तजाम बाढ़ पीड़ित इलाकों में नहीं हुआ है।

टेस्ट वर्क के सिलसिले में मेरा एक निवेदन यह है कि टेस्ट वर्क जितना हमारे लिये आवश्यक हो सकता है, हम उसके माध्यम से लोगों को जिन्दा करें। जो लोग काम कर सकते हैं, जिनमें काम करने की क्षमता हो जिनको सरकारी व्यवस्था जिन्दा नहीं रख सकती है, उनके लिये टेस्ट वर्क चलाएं लेकिन इनमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, उस मामले को भी मद्देनजर रखकर देखें और विचार करें और इस मामले में जितने सुधार की गुंजाइश हो सकती हो, वह अवश्य प्रयास करें।

मुझे यह जरूर कहना है कि टेस्ट वर्क में बांधों को लीजिये, गांवों से सड़क जोड़ने के जो रास्ते हों, वे रास्ते लिये जाएं, छोटी-मोटी सड़कों के रास्ते और ऐसे ही काम खास तौर से प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएं जो न केवल टेस्ट वर्क जिन्दा रखने के लिये हो सकते हैं बल्कि उनका उपयोग या तो बाढ़ निरोधक कार्यों में हो या उत्पादन के जितने कामों में प्राथमिकता हो, उनको इसमें लेने का प्रयास होना चाहिये ।

मंत्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या इस साल अधिक है । सरकार की ओर से पक्के मकान बनाने अथवा मरम्मत के लिये 300 रुपये और कच्चे मकान बनाने और मरम्मत के लिये 200 रुपये और जो छोटे काश्तकार हैं जिन्हें झोपड़ी बनानी है, उनको विवेकानुसार कम धनराशि दी जायगी । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि चूंकि 300 रुपये में किसी का पक्का मकान नहीं बन सकता है, जिनकी हैसियत पक्के मकान बनाने की है, उनको अनुदान न दिया जाय । सिर्फ उन लोगों को अनुदान दिया जाय जो सचमुच में अपनी एक झोपड़ी भी न खड़ी कर सकते हों । दूसरा मेरा निवेदन यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा कार्पोरेशन बनाने पर विचार कर सकती है कि जो बरसात अथवा बाढ़ से जिन गांवों में 25 फीसदी से ज्यादा घर गिर चुके हैं या जिस गांव के लोग इस बात के लिये तैयार हैं सरकार अपनी मास्टर प्लान विलेज एण्ड टाउन प्लानिंग द्वारा बनवाकर गांवों और सड़कों का पुनर्निर्माण कराये और गांव वालों से 100 किश्तों में उस कर्ज को वसूल करें । इससे दुहरा काम होगा—बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और मकान मुहइया कराने में भी सफलता मिलेगी । मेरी कान्स्टीटुएन्सी में गांव कट रहे हैं और तबाह हो रहे हैं । लोग पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन पर अपनी झोपड़ियां लगा कर रहते हैं । करीब 3–4 गांव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही साफ हो गये हैं ।

आपने भूसे चारे के बारे में कहा है कि पशुपालन, निदेशक ने एक ठेकेदार की नियुक्ति भी कर दी है जिसके द्वारा भूसे की मांग की पूर्ति जिलों में हो सके । एक ठेकेदार सारे उत्तर प्रदेश के जिलों में भूसा पहुंचायेगा यह व्यवस्था ठीक नहीं मालूम पड़ती है । मैं चाहता हूं कि इस मामले में सरकार सोचे और जितने अधिक से अधिक ठेकेदार हो सकते हैं उन ठेकेदारों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा भूसा और चारा पहुंचा दें । इस चारे में भूसा नहीं है । एक घास होती है चारे वाली । अगर हमारे मंत्री जी पता लगायेंगे तो पता लगेगा । अगर उस घास की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बाढ़ पीड़ित इलाकों में करेंगे तो चारे का इन्तजाम काफी हद तक हो जायगा । इसलिये निवेदन है कि आप चारे की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कर सकें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्रीमन्, बीज की बात है । आज अगस्त की 30 तारीख है और मेरा निवेदन यह है कि हर एक बीज गोदाम में 15 सितम्बर तक बीज पूरी तरह से नहीं पहुंच सका । तो जिन बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिये आप बीज मुहैय्या करना चाहते हैं अगर उसमें देर हो गई तो वह बीज किसी दूसरे काम में आ सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार एक ग्राम सेवक मक्का का बीज बांट रहा था अगस्त में । उसे बांटने के लिये मिला था । वह कहता था कि मैं क्या करूं मुझे तो बांटने के लिये मिला । वही स्थिति हो जायेगी । वह खाद के लिये रख दिया । मेरा निवेदन है कि बीज के लिये सर्वाधिक मांग है । मुझे जितने भी किसान मिले जिनकी थोड़ी खेती बाड़ी थी और जिनकी अच्छी भी थी सबने कहा कि सबसे अधिक भयंकर समस्या इस समय बीज की है । इसलिये बीज की बात पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये ।

एक शब्द में और कहना चाहूंगा । हमारे जिले में आज 1,573, क्षतिग्रस्त मकान हैं । संख्या दी गई है । यह संख्या वास्तविकता से परे हैं । इस संख्या के बारे में फिर से जानकारी कराइए । अकेले मेरी कान्स्टीट्वेन्सी में जब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं चार गांव तबाह हो गये हैं । कोई गांव ऐसा नहीं है जो बचा हो । घरों की संख्या एक्जैक्टली नहीं है मेरे पास,

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

लेकिन मैं कहता हूं कि अगर करीब-करीब सब जोड़े जायेंगे, जो गांव नदी में विलीन हो गये ऐसे गांवों की संख्या छः सौ तो हमारी कान्स्टीट्वेन्सी में ही होगी दूसरे हलके की बात छोड़ कर। मैं इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारे उन घरों की तादाद नहीं है जो दी गई है। मैं उन सारे घरों की तादाद बता रहा हूं जो नदी में आकर साफ हो गये...

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ के संबंध में जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं। बलिया की बाढ़ के बारे में इस समय जो दर्दनाक स्थिति है उसका यहां वर्णन करते समय हृदय विह्वल हो उठता है। ऐसी दर्दनाक स्थिति केवल बलिया में ही नहीं बल्कि हमारा पूरा पूर्वी पूर्वान्चल है जो बिहार से सटा हुआ है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर का हिस्सा उसमें आता है जो बिहार से सटा हुआ है।

बिहार की दुर्दशा को तो आप अखबारों और रेडियो से जानते हैं, उस बिहार की दुर्दशा से हमारी बलिया क्षेत्र की स्थिति जरा भी कम नहीं है। बलिया का क्षेत्र घाघरा और गंगा दोनों नदियों से घिरा हुआ है। उत्तर की तरफ घाघरा जो 25 मील लम्बी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बहती है और जिले के दक्षिण में गंगा फैली हुई है। इन दोनों नदियों की भयानक बाढ़ ने जो दुर्दशा उस क्षेत्र की है, जो हालत खराब कर दी है और वहां के लोगों में जो फाके चल रहे हैं, उस स्थिति की भयंकरता के अनुरूप जो स्थिति है वह यहां नहीं दी जा रही है वह हमारे लिये कलंक और शर्म की बात है।

श्रीमन्, क्षेत्र में घूमने पर वहां की स्थानीय जनता की दुर्दशा देखकर हृदय विह्वल हो जाता है और श्रीमन्, यहां हाउस में बोलते समय अत्यन्त शर्म और दुख होता है जब अभाव, सहायता और सिंचाई से संबंधित अधिकारी कोई लाबी में नहीं दिखाई दे रहा। सहायता, अभाव और सिंचाई से संबंधित मंत्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं। आपकी रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। बलिया में जिलाधीश से बात करते हैं तो वह बहुत लम्बी-चौड़ी बात करते हैं। कागज दिखाते हैं कि यह सरक्युलेट कर दिया है और कहते हैं कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र में हर व्यक्ति को हर तीसरे दिन गल्ला देंगे।

श्रीमन्, बदकिस्मती यह है कि हम बजट के कारण यहां रह गये और आठवें दिन क्षेत्र में जाते रहे। नतीजा यह हुआ कि हफ्ते में तीन दिन जो गल्ला मिलना चाहिये था वह सण्डे को इश्यू होता है जब हम वहां जाते हैं। कल हम, माननीय जगन्नाथ चौधरी और तारकेश्वर पांडेय, एम० पी०—तीनों ने बिलथरा रोड से लेकर मनिहार तक दौरा किया। पूरा 50 मील का भूभाग एक तरफ वाटरलागिंग से और दूसरी तरफ घाघरा के पानी से घिरा हुआ है, पानी सड़क को चूम रहा है। गांव टापू की तरह नजर आते हैं। कमर भर और छाती भर पानी में स्त्री और मर्द जा रहे थे। इस स्थिति का कोई विवरण सरकार ने अपनी पुस्तक में कहीं नहीं दिया है।

श्रीमन्, हमारे यहां तीन तरह की समस्या है। एक तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, दूसरे वाटरलागिंग और तीसरे नदी से कटान वाला क्षेत्र। आश्चर्य और शर्म की बात है कि जो कटान का क्षेत्र है, जिनके घर कट गये हैं, वह लोग ऊंची जगह पर शरण लिये हुए हैं और वहां भी चारों तरफ छः फीट पानी है, वहां सिकन्दरपुर क्षेत्र में 22 तारीख के बाद कोई सहायता नहीं पहुंचायी गयी है। मनिहार क्षेत्र में केवल एक गांव में 32 झोपड़ियां गिरी हैं। ऊंचे स्थानों पर वह लोग शरण लिये हुए हैं। झोपड़ियों में हालत यह है कि नीचे वह लोग हैं और ऊपर सर्प-बिच्छू हैं। पाखाना-पेशाब के लिये पेड़ की डाल का ही इस्तेमाल किया जा

रहा है। मनियार ब्लाक में 15 तारीख के बाद कोई सहायता नहीं दी गई है। डेढ़ मील सफर करके तब वह मनियार बाजार में पहुंच पाते हैं। लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई।

हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारे सरकारी अधिकारी जिस निकम्मेपन से काम कर रहे हैं और जिस तरह से हमारा नियंत्रण ढीला है और जनता को काल के गाल में छोड़ा जा रहा है, यह शर्म की बात है। इस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिये। जो सत्य है वह तो कहना ही पड़ेगा। हम वहां के प्रतिनिधि हैं। हम यह नहीं बरदाश्त कर सकते कि लोग मरते रहें और हम चुप बैठे रहें। सन्डे को मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में था। मैंने ए0 डी0 एम0, इंचार्ज से कहा कि फलां जगह फाकाकशी हो रही है, वहां खाना पहुंचाएं। कल मैं गया और पूछा तो बाढ़ पोस्ट इंचार्ज, मनिहार ने बताया कि 26 तारीख को गल्ला पहुंचाने के लिये आर्डर आ गया था, लेकिन गल्ला बिल्कुल है ही नहीं, तो क्या पहुंचायें। हम उस क्षेत्र के विधायक है, मंत्री जी को सोचना चाहिये कि हम लोगों को इस हालत में अपने पद पर रहने का अधिकार है या नहीं। हम प्रजातांत्रिक ढांचे में जनता की सेवा कर रहे हैं और जहां पर प्रजातंत्र सेवा न कर सका है वहां के अंजाम क्या हुए हैं, हम सभी जानते हैं।

जब यह आम जनता को राहत नहीं दे सकते हैं। इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं ताकि व्यवस्था सुधरे और आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतनी न पड़े। कहीं ऐसा न हो कि उन लोगों के कार्यों का फल हमें भुगतना पड़े जो कि कब्र में पैर लटकाये हुए हैं। बाढ़ क्षेत्र की जनता बहुत गरीब है और हम जनता की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स में जो चीजें आयी हैं वे बहुत अच्छी चीजें हैं। कुछ बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी दूंगा। टेस्ट वर्क के सिलसिले में मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 500 आदमी देंगे। आप देखें कि वहां पर खड़े होने को जगह नहीं है और पानीके सिवा कहीं मिट्टी का नाम नहीं है। जो मजदूरी आप टेस्ट वर्क के लिये देते हैं वह 10 साल पहले की है। 10 साल पहले थोक माल का क्या मूल्य था और खुदरा माल का क्या मूल्य था? जो मजदूरी 10 साल पहले फिक्स की गई थी वही आप आज दे रहे हैं। उस मजदूरी को आपको रिवाइज करना चाहिये। हमारे जनपद में पशुओं के चारे की बहुत बड़ी कमी है। वहां पर कोई फसल नहीं बची है। (लाल बत्ती होने पर) 2 मिनट का समय और दे दें, मान्यवर। हमारे जिले के और आदमी नहीं आये हैं। केवल ईख बची है लोग उसको काट कर मवेशियों को खिला रहे हैं। एक महीने के बाद ईख भी खत्म हो जायेगी। वहां पर भूसा दिया जाय। नाव के लिये 60 परसेन्ट सब्सिडी मिलती है। यह रुपया हर साल दिया जाता है और सरेन्डर हो जाता है। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह रुपया सरेन्डर नहीं होगा।

अगर ये सुझाव अमल में लाये गये होते तो मुझे इतना कहना न पड़ता। यह तय हुआ था कि सहायता कार्य के संबंध में जनपद के विधायकों के सुझाव लिये जायेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी जनपद में किसी विधायक से कोई सुझाव नहीं लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको अब केवल 1 मिनट और बोलना है।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जो आंकड़े सरकार द्वारा दिये गये हैं वे मनगढ़न्त हैं। बलिया जिले में 4 लाख लोगों को एफेक्टेड दिखलाया गया है। आजमगढ़ का जो भाग बलिया से सटा हुआ है, वहां पर केवल 4 लाख आदमी ऐसे होंगे जो कि खड़े होने की जगह रखते हों। ये आंकड़े झूठे हैं।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हू लेकिन साथ ही साथ खेद भी प्रकट करता हूं। इस सदन में 3 दफा इस मसले पर बहस हुई परन्तु मेरठ डिवीजन के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जैसे कि वह प्रान्त का भाग ही न हो और हम अछूत हों। हमको इस मसले पर बोलने और अपनी मुश्किलात को रखने का भी मौका नहीं दिया जाता है। एक बात मैं रेवेन्यू मिनिस्टर और आबपाशी मिनिस्टर, जो कि फ्लड के भी मिनिस्टर हैं, से कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी तरफ से अपनी आंखे बिल्कुल मूंद ली हैं। जो आंकड़े आबपाशी के पेश किये गये हैं वे मजाक नहीं तो और क्या है? मुजफ्फरनगर जिले में 60 गांव प्रभावित बताये जाते हैं, 32,000 एकड़ रकबा और 34,000 जन संख्या बाढ़ से प्रभावित बतायी जाती है। कितना क्षेत्रफल प्रभावित हुआ यह नहीं बताया गया है, केवल 19,000 रु० का नुकसान दिखाया जाता है।

यही हाल मेरठ का है, यही हाल बुलन्दशहर का है, यही हाल सहारनपुर का है। मान्यवर, क्या हम ऐसी दूध देने वाली गाय हैं कि जिससे सभी चीजें वसूल की जाती हैं लेकिन जब हमारे नुकसान की बात आती है तो हमको कोई नहीं पूछता है। अभी कुछ दिन पहले स्टेट रेवेन्यू मंत्री साहब ने यहां एक बयान दिया था जिसमें दो-तीन सौ करोड़ रुपये का नुक्सान फसलों का दिखलाया गया है लेकिन हमारे यहां का बहुत कम नुकसान दिखलाया गया है। जब मैंने पूछा कि क्या यही आपका बयान है तो कहा गया कि शर्मा जी मैं पश्चिमी जिलों का जिक्र इसलिये नहीं करता हूं कि आपके यहां अनाज मंडियों में बहुत आ रहा है। तो क्या इसके लिये भी हम खतावार हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि हम खेतीबाड़ी करें, आपको भुखमरी से बचावें और जब नुकसान के असेसमेन्ट की बात आवे तो खाद्य मंत्री और राजस्व मंत्री यह कह दें कि आपके यहां मंडियों में अनाज आ रहा है और जो नुक्सान हुआ है वह नहीं बतलाया जाता है। न आपने वहां कमीशन भेजा, न रिपोर्ट मांगी और न जो रुपया आया उसी को वहां बांटा। यहां से क्या अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है कि वह हमारा नुकसान न दिखलावें।

बाढ़ के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि हरियाना ने सहारनपुर से लेकर तीन-चार जिलों में बांध बांध दिये हैं। यहां पर मंत्री जी बातों में मशगूल हैं और फ्लड डिपार्टमेन्ट का कोई अधिकारी यहां नहीं जिसको कि बैठना चाहिये। इसका कारण यह हो सकता है कि उनको वहां कुछ करना नहीं है। वह मौजूद नहीं है इसके लिये आपको सरकार पर प्रेशर डालना चाहिये। हरियाना के बांध के कारण यहां के चार जिलों में पानी का बहाव ऐसा हो गया है कि जब जमुना में पानी बढ़ता है तो उसका रुख बांध से टकराकर उत्तर प्रदेश की ओर हो जाता है। इसका कटाव उत्तर प्रदेश की ओर हो रहा है।

मेरी कान्स्टीटूएन्सी के 6, 7 गांव जमुना पार चले गये हैं। उनके नाम राना मंजरा, गढ़ी दहशत, पत्थरगढ़, जलालपुर, केशोपुर, नगला हैं। जिन काश्तकारों की जमीने हरियाना में चली गई है वह वहां लगान दे रहे हैं और उनके पास मकान नहीं है। बड़ी खराब हालत में हैं लेकिन यह सरकार उनके लिये कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने उनको नजरन्दाज कर दिया है। मैं माल मंत्री से और फ्लड मंत्री से मांग करूंगा कि वह एक स्पेशल अफिसर इर्रीगेशन का डिप्यूट करें और वह इन चारों जिलों में जाकर देखें कि हरियाना के बांध के कारण उत्तर प्रदेश का कितना नुकसान हुआ है। जो गांव कट रहे हैं उनके नाम हैं पठेर, बसेड़ा, मड़खर, ईसापुर, खुमन, मुहम्मदपुर, नगला राई, तीनों रामरे, हैदरपुर, मवी, डूंडूखेड़ा, पांडा, छपरौनी, डताना आदि। बाढ़ का पानी तो बरसात में आता है लेकिन यहां तो मामूली पानी भी हरियाना के बांध से टकराकर हमारी हजारों एकड़ जमींन ले जाता है लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। दिल्ली राज्य में हजारों नावों को बाढ़ एरिया के लिये कर दिया गया था लेकिन इन जिलों में अधिकारी मौके पर भी नहीं पहुंचे हैं।

मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपके रेवेन्यू आफिसर्स ने वहां जाकर झांका तक नहीं। केवल पटवारी से हेड क्वार्टर पर मिलकर रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। अगर आप कोई संतोषजनक योजना नहीं बनायेंगे तो आपको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। आप हमारे साथ भेदभाव की नीति अपना रहे हैं। वहां के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और यह असंतोष आपके लिए दुखदायी होगा। अगर आपका हमारे साथ यही बर्ताव है, हमें अछूत समझते हैं और हमें नेगलेक्ट करते हैं तो दो टुकड़े करके हमें कहीं और भेज दीजिये। अगर आप हमारी तरफ ध्यान देने के लिये तैयार नहीं हैं, हमारी बातों को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं तो इसका जो नतीजा होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। हरियाना, महाराष्ट्र की जो मिसालें हैं उनको आप यहां रिपीट करवायेंगे। इसलिये मैं आपको आगाह करता हूं कि आप उधर की तरफ तवज्जह दें। अगर आपने एक साल और आंख मींच ली तो तीस-चालीस गांव और लाखों एकड़ भूमि हरियाना में चली जयेगी।

आप बुलन्दशहर को देखें, सहारनपुर, मेरठ की रिपोर्ट को देखें। आप हमारे यहां जब नुकसान ही नहीं दिखाते तो आप हमारी सहायता क्या करेंगे? यह कितना बड़ा अन्याय हमारे साथ है। वहां भी लैंडलेस रहते हैं, छोटी छोटी जोत वाले लोग रहते हैं, वहां भी छप्पर वाले गांव हैं। आप इसके लिये कोई कमीशन बैठावें जो कि जांच करे। मान्यवर, इस बाढ़ के अन्दर सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली सड़क बागपत के पास जमुना से 50-60 फुट रह गई है लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पता नहीं किस धातु के बने हुए हैं। एक पैसे की भी मदद नहीं दी। वर्षा से वहां कितना अधिक नुकसान हुआ है लेकिन इन्होंने नहीं दिखलाया। वह चारों जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहां 60 गांव नहीं, 460 गांव प्रभावित हुए हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे दो मिनट और दें। काठा नदी पर बाढ़ आने के कारण सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के अन्दर दस मील का एरिया मेरून्ड हो गया है, पानी के अन्दर डूब गया है। तीन महीने जो वर्षा के होते हैं इनके अन्दर वहां के बच्चे किसी पुल के न होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते और घरों में बैठे रहते हैं। मुजफ्फरनगर की तहसील केराना, परगना केराना के ग्राम जधेड़ी में अगर पुल बनवा दें तो उससे तीसों गांवों को फायदा पहुंचेगा, और बच्चे भी पढ़ने से न रुकेंगे। मैं खासतौर से फ्लड डिपार्टमेन्ट के डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे अपने विभाग के अधिकारियों को इस काम के लिये सजग करें।

मान्यवर, हरियाना के और यहां के इन्जीनियर्स और आफिसर्स दिल्ली में जमुना कमेटी में बैठते हैं। वहां हमारे आफिसर्स अपनी जिम्मेदारी को नेगलेक्ट करते हैं। सर्वे किये हुए कामों को कराने के लिये ये लोग नहीं लड़ते और हरियाना वाले इनको बहका कर चले जाते हैं। वे समझते हैं कि यू० पी० सरकार ने अगर बांध क इन्तजाम कर दिया तो उन्हें यह खतरा है कि जमीन उनकी तरफ जाना बन्द हो जायेगी। हरियाना छोटा सा प्रान्त है और वह हमारे यहां की जमीन को हड़पना चाहता है इसलिये मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अधिकारियों के साथ सख्ती करें। और उनके साथ सख्ती के साथ बर्ताव करें। अगर वहां हमारी चीजों को रीप्रेजेन्ट नहीं किया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। मैं फिर निवेदन करूंगा कि उन तीनों जिलों की हालत का स्पेशल सर्वे करायें। यही मुझे निवेदन करना था।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मैं अधिष्ठाता महोदय का आभारी हूं जिन्होंने बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा करने के लिये समय दिया।....

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसलिये सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप 15 मिनट की जगह 10 मिनट का समय ही हर माननीय सदस्य के लिये कर दें ताकि सबको समय मिल सके।

श्री अधिष्ठाता--

यह ठीक है, 10 मिनट रहेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

जिन माननीय सदस्यों ने खासतौर से नियम 51 आदि के प्रस्ताव दिये थे और जो स्वीकार भी हुए हैं, उनको आप अवश्य मौका दें।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मेरा नियम 51 का प्रस्ताव स्वीकार भी हुआ था...

श्री अधिष्ठाता--

आपका नाम भी है। मैं जितना समय है उसमें अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को समय देने का प्रयास करूंगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

ऐसा न हो कि जो आपके पास पहुंचे उसी को समय मिले।

*श्री शिवकुमार पांडेय--

मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक, अधिष्ठाता महोदय, मैंने ऐसी बरसात नहीं देखी। 14 अप्रैल से लगातार पानी बरस रहा है। हमारा जिला ऐसा जिला है जहां नदियां ही नहीं तालाब भी बहुत हैं। तालाब की बाढ़ बड़ी भयानक होती है। हमारे यहां गोमती और मझुई में भयानक बाढ़ आयी हुई है। इन तालाबों में जब बाढ़ आती है तो यहां कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती। नावें तक नहीं चल सकती।

हमारा जिला चारों तरफ से तालों की बाढ़ से घिरा हुआ है। सुल्तानपुर की जितनी सड़कें थीं वे मीलों तक दलदल में फंसी हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि मरम्मत की जा रही है। वहां इंटें बिछाई जा रही है, मगर एक दो जगह तो कई ट्रक इंटें डाल दी गयी, मगर वहां की दलदल समाप्त नहीं हुई। अनाज की यह हालत है कि खलियानों से एक दाना अनाज का घरों तक नहीं पहुंचा। सारा अनाज खलियानों में ही सड़ गया या सड़ रहा है। रबी की फसल का नुकसान हुआ और खरीफ की फसल भी सारी बरबाद हो गई क्योंकि खेतों में पानी भरा है। न चरी रही, न मक्का रही, न धान ही बोया जा सका। एक भी तालाब में कोई चीज नहीं बोई जा सकी। पानी लहलहा रहा है उन पर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सही है कि बाढ़ आती है प्राकृतिक प्रकोप से, लेकिन हमारे यहां दो कारणों से आ रही है। एक तो कारण प्राकृतिक प्रकोप है ही, दूसरा कारण वैज्ञानिकों की अदूरदर्शिता में रही है। जितनी नहरें, सड़कें, बांध बनवाई गई हैं, उनमें पर्याप्त पुल और साइफन नहीं दिये गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जगह जगह सड़कों व रेलवे लाइन्स, आदि ने पानी रोक लिया है और पानी को इन्होंने गलत दिशा में मोड़ दिया है। यही पानी फसलों को बर्बाद करने और घरों को गिराने का काम करने लगा है। सरकारी रिपोर्ट से पता चलेगा कि कई जगहों पर सड़कें काटी गई हैं बाढ़ की विभीषिका कम करने के लिये। काटने का कारण यह था कि जहां वास्तव में पानी निकलना चाहिये था, उसके निकासी के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। यदि पानी की निकासी की कायदे से व्यवस्था नहीं की गई, तो ये बाढ़ें हमेशा आती रहेंगी। यदि जरूरी स्थानों पर साईफन और पुल, आदि नहीं बनाये गये तो बराबर ये बाढ़ें आयेंगी और आप उनको कतई रोक नहीं सकेंगे।

इस वैज्ञानिक युग में, जब मनुष्य चन्द्रमा पर पहुंच चुका है, बाढ़ हमारा नुकसान कर ले, यह हमारे लिए लज्जा की बात है। हम उसका कड़ाई से मुकाबला कर सकते हैं बशर्ते हम ईमानदारी से उसका मुकाबला करें। कई बार चर्चा होती है यहां पर कि बांधों में दराज पड़ जाया करती है। यह सब भी हमारे अफसरों और इंजीनियरों की लापरवाही का नमूना है। मैं आपको बताऊं हमारे सुल्तानपुर जिले में किसी समय का बना हुआ एक कुआं है जो गोमती नदी के बीच में बना हुआ है। जो कि सैकड़ों वर्षों से धूप और बरसा का सामना करता रहा है, आज उसमें, मान्यवर, मिट्टी नहीं है, लेकिन एक भी ईंट उसमें से नहीं गई है। 300 वर्ष से वह कुंआ बीच दरिया में खड़ा हुआ है। आज जो बनाये जाते हैं उनमें साल भर में दराज आ जाती है। हम प्रकृति से सही रूप से नहीं लड़ते हैं, इसलिए प्रकृति हम पर हावी होती जा रही है।

अनाज की बर्बादी के कारण हम दूसरे देशों से मांग कर भी अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन बाढ़ से सबसे बड़ा अहित जानवरों के चारे का हुआ है, एक दाना भी नहीं बचा है। कम बरसा में जानवर चरा करते थे और शाम को थोड़ा दाना, आदि खा लिया करते थे। लेकिन आज कल रोजाना महीनों से पानी बरस रहा है, मवेशी छोड़े नहीं जा रहे हैं, दिन रात खूंटे पर बंधे हुये हैं और इसके कारण चौगुना और आठ गुना तक उनको चारे दाने, भूसे की जरूरत है। लेकिन घास के अलावा चारा हुआ नहीं। घास भी पानी में डूबी हुई है। यदि यह स्थिति जल्दी न संभली तो आदमी से पहले जानवर मारेंगे।

हमारा जिला एक छोटा सा जिला है, सिर्फ 13 लाख की आबादी है। इसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 4 लाख आदमी बाढ़ से प्रभावित हैं, जो कि कुछ आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, उसमें वे सड़कें नहीं दिखाई गई हैं जिसमें दलदल और कटान हो गये हैं। मेन मेन सड़कों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, क्योंकि उन सड़कों तक जिलाधिकारी पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही दुर्गम स्थान हमारे यहां एक गांव धनऊपुर है, जिसमें सिवाय नाव या हवाई जहाज के पहुंचा ही नहीं जा सकता है। उस गांव में न कोई जा सकता है, न आ सकता है।

श्री बांके लाल--

जब गांव पानी में डूबा हुआ है तो वहां हवाई जहाज कैसे पहुंचेगा, वह वहां उतरेगा कहां ?

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

उस गांव में एक दाना भी नाज का नहीं है कि वहां के आदमी और जानवर खाकर पेट पाल सकें। इस तरह के कई गांव हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हो गये हैं। सरकार के नहर विभाग की तरफ से जिले की छोटी-छोटी नदी और नालों को साफ किया गया है, गहरा किया गया है, लेकिन जिस नदी में वे मिलते थे, उनको नहीं छुआ गया है।

[श्री शिव कुमार पाण्डेय]

हमारे यहां एक छोटी सी नदी है—मझूई। मझूई नदी में चार पांच नाले पड़ते हैं उसे कहीं मझुई का नाला कहते हैं, कहीं कहीं का नाला कहते हैं। इस तरह से तमाम नाले और उसकी सहायक नदियां उसमें समाती हैं और इस तरह से 10 गुना पानी लेकर वह नदी चलती है। चूंकि उसमें सब नदी नालों का पानी नहीं समा पाता है इसलिये उसके किनारे के गांव सब के सब बह जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि हमारे प्रश्नों के ऊपर ध्यान देकर जितना भी उनसे हो सका है हमारे जिले को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन राहत के रूप में रुपया पैसा या राशन बांट देने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा कल्याण तो तभी होगा जब मझुई नदी को गहरा करके उस पर साइफन या और पुल पुलिया बनवा दिया जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां से पानी की निकासी का प्रबन्ध अवश्य करवा दें।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उधर के एक सदस्य बोले, फिर जनसंघ के सदस्य बोले और इंडिकेट के सदस्य बोले लेकिन हमको बोलने का समय नहीं दिया।

एक सदस्य—

मान्यवर, आप बोलने के लिये समय की कोई सीमा निर्धारित कर दें ताकि सब लोग अपने विचार संक्षेप में रख सकें।

श्री अधिष्ठाता—

श्री बांके लाल जी, आप कृपया बैठें। सब क्रम से ही चल रहा है।

*श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी का जो स्टेटमेंट, बहुत लम्बा चौड़ा हम लोगों के सामने आया, और मैं यह देख रहा हूं, सन् 57 से मुझे अनुभव है कि हर साल सूबे में बाढ़ आती है और हर साल मलहम पट्टी का भाषण माननीय मंत्री महोदयों की तरफ से आ जाता है कि इतनी हमने दियासलाई बांटी, इतनी हमने दवाई बांटी और इतनी फीस माफ कर दी। लेकिन मान्यवर, मैं सन 57 से देख रहा है कि सरकार की तरफ से इस बाढ़ के परमानेंट कंट्रोल की दृष्टि से कहीं कोई वर्णन नहीं आता। मैं नहीं जानता माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग में सन् 38 की बलिया वाली श्री आर० आर० वाटल की फ्लड कंट्रोल रिपोर्ट देखी है या नहीं। उस के बाद सन् 48 में फिर कांग्रेस सरकार की एक फ्लड कमेटी बनी। उसने अपनी बड़ी वृहद रिपोर्ट दी।

उसमें उन्होंने जिले की नदियों से लेकर पानी के जितने चैनेल्स हैं, और जहां जहां वाटर लागिंग होती है, वहां उनको कैसे रोका जाय, जिले में जहां बाढ़ आती है, नदियों के पानी को कैसे बरसात के पानी से अलग लेकर छोटे छोटे बंधों में डाल कर कैसे स्टोर किया जाय, जो सारे कंचमेंट एरियाज हैं हिमालय क्षेत्र में, वहां क्या व्यवस्था की जाय ताकि पानी सारा एक साथ बह कर प्रान्त में बाढ़ की विभीषिका न खड़ी कर सके, इस सम्बन्ध में डिटेल्ड रिपोर्ट यहां पेश की। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस रिपोर्ट को केवल रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। क्योंकि अगर माननीय मंत्री जी खुद हिसाब लगावें तो 14 वर्ष का जो मुझे स्वयं का अनुभव है, इस बीच प्रति वर्ष बाढ़ में दी गयी मलहम पट्टी पर जितना खर्च हुआ होगा और अगर वही रुपया परमानेंट बाढ़ कंट्रोल की दृष्टि से इस रिपोर्ट के अनुसार लिया गया होता तो आज इस सूबे में और विशेषकर इसके पूर्वांचल में रोने की स्थिति न आती।

---

*[illegible] न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब इसमें किसकी अयोग्यता रही इसको माननीय शर्मा जी खुद तय करें। एक चीज से मुझे और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इस रिपोर्ट के तीसरे पन्ने पर दिया हुआ है—जिनके मकान गिर गये हैं—अहेतुक सहायता पाने वाले व्यक्तियों की संख्या पिछले सालों की अपेक्षा अधिकाधिक होगी। यह सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि बाढ़ का विस्तार बहुत व्यापक रहा है और जब अहेतुक सहायता पाने वाले अधिकतम व्यक्ति होगें क्योंकि अधिक आदमी बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन उनकी सहायता के लिये अधिकतम सीमा अपने 25 रुपये की रखी है। यह नंगी भूखी जनता के साथ मजाक है। क्या सहायता आप उनको देंगे? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 25 रुपये में कैसे कोई व्यक्ति अपने रहने व खाने पीने का इन्तजाम कर लेगा? मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि 25 रुपये में आप कितने दिन खा लेंगे?

श्री उदितनारायण शर्मा—

अधिकतम सीमा पहले 25 थी। अब 100 कर दी गयी है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

महंगाई में क्या तरक्की हुई है? आर्गूमेंट सुनने का कष्ट करें। अधिष्ठाता महोदय, जब वकील के सामने आर्गूमेंट नहीं रहता तो दूसरे की नहीं सुनता। संख्या बढ़ गयी, महंगाई बढ़ गयी। 100 रुपये में होने वाला क्या है? यह आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह उनका अपमान है। यह अहेतुक सहायता 100 रु० आप रख देते हैं। मैं सोच रहा था बैठा हुआ और सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था, जौनपुर जिले का वर्णन आयेगा क्योंकि जौनपुर जिला वर्षानुवर्ष बाढ़ से पीड़ित होता रहा है। लेकिन जौनपुर का कहीं नाम नहीं।

गोमती की सबसे अधिक विभीषिका जौनपुर जिले में होती है, सई की विभीषिका, बसुही और वरुणा की विभीषिका जौनपुर जिले में होती है। क्योंकि जौनपुर जिला इन सारी नदियों के ड्रेनेज एरिया में बसा हुआ है। जैसे बलिया जिला घाघरा और गंगा का ड्रेनेज एरिया है। जब ड्रेनेज एरिया में बाढ़ आती है तो दोनों नदियां मिल जाती हैं। इसी तरह जौनपुर चार नदियों का ड्रेनेज एरिया है। वहां पानी फैला तो सारी नदियां मिल जाती हैं। उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि उनको जानकारी है या नहीं क्योंकि सरकारों की हालत यह है कि इनके न आंख होती है और न कान होते हैं। भगवान की दया से बुद्धि भी नहीं होती है। पटवारी की रिपोर्ट, तहसीलदार या कलेक्टर के यहां से चली आती है उसी को पढ़ देते हैं। जौनपुर जिले के कलेक्टर ने क्या रिपोर्ट दी मैं नहीं जानता लेकिन स्थिति यह है कि खरीफ अधिक पानी बरसने के कारण पूर्णतया नष्ट हो गयी है। लोग यहां तक कहते हैं कि बच्चों को खिलाने के लिये बाल भूंजने के लिये नहीं रह गयी।

जिस वक्त गेहूं कट कर खलिहान में आया तो हमारी समाजवादी सरकार ने गेहूं में तीन पानी दिये भगवान ने, ऐसा समाजवाद हो गया, 11 पानी खलिहान में दे दिये और सारा गेहूं साफ हो गया। आज गेहूं खाने को नहीं रहा गया है। मैं स्पष्ट अनुभव से कहता हूं कि 78 परसेंट से कम रबी और खरीफ की फसल नष्ट नहीं हुई। कांग्रेस के जो एम० एल० ए० जौनपुर से आये हैं वह मेरी बात की ताईद करेंगे। यह अकर्मण्य और अपात्र सरकार है। दामोदर रीवर, बिहार की सारो कहलाती थी। उन्होंने उसके लिये योजना बनायी और 20 वर्ष के सतत प्रयास के बाद दामोदर वैली प्रोजेक्ट बन गया। यह अकर्मण्य सरकार है। कोई काम करने को कहो तो कहेगी पैसा लाओ। पैसे के लिए आडिटर जनरल की रिपोर्ट देख लीजिये, पी० ए० सी० की रिपोर्ट देख लीजिये, करोड़ों का गबन है।

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

बिहार सरकार ने दामोदर वैली में रुपया दे दिया इनके पास 1948 से रिपोर्ट मौजूद है। अरबों रुपया मरहम पट्टी में खर्च कर दिया है। क्यों नहीं फ्लड कंट्रोल रिपोर्ट के लागू किया? 14 वर्ष में क्यों नहीं धीरे-धीरे करके सरकार ने रुपया लगाया? अगर नहीं लगाया है तो यह क्रिमिनल नेगलीजेंस है। आप इस पर अपनी पीठ न ठोंक लीजिये कि इतनी खाद बांट दिया, इतना बिया दे देंगे, इतनी घास जानवरों को दे देंगे।

अधिष्ठाता महोदय मंत्री महोदय की रिपोर्ट में जहां मकानों के गिरने का वर्णन आया है आप देखें कि बाढ़ से प्रभावित जन संख्या 75 लाख के ऊपर है। लोगों के मकान गिरे हैं और आप 100, 150 रुपये मकान बनाने के लिये तकावी देंगे। अब दो प्रश्न पैदा होते हैं? इससे। जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है आपने तकावी दे कर उसे कर्जे से और लाद दिया। दूसरे 100, 150 रुपये में कच्चा मकान कैसे खड़ा होगा? मैं सुझाव दूंगा जैसे अन्य देशों में होता है आप भी उसका अनुकरण करें। वहां लाइफ इश्योरेंस कारपोरेशन हायर परचेज सिस्टम पर गांवों में छोटे-छोटे मकान बना देता है और लोगों को छोटी किस्तों पर दे देता है और जब 15, 20 साल में रुपया अदा हो जाता है तो पक्का मकान उन लोगों का हो जाता है।

जापान का उदाहरण दे दूं। बाढ़ वहां नहीं आती लेकिन वह ऐसा देश है जहां भूचाल बहुत आते हैं। भूचाल का रिकार्ड वहां यह है कि 20 दिन में 24 भूचाल आते हैं। उनका मकान लकड़ी का होता है। गिर जाता है और आग लग जाती है। सारा नगर समाप्त हो जाता है। अब टोकियो में उन्होंने अर्थ क्वेक मकान बनाने की व्यवस्था बनाई। सब लोग अर्थ क्वेक मकान नहीं बना सकते क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है। उनकी सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कम्पनीज से यह कहा कि मकानों को हायर परचेज सिस्टम पर छोटी किस्तों पर कम मुनाफे पर बना कर दो ताकि 20, 25 वर्ष में साधारण आदमी उसे खरीद सके। इससे बिल्डिंग एक्विविटी भी बढ़ती है। बाढ़ से अथवा अधिक पानी बरसने से जो मकान गिर जाते हैं वे पक्के हो जायेंगे। उनको आप फ्लड प्रूफ बनवा सकते हैं।

लाइफ इश्योरेंस कारपोरेशन को आप ग्रान्ट दें और फ्लड कंट्रोल बोर्ड का जो फ्लड रिलीफ के सुझाव हैं उनको आप कार्यान्वित करें। केवल फ्लड कंट्रोल बोर्ड का नाम ले लेने से और उसके सुझाव पर अमल करें इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वर्षानुवर्ष अपको करोड़ों रुपया इस तरह से खर्च करना होगा। आवश्यकता है कि टेम्पोरेरी रिलीफ के साथ साथ पर्मानेंट कंट्रोल की भी योजना बनाइये। जौनपुर जिले में जो बाढ़ की विभीषिका से नुकसान हुआ है उसको मीट करने के लिये आप वहां के जिलाधीश को अविलम्ब आदेश दें कि वह तत्क्षण वहां के लोगों को रिलीफ दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

पिछली बार, मान्यवर, जहां बाढ़ के बारे में चर्चा हुई थी तो बहुत अधिक सदस्य उस चर्चा में भाग लेना चाहते थे। समय के अभाव के कारण बहुत से सदस्य उसमें भाग नहीं ले सके। तो सरकार की ओर से माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे अपने क्षेत्र की बात लिख कर दे दें और उसे चर्चा का विषय मान लिया जायगा। तो क्या इस बार भी क्योंकि बहुत से लोगों को अवसर नहीं मिल सकेगा अपने क्षेत्र की बात कहने का तो वह लिख कर दे दें और वह चर्चा का विषय मान लिया जायगा और कार्यवाही में छप जायगा?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जरूर दे दें और जो साहब यहां बोलें भी वे भी कुछ देना चाहें तो उसके आगे दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं यह सूचना दे दूं कि मैं कुछ समय कम करने जा रहा हूं। 8 मिनट से अधिक कोई सदस्य नहीं बोल सकेगा।

*श्री प्रियदर्शी जेटली—

मान्यवर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बाढ़ के अवसर पर जो चर्चा चल रही है उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इस समय आप सदन में अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं और मैं भी आपके ही जिले का एक सदस्य हूं सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट सरकार द्वारा सदन के सामन फैजाबाद जिले के सम्बन्ध में आई है उसको देखने से मालूम पड़ता है कि यह रिपोर्ट गलत, फर्जी और बेबुनियाद है। मैं जानता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि फैजाबाद जिले की सड़कों के सम्बन्ध में जो कुछ भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है वह वास्तविकता से परे है। उन्होंने फैजाबाद-रायबरेली, फैजाबाद-इलाहाबाद और फैजाबाद से अकबरपुर को मिलाने वाली जो सड़कें हैं और इनमें जो बाढ़ के कारण कटाव हो गया है उसका कोई तजकिया नहीं किया गया है।

अकबरपुर-दोसपुर-सुल्तानपुर की सड़कों में पानी भर जाने के कारण जो आवागमन का रास्ता कट गया है उसका कहीं भी उल्लेख सरकारी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। अकबरपुर कस्बे से शाह गंज जाने वाली सड़क जो कि मालीपुर होकर जाती है जो कस्बे के पीछे वाली सड़क है उसमें 6 फिट पानी भरा हुआ है, आवागमन अवरुद्ध हो गया है, कस्बे के कई रोड्स कट गये हैं, उसका कोई जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं किया गया। इस बात का भी इस रिपोर्ट में कहीं पर तजकिरा नहीं किया गया है कि फैजाबाद से शाहगंज और सुरहूरपुर से बनारस वाली सड़क अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण बन्द पड़ी है। इस रिपोर्ट को देखने से मुझे बड़ा दुख होता है कि इस किस्म की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट बिलकुल गलत, बुनियादरहित है। इसकी मैं घोर निन्दा करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ फैजाबाद जिले में सरयू बहती हैं, दूसरी ओर मढ़वा, बिसंवी और तमसा, आदि छोटी छोटी नदियां जो कि बरसाती नदियां हैं, बहती हैं। ये नदियां कुछ टेढ़ी-मेढ़ी बहती हैं। इस बाढ़ और बरसात के कारण इन नदियों ने भी बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है।

अधिष्ठाता महोदय, सन् 55 में भी एक बाढ़ आई थी जिससे कि फजाबाद-अकबरपुर रोड पर एक पुल बना था वह बह गया था। पुल और कस्बे जलमग्न हो गये थे और रेलवे लाइन पर भी पानी आ चुका था। जब वह पुल बहा तो उसका एक हिस्सा नया बनाया गया था जिसमें 11 नालियां बनाई गई थीं। इस वर्ष पानी ने इतना विकराल रूप लिया कि यदि ये 11 नालियां न बनी होतीं तो यह पुल बह सकता था क्योंकि इस वर्ष पानी सन् 55 की बाढ़ से भी अधिक था।

इसपर भी आप गौर करें कि इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर फैजाबाद जिले को जो धन दिया गया है वह केवल 2 लाख रुपया है। यह धन वहां के लिये गृह निर्माण हेतु दिया गया है। सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि पक्के मकान के लिये तीन सौ रुपया और कच्चे मकान के लिये दो सौ रुपया सहायता दी जायगी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वहां के मकान जो गिरे हैं, उनकी संख्या 14,501 है और कुल 2 लाख रुपया उस जिले के लिये दिया गया है। तो इस दो लाख रुपये में से इन 14,501 गिरे हुये मकानों के लिये कैसे व्यवस्था की जा सकती है? कैसे वहां के अधिकारी इस रुपये का आबंटन करेंगे? यदि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है तो वहां के अधिकारियों और विधायकों की मौत है। दूसरी तरफ जो क्षतिग्रस्त गांव हैं वे करीब-करीब 1,01,251 गांव हैं जो कि तहसील अकबरपुर में हैं (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी तो मैं थोड़ा ही बोला हूं, मुझे थोड़ा समय और दे दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट और बोल सकते हैं। आठ-आठ मिनट दिया है।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप इस पर गौर करें कि अकबरपुर में जो गांव बैठ गये हैं उनकी संख्या 151 है। उन गांवों की मरम्मत के लिये सरकार ने हैन्डपंप वगैरह लगाने के लिये एक पैसा नहीं दिया गया। भूमिहीन जो किसान मजदूर हैं उनके जो मकान गिरे हैं उनको किस प्रकार से सहायता दी जायगी? यदि वह तकावी लेना चाहते हैं तो उसे देने की व्यवस्था सरकार ने क्या की है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूमिहीनों को भी तकावी देने के लिए सरकार रुपया दे और उसकी व्यवस्था करे। मैं यह भी कहूंगा कि जो कुयें बैठ गये हैं उनकी जगह हैन्डपंप लगाने के लिये सरकार रुपया दे। मैंने सूचित किया था उत्तर प्रदेश सरकार को टेलीग्राम द्वारा कि अकबरपुर तहसील में जो कुएं बैठ गये हैं और किसानों को बरसात का पानी पीना पड़ता है, जोंक और गंदा पानी पी रहे हैं और सैनिटरी इन्सपेक्टर उस क्षेत्र में कहीं नहीं गये। उनका जवाबतलब भी नहीं किया गया और न कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध की गयी कि हजरत, आप यहां पर मौजूद हैं सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं और जिनके गांव डूब गये हैं, घर गिर गये हैं वह किसान मजदूर तालाब का पानी पी रहे हैं बरसात का, तो उसके लिए आपने क्या किया?

अन्त में मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मैं लिखित रिपोर्ट दे रहा हूं, आप इस पर कार्यवाही करायें।

श्री बांकेलाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उस जिले का रहने वाला हूं जहां पर 12 नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें नारायणी, कठनी, मझनी, छोटी गंडक, बांसी, राप्ती, सरयू इत्यादि हैं। और नाले भी अनगिनत हैं। नारायणी का मल्हैया बंधा टूट जाने से पूरा जिला पानी से भर गया और जितनी छोटी-छोटी नदियां थीं सब में नारायणी का पानी प्रवेश कर गया और पूरा जिला जलमग्न हो गया।

मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दिया है कि सहायता हो रही है, मैंने जाकर खुद देखा। मैं रामपुरवा गया, बोधी छपरा गया, डलवनियां जहां सब ओर पानी भरा है वहां की बड़ी दुर्दशा है। अन्न आता है, उसका वितरण ठीक से नहीं होता है। लोग 4–4, 5–5 मील से आते हैं और अन्न उनको नहीं मिलता, रात को यों ही बैठ कर सो जाते हैं। मैंने तीनों सेंटरों में जाकर देखा। कितने ही गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं लेकिन वहां के लोगों को न अन्न दिया जा रहा है, न उनके बसाने की व्यवस्था की जा रही है। मकानों के सिलसिले में जो राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि इस रिपोर्ट में कि 300 रुपया पक्का मकान बनाने के लिए दिया जायगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 300 रुपया अगर प्रत्येक मंत्री को दे दिया जाय तो वह उसमें कितनी कोठरी और कितने कमरे बनवा लेंगे? एक अच्छी तरह से झोंपड़ी भी तैयार नहीं हो सकती है। हम लोग तो वहां के निवासी हैं जहां के लोग झोंपड़ी में रहते हैं।

दूसरी बात यह है कि दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने स्वयं जा कर देखा खड्डा एरिया में, वहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, नारायणी के किनारे बसने वाले गांवों में, छोटी गंडक, राप्ती के किनारे बसने वाले गांवों में किसी साल कम बाढ़ आती है, किसी साल ज्यादा आती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बाढ़ के इलाके में जो प्रभावित है उसके निरीक्षण और अन्न व्यवस्था के लिए एक आयोग का गठन करें और वह देखें कि किन-किन स्थानों पर क्या-क्या काम किया

जाय जिससे लोग बाढ़ से प्रभावित न हों। नारायणी नदी को ले लीजिये। मल्हैया बंधा पर जब दरार पड़ रही थी तो एक सरकारी इंजीनियर देखने वाला नहीं था और जो भी उसके ठेकेदार थे वह बैठ कर ताश खेल रहे थे। अगर पहले से ही इंजीनियर लोग सचेत रहते तो कल्हैया बंधा नहीं कटता और इतनी दुर्दशा देवरिया की नहीं होती। और खासतौर से खड्डा इलाके की यह दुर्दशा नहीं होती लेकिन इंजीनियरों की नादानी से यह घटना हुई जिससे सारा जिला तबाह हो गया।

ठोकर बनाने का जहां तक संबंध है तो जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं और जो लोग, उस एरिया के रहने वाले हैं वे लोग इंजीनियरों से कहीं अच्छी तरह जानते हैं कि इस कारण से बाढ़ आयेगी इसलिये यहां पर ठोकर बनाई जाय। लेकिन सरकार उनकी तथा हमारी बात मानती नहीं है और न ये इंजीनियर लोग ही मानते हैं। खास तौर से श्री ओ० डी० शर्मा जो 14 मील लम्बा बांध 14 लाख रुपये की लागत से तैयार हुआ उसकी मरम्मत में 6 करोड़ 80 लाख रुपया, इन्होंने खर्च किया। सारा रुपया वह खा गये और मलैया बांध कट गया जिससे सारा जिला तबाह हो गया और लोगों को बड़ी परेशानी हुई। बांध की मरम्मत तो बाद में होगी लेकिन इन इंजीनियरों की मरम्मत पहले होनी चाहिये जिनकी नादानी की वजह से जिनकी जानकारी की वजह से मलैया बांध टूटा और हमारा जिला तबाह हो गया। माननीय कमलापति त्रिपाठी और उपमंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह, खड्डा की तरफ गये थे और उन लोगों ने वहां की हालत देखी है। ठेकेदारों के लिये यह बांध कामधेनु गाय के समान है। ये लोग लखपति बन गये।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी गंडक के किनारे के गांव डुमरी, सवागी पट्टी, डयीडार, पिपरा, लालीपार, रौलिया, बढ़ौरा, रामपुर पौटवा, सिंघना, छितौनी, पगरा महादेव, छपरा, बढ़वा, हारपुर वगैरा, इन गांवों के लोगों को मदद नहीं पहुंचाई गई। महदेवा, सकरौली, पंगरा गांवों के लोगों को कोई इम्दाद नहीं दी गई। इन गांवों में केवल थोड़ा सा अनाज बांटा गया है। उनको न तो मिट्टी का तेल दिया गया है और न दियासलाई दी गई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ क्षेत्र में अस्पताल बनाये जायं। डुमरी सुवानी पट्टी और खड्डा म अस्पताल बनाये जायं। 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये सहायता दी जाय।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपके पास आने पर बोलने का मौका दिया जाय तो मैं आपके पास आ जाऊं। जो लोग आपके पास गये हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

जी नहीं। जिनके नाम सचेतकों द्वारा दिये गये हैं उनको बुलाया जा रहा है।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ के विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। यह ऐसा विषय बन गया है जो हमारे प्रदेश की आर्थिक नीति के लिये एक भयंकर प्रश्न बन रहा है और ऐसा लगता है कि प्रति वर्ष यह बढ़ता ही चला जायेगा। मैं राजस्व मंत्री जी से आपके द्वारा स्पष्ट शब्द बताना चाहता हूं कि बाढ़ का जो श्रीगणेश होता है वह पहाड़ों से ही आरम्भ होता है। पहाड़ों से इसका श्री गणेश होकर मैदान में आकर विकराल रूप धारण कर लेता है। इन पहाड़ों की दशा को सरकार क्यों भुलाती चली जा रही है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

पहाड़ों में इस समय भी तीन प्रक्रियायें हो रही हैं। अत्यन्त और लगातार वर्षा के कारण पहाड़ों पर जब बारिश हो जाती है तो पहाड़ों से नदियां विकराल रूप धारण कर के मैदान में आ जाती हैं जिससे पहाड़ टूटने लगते हैं और कटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके पश्चात तीसरी स्थिति धसख की ही जाती है। सारी जमीन धंसने लगती है। इसके अलावा वहां बहाव बढ़ गया है जिसने भयंकर रूप ले लिया है। मान्यवर, बाढ़ की परिभाषा सरकार ने केवल यही समझी है कि जो क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है, वही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, लेकिन, मान्यवर, पहाड़ों में लगातार वर्षा के दिनों में ऊंचाई होने के कारण पानी रुकता नहीं है, नीचे को बह जाता है, लेकिन वहां भी वर्षा के कारण हजारों और लाखों रुपये की हानि प्रति वर्ष होती है, हजारों एकड़ भूमि नष्ट हो जाती है। लेकिन इनको सरकार बाढ़ से प्रभावित नहीं मानती।

इस बार ही 57 गांव धंस गये, 58 गांवों का कटान हो गया और नदियों के बहाव की हालत ऐसी है कि नदियों के किनारे की जितनी भूमि है वह सारी की सारी कटी जा रही है। जो रिपोर्ट सरकार के पास जिलों से आयी है उसमें केवल उन्हीं स्थानों को दर्शाया गया है जहां उस समय बाढ़ आयी थी लेकिन बहुत से ऐसे भी गांव हैं जो वर्षा से अत्याधिक प्रभावित हुए हैं। लगातार वन विभाग के द्वारा जंगलों की कटाई के कारण बहुत से जंगल नष्ट हो गये हैं, जिसके कारण सारे के सारे पर्वत नंगे हो गये हैं और भूमि बराबर कटती जा रही है, अगर उनको बाढ़ क्षेत्र न समझा गया तो बड़ा भारी अत्याचार उन लोगों पर हो जायगा।

यदि बाढ़ की परिभाषा यही है कि जहां पानी रुक गया हो वही बाढ़ क्षेत्र है तो माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं कहूंगा कि पर्वतों के लिये बाढ़ की उन्हें दूसरी ही परिभाषा बनानी होगी। उन्हें देखना होगा कि अत्यधिक वर्ष के कारण पहाड़ों में क्या क्या नुकसान लोगों का होता है? वहां के लोगों के जानवर, उनकी संपत्ति तथा लोग नदियों की बाढ़ में बह जाते हैं। उनके सारे के सारे खेत बह जाते हैं। उनकी रक्षा का प्रबंध सरकार को करना चाहिये। इसी वर्ष मेरी जानकारी है कि 5–6 हजार जानवर लोगों के बह गये, कई गांव बह गये और 37–38 आदमी बह गये। इससे ज्यादा और कौन सी क्षति मानी जायगी। मैं माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करूंगा कि पर्वतीय इलाकों के लिये बाढ़ की वह दूसरी ही परिभाषा बना दें, यदि पर्वतीय इलाके इस बाढ़ की परिभाषा में नहीं आते हैं तो।

*श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। फतेहपुर गंगा और यमुना की बाढ़ के क्षेत्र में आता है। सरकार की तरफ से जो बाढ़ का विवरण फतेहपुर का दिया हुआ है उसमें लिखा है कि 58 घर गिर गये लेकिन कोई मृत्यु नहीं हुई। फतेहपुर की बाढ़ के बारे में अखबारों में बहुत निकला। फतेहपुर में गढ़ा में 48 गांव हैं जिनमें से 26 गांव प्रभावित हुए हैं। उनमें घर गिरे हैं और कई मौतें भी हुई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक भी मौत होने का जिक्र नहीं है। परिगवां गांव में एक घर के धंस जाने से एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की मौत हो गयी। 3 मर गये और रिपोर्ट में एक का भी जिक्र नहीं है। जहां तक उनको सहायता देने का सवाल है उनको 25–25 रुपया सहायता दी गयी है। माननीय राजस्व मंत्रीजी वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन केवल 25–25 रुपया ही दिया गया है। यह रकम बहुत थोड़ी है, इसको बाढ़ कर 100–100 रुपया और 300–300 रुपया कर दिया जाय।

बाढ़ तो वहां पर कई सालों से आ रही है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बाढ़ से ज्यादा नुकसान गरीब लोगों और हरिजनों का होता है। इसका कारण यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजनों के घर या तो गांव के किनारे अथवा तालाबों के किनारे होते हैं। थोड़ी सी बरसात होने पर भी उन गरीबों और हरिजनों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिये इन बस्तियों का सर्वे करा कर उन्हें ऊंचे स्थान पर जहां पानी न भरता हो उनके मकान बनवाने की व्यवस्था करें। अगर आप उनको और कोई ज्यादा सहायता न दे उसकें तो कम से कम उनके मकान बनाने के लिये ऊंचे स्थान ही दे दें।

दूसरी बात यह है कि फतेहपुर जिले में मार्गों के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है जबकि बिन्दकी और फतेहपुर के बीच में एक हफ्ते से ज्यादा मार्ग बन्द रहा और बसों का आना-जाना बिलकुल बन्द रहा। इसके अलावा बिन्दकी और जहानाबाद और खजुहा और बयवल के बीच का मार्ग काफी दिनों तक बन्द रहा जिससे लोगों की बड़ी असुविधा हुई। रिपोर्ट में जो 58 घर दिखाये गये हैं, तो सैकड़ों घर गिरे, बहुत से आदमी मर गये और हजारों की संख्या में जानवर मरे। राजस्व मंत्री जी स्वयं वहां गये हैं, उन्हें सूचना मिली होगी। चांदपुर इलाके में बाढ़ आयी। वहां कोई सहायता नहीं दी गयी जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई है। सारे टाइम वर्षा होती रही जिसकी वजह से काश्तकार अपनी फसल नहीं बो सके। वहां चारे की समस्या है और खाद्यान्न की समस्या तो है ही। परन्तु जो मकान गिर गये हैं और बाद में गरमी में जो गिरेंगे उसके लिये भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। जहां 25 रुपये बांटे गये हैं वहां अधिक रुपये दिये जायं।

इसके अलावा जो जमीन आबादी के लिये रखी गयी है उसको तो तुरन्त वितरित करके मकान बनाने की व्यवस्था की जाय जिससे बेचारे गरीब हरिजन और बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता हो सके। सरकारी आदेश केवल कागज पर ही रह जाते हैं। लेखपाल ने जैसे रिपोर्ट लिख दी उसी के आधार पर कार्यवाही होती है। किसी और मशीनरी से उसकी जांच नहीं करायी जाती। अगर लेखपाल के अलावा जो फील्ड पर काम करने वाले ग्राम सेवक हैं या प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाय तो सही स्थिति सामने आये। केवल लेखपाल से मंगा लिया और उसने घर बैठे बैठे रिपोर्ट बना दी। इससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिये मैं चाहता हूं कि दूसरे सोर्सेज से भी रिपोर्ट मंगा कर जब समीक्षा की जायगी तो सही स्थिति की जानकारी होगी और उसी के आधार पर सहायता कार्य शुरू किया जाय।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारे जिले में बाढ़ के लिये जो धन दिया गया है वह बहुत थोड़ा है। सहायता की राशि को बढ़ा कर वहां अधिक से अधिक लोगों की सहायता की जाय और टेस्ट वर्क खोले जांय। टेस्ट वर्क में केवल सड़कों की मरम्मत का काम हो, तालाब, आदि का नहीं क्योंकि उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। फतेहपुर जिले में किशुनपुर क्षेत्र में यातायात की कोई सुविधा नहीं है। गढ़ा कोट, मड़ैयन जरौली, इत्यादि गांवों में काफी बाढ़ आयी हुई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करा लें। वहां हजारों की संख्या में घर गिर गये हैं। वहां मुश्किल से 25–30 आदमियों को 25–25 रुपये की सहायता दी गयी है।

(इस समय 2 बज कर 32 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

हम चाहते हैं कि इस धनराशि को बढ़ाकर उन लोगों को ओर अधिक सहायता दी जाय जिससे बाढ़ के सम्बन्ध में जो लोग पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके।

श्री दीपानारायण मणि त्रिपाठी—

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि आपको याद होगा मैंने आठ दिन पहले एक काम-रोको प्रस्ताव दिया था कि देवरिया में बरहज का इलाका बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित है। तो उसके सम्बन्ध में कहा गया था कि बाढ़ के समय आपको समय दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। यदि समय रहेगा तो आपको अवसर मिलेगा।

श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बाढ़ के सम्बन्ध में आपने बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले जौनपुर जनपद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आज लगातार 3 वर्षों से सूखा बाढ़, और अतिवृष्टि का शिकार होता चला आ रहा है। आपको ज्ञात होगा कि जौनपुर जनपद में 1968–69 में भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय जौनपुर जनपद को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा था।

उसके बाद 1969–70 में जो जबरदस्त बाढ़ आई और लम्बे अरसे तक वह टिकी रही। उससे हमारे जिले का यातायात बन्द हो गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जौनपुर जनपद बिलकुल तबाह हो गया। उसके बाद 1970–71 में आपको ज्ञात होगा कि रबी की फसल जैसे ही खालिहान में आई असामयिक वर्षा हो गई जिसी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भूसा और गल्ला ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सड़ गया। उसको उठाकर खाद के गड्ढे में फेंकना पड़ा।

इतना ही नहीं उस समय जो गल्ला कई बार भीग गया था और पूर्वी हवा चलती रही तो उसी समय उसको उठाकर बुखारियों में रखा गया। और जिलों की तो मैं नहीं जानता लेकिन जौनपुर जनपद में जो गल्ला स्टोर में उठाकर रखा गया उसमें बहुत तेजी से घुन लग रहा है और सारा का सारा गल्ला घुनकर खराब हो रहा है। किसानों के पास बोने के लिये बीज, भी नहीं रह गया है। जितने भी बुखारियों में गल्ला रखा हुआ है उस सब में घुन लग रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अभी असामयिक दृष्टि से जो घाव जौनपुर की जनपद की जनता के हृदय से धुल भी न पाया था कि निरन्तर यह अतिवृष्टि हो गई जिससे सारे जौनपुर में सई, गोमती, कल्ला और बसुई नदियों में तथा नाले, गड्ढे, तालाबों में पानी भरने से बड़ी भयंकर बाढ़ आ गई।

आपको मालूम होगा कि जौनपुर और इलाहाबाद की रोड पर जो बरगुवक पुल बना है उसका दाहिना हिस्सा कट गया है। पानी वहां ऊपर से 2 फुट बहा और वहां बड़ा भारी नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में दिया गया है कि वहां 4 नावों की व्यवस्था की गई लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं स्वयं जिलाधीश महोदय के साथ वहां गया था वहां केवल 2 नावों की ही व्यवस्था की गई है। इस के अलावा जो और भी सहायता वहां अपेक्षित थी वह वहां नहीं पहुंचाई जा रही है। उधर सूखे का प्रकोप रहा, फिर बाढ़ आई, फिर असामयिक वृष्टि आई और अब इधर अति वृष्टि हुई और निरन्तर वर्षा हुई और इस सारे क्रम में 3 साल में जौनपुर जनपद तबाह हो गया है।

आप जानते हैं कि गोमती नदी जौनपुर से होकर बहती है और वही नदी यहां लखनऊ में भी बहती है। लखनऊ में गोमती में एक बार भयंकर बाढ़ आई थी और उस वक्त पता नहीं यहां उस को रोकने के लिये कितना पैसा खर्च किया गया। वह अच्छा हुआ लखनऊ को ठीक किया गया यहां बाढ़ से बचने का प्रबन्ध किया गया, उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन जौनपुर में भी गोमती में हर साल बाढ़ आती है, वहां पर सई और गोमती 2 नदियां बहती हैं। कई बार इस विषय पर कमेटी हुई और वहां की बाढ़ रोकने के लिय सुझाव भी दिये गये लेकिन आजतक वहां के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जबकि निरन्तर बाढ़ और सूखे के प्रकोप में हमारा जिला तबाह रहता है। मैं चाहूंगा कि इन समस्याओं पर मंत्री जी स्थायी रूप में विचार करें क्योंकि बाढ़ का प्रकोप एक जिले से दूसरे जिले और एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक और तीसरे प्रान्त तक पहुंचता है।

गंगा नदी की बाढ़ बिहार में और फिर बंगाल में पहुंचती है। कोसी और गंडक नदियां भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती हैं और कई प्रान्तों में जाती हैं और इन नदियों की एक अन्तर्प्रान्तीय समस्या है। हम चाहते हैं कि सभी प्रान्तों से सम्बन्ध स्थापित कर के मंत्री जी कोई ठोस सुझाव एकत्र करें और इस दिशा में कोई सक्रिय और ठोस कदम उठावें। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं और मुझे बड़ा दुःख है कि हमारा जौनपुर एक ऐसा जनपद है कि आजादी की लड़ाई

में वहां के 12 आदमियों को फांसी की सजा दी गई थी, जहां सैकड़ों आदमियों को उस समय कारावास की सजा भोगनी पड़ी थी और वहां की धनिवामऊ क्षेत्र के 6 आदमियों को पेड़ में बांधकर गोली मार दी गई थी। इस तरह से बलिदान में हम आगे रहे हैं लेकिन सुविधायें और साधन पाने में हम हमेशा पीछे रक्खे जाते हैं। जब जब हमारे यहां से आवाज उठाई जाती है पता नहीं क्यों शासन की ओर से जौनपुर जनपद की ओर उपेक्षा की नीति बरती जाती है।

कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिन की ओर ध्यान दिलाना मैं आवश्यक समझता हूं। बाढ़ की रोकथाम के लिये और मकानों के लिये हमारे यहां बहुत धन और सहायता की आवश्यकता है, इस सहायता को बढ़ाया जाय क्योंकि वहां प्रतिवर्ष यह संकट आया करता है। हमारे यहां मकान बहुत ज्यादा गिरे हैं, अति वृष्टि और निरन्तर और लगातार वर्षा से जौनपुर जनपद में बहुत से मकान गिरे हैं और तालाबों और गढ़ों में जो पानी इकट्ठा हुआ है उस के कारण मक्का और अरहर कहीं नहीं हुई है और अति वृष्टि से सारी फसल खेतों में सड़ गई है और 3 साल से हमारा जिला बराबर इन प्रकोपों का शिकार रहा है और हमारे यहां बोने के लिये बीज तक नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि बीज की व्यवस्था अभी से की जाय क्योंकि हमारे यहां जो बीज जून में जाना चाहिये वह सितम्बर में पहुंचता है।

हमारे यहां सिकरारा ब्लाक में बोने के लिये धान अब बंट रहा है जबकि फसल फलफूल रही है। हमारे सिकरारा ब्लाक में अब धान जम रहा है और फूल रहा है तो वहां बीज बांटा जा रहा है। हमारे यहां बिलकुल बचा खुचा बीज भी समाप्त हो चुका है। वह सब सड़गल एवं घुन चुका है इसलिये हमारे जिले के लिये समय से अभी से बीज की व्यवस्था कर दी जाय। जहां बाढ़ आती है वहां सड़न पैदा होती है और पशुओं में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। उसके लिये भी समुचित व्यवस्था की जाय, वहां के विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ की जाय।

एक बात यह भी है कि हमारे यहां आदेश होने पर भी ऋण की वसूली कभी बन्द नहीं होती, वहां वसूली बराबर चलती रहती है, कई बार हमारे जनपद में वसूली बन्द करने के आदेश हुए लेकिन फिर भी वह जारी रही, आज भी कदाचित वह जारी ही रहेगी इस लिये उसको रोकने के लिये सख्ती से कदम उठाने की कृपा की जाय। वसूली बन्द ही न कर दी जाय, बल्कि ऋण जो है, क्योंकि हम लोग 3 साल से संकट में हैं, उसकी किस्तों को बढ़ा दें, और आसान किस्तों में उस ऋण की वसूली की जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इस उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखेंगे तो पायेंगे कि हमारे प्रदेश में बाढ़ का बड़ा भयंकर प्रकोप है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्थिति भयंकर है। यदि उत्तर प्रदेश को एक शेर माना जाय तो देहरादून शेर की मूंछ के बाल है और बलिया शेर की पूंछ का बाल है। अगर पूंछ पानी में डूब जाय तो कोई विशेष बात नहीं लेकिन अगर मूंछ ही पानी में डूब जाय तो बड़ा खतरा है।

हमारा देहरादून डूबता जा रहा है। माननीय राजस्व मंत्री ने पिछली बाढ़ के सम्बन्ध में देहरादून के लिये कुछ नहीं लिखा, इस बार कुछ मामूली सी कृपा की है। इसमें भी देहरादून जिले के बारे में तो कुछ कहा है लेकिन देहरादून शहर के बारे में कुछ नहीं कहा है। मान्यवर, देहरादून जिले में एक ओर ऋषिकेश है। पहली बाढ़ जो अलकनन्दा में आयी थी, उसके सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ जानकारी प्राप्त की और अपनी संस्तुतियां की थीं, लेकिन सरकार ने उन पर कोई ख्याल नहीं किया। दुबारा फिर अलकनन्दा में बाढ़ आयी।

पिछले साल हरिद्वार को भी गम्भीर खतरा हो गया था, वहां पर इन्जीनियरों की गल्ती से बाढ़ से बड़ी क्षति हो गयी थी। इस बार सारा ऋषिकेश खतरे में है, उसके चारों ओर गंगा है। यदि आप, श्रीमन्, देखें तो पायेंगे कि हरिद्वार को जोड़ने वाली जो सड़क है वह गंगा से 3 फुट ही रह गयी है। यदि इसी तरह से हालत रही तो जो हरिद्वार रोड है वह कट जायेगी और जो

श्री नित्यानन्द स्वामी]

सारा पर्वतीय क्षेत्र है हमारे प्रदेश से अलग हो जायगा पर्वतीय क्षेत्र सामरिक महत्व का क्षेत्र है, वहां पर यदि यातायात बन्द हो जाय तो जो कि हमारी फ्रंटियर है, जिससे हम नीती पास और मानापास को पहुंचते हैं, जिससे वहां पर सामान की सप्लाई करते हैं, वह सड़क टूटने वाली है, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

बयान में 1-2-3 नदियों का जिक्र कर दिया गया है और 10,000 रुपये की सहायता देकर संतोष देने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देहरादून में एक रिसपना नुक नदी है। उसकी दूसरी ओर एक आर्डिनेंस फैक्टरी है। वहां पर रोज हजारों कर्मचारी काम करने जाते हैं। जब नदी की बाढ़ आती है तो 23-24 इधर और 23-24 बसें उधर खड़ी हो जाती हैं और हजारों कर्मचारी नदी के किनारे रात भर खड़े रह जाते हैं। वे अपने घर नहीं जा सकते हैं। सुरक्षा संस्थान की जब ऐसी स्थिति होगी तो जो इतने महत्व का काम उसमें होता है, वह कैसे होगा ?

श्रीमन् वहां की बाढ़ में कई व्यक्ति बह गये हैं। सरकार ने कहा कि देहरादून से 4 आदमी बहे हैं लेकिन जहां तक मुझे सूचना है, 2-3 गुना आदमी से कम नहीं बहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यदि सरकार चाहे तो इसकी जांच कर ले। इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव पर 1969 अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसी सदन में सरकार की ओर से एक आश्वासन दिया गया था कि पुल का निर्माण किया जायेगा लेकिन 2 साल हो गये फिर भी वहां पर पुल नहीं बना। मैं सरकार को चेतवानी देना चाहता हूं कि यदि 1 महीने में इस बात की घोषणा नहीं होगी कि वहां पर वह पुल बनेगा तो वहां पर बहुत बड़ा आन्दोलन होगा और इतना बड़ा जन आंदोलन होगा जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे कि सरकार को बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी।

वहां पर एक नदी बिंडाल है जिसमें बाढ़ आने से वहां के हरिजनों और बाल्मिकियों की झोपड़ियां बह गयीं और यहां से सहायता भेजी जाती है 20-2 रुपया और वह भी किन को जो सत्ताधारी गुट के उस मुहल्ले के नेता लोग हैं, वे तहसीलदार के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों को सहायता दिलवा देते हैं जिनको सहायता की आवश्यकता नहीं होती है या जो उनके आदमी होते हैं। मैंने जाकर जिलाधीश से कहा। तहसीलदार से कहा। मैंने सदन में आश्वासन मांगा था कि जब सहायता का वितरण होगा तो जो जिलों के प्रतिनिधि है, विधायक हैं उनको भी आप कान्फीडैन्स में लेंगे। उनसे सलाह-मशविरा करेंगे। आपने कृप करके आश्वासन दिया। लेकिन जो वहां पर वितरण हो रहा है, आप जाकर देखेंगे जिसकी झोपड़ी तक पानी नहीं आया है उनको पच्चीस रुपये मिले हैं और जिनकी झोंपड़ियां बह गई हैं उनका कोई नाम लेवा नहीं है। इस तरह से सहायता का वितरण हो रहा है।

दूसरी विडांल नदी है। उसने भयंकर प्रकोप किया है। एक छबील बाग बस्ती है। एक मामूली काम करने वाले सिक्ख भाई हैं उनकी बस्ती है। उनकी सैकड़ों झोपड़ियों में पानी भर गया है। नदी बिंडाल के पास एक गोविन्दगढ़ बस्ती है। उसके पास बन्धे बने हुए थे वे भी टूट गये हैं। रात भर आदमी औरत बैठे उन नदियों के किनारे पत्थर डाल रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। स्टेट बैंक इम्मलाइज की एक कालोनी है वह भी डूब रही है। सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। कोई पी० डब्लू० डी० को कहता है तो वे कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है।

8 जून, 1971 को माननीय मुख्य मंत्री को मैंने एक पत्र दिया मैंने स्वयं मिल कर कहा कि यह जो आपका फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड है उसके वे चैयरमैन हैं मैंने उनसे कहा कि इन वस्तियों को बहने से बचाने के लिये कोई बन्धा बना दीजिये। लेकिन उस पत्र को हो सकता है, जल्दी में हो गया हो, कार्यालय की त्रुटि से वह पी०डब्लू०डी० को चला गया। मैं नहीं जानता कि पी० डब्लू० डी० इसमें क्या कर रहा है? वह बस्ती डूब रही है। इसी तरह से एक नेश्विल।

रोड की बाल्मीकी बस्ती है उसमे पानी इतना भर गया है कि हर चीज तैर रही है, आदमी रह नहीं पा रहा है ।

(लाल बत्ती होने पर)

एक समाचार सहारनपुर से भी श्री खन्ना जी लाये हैं वहां के भुकड़ी, पंचवा और ठोडरपुर गांव हैं । यहां के लोगों ने अपने सामान को बचाने के लिये एक जगह शरण ली और वहां आ ठहरें तो वहां पुलिस पहुंच गई । एस० डी० एम० पहुंच गये । मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वायरलेस देकर सहारनपुर के जिलाधीश को कहिये कि उनको न हटाया जाय और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको रहने के लिये थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाय । ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पुलों का निरीक्षण हो, बांधों का इन्तजाम हो और जो सहायता है वह इस तरह से बांटी जाय जिससे लोगों को सही रूप से मिल सके । वहां एक कामेट बल्ब फैक्टरी है और महन्त जी का एक इन्टरमीडिएट कालेज है वह डूब रहा है । एक कांवली गांव है, वह भी डूब रहा है । इनके लिये मदद की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करू ा कि राजस्व मंत्री जी देहरादून को ऐसा न समझें । देहरादून आपको भी आना पड़ता है । कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो देहरादून न आता हो । मैं चाहूंगा कि आप सबका स्वागत हो, काले झंडों से नहीं । बेहतरी इसमें है कि आप हमारा काम कर दें ताकि देहरादून के लोगों को राहत मिल सके ।

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने के लिये आप थोड़ा-थोड़ा समय दे दें । एक दिन चर्चा के लिये कर दें तो अच्छा हो ।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह इतना महत्वपर्ण विषय है जिसमें न अधिकारी ही उपस्थित हैं गैलरी में और मंत्रियों में भी केवल एक ही मंत्री हैं यहां पर । इतने महत्वपूर्ण विषय पर इनको उपस्थित रहना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय के बारे में मेरी व्यवस्था चाही है . . . .

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

यह बाढ़ का विषय है जिसमें सब को बंटवारे के साथ समय देने का प्रश्न नहीं है । इसमें कोई निर्देशन या सचिव के सलाह की आवश्यकता भी नहीं है । इसमें तो आप स्वविवेक से काम लें तो अच्छा है । जो एफेक्टेड जिले हैं उनकी बातें आप को ज्यादा सुननी चाहिये । यह सारे प्रदेश का प्रश्न नहीं है कि इसमें सबको बंटवारे से समय दें परिशिष्ट देख कर जो परेशान जिले हैं उनको बोलने का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पांच-पांच मिनट ले लें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आठ मिनट ही चलने दीजिये । पांच मिनट में क्या होगा ?

डाक्टर हरि प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया। दो-तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। यह कहा गया कि हम रिलीफ के कार्य में बहुत सी चीजें दे रहे हैं। यह बात अपनी जगह पर सही है। मंत्री जी ने बयान में कहा है कि करीब 75 लाख लोग इससे प्रभावित हैं और जो रुपया दिया गया है वह करीब 88 लाख है। इस तरह से एक आदमी पर करीब एक रुपया पड़ता है। श्रीमन्, दो मुख्य बातें हैं। एक तो रेस्क्यू का कार्य करते नावों के द्वारा बाढ़ से निकालने और दूसरी तरह से भी लोगों को आपत्ति से बचाना और दूसरे यह कि उनको किस तरह से बसाया जाय--सेटिलमेन्ट क्या हो? मैं कहता कि अगर इस वर्ष के बजट का पूरा साढ़े छः सौ करोड़ रुपया भी लगा दिया जाय तब भी करीब 75 रु० प्रति व्यक्ति पड़ेगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान रिलीफ, रैस्क्यू या सेटिलमेंट से नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई स्थायी हल निकालना होगा। यह सही है कि जितना रिलीफ में दें उतना ही कम है। सारा बजट ही दे दें तब ही कम है। फोर्थ प्लान में आपने 8 करोड़ के प्राविधान है। 71-72 में 2 करोड़ खर्च कर सकते हैं। पिछले वर्ष पूरा नहीं खर्च कर सके थे। अबकी बार पैरा भी खर्च कर दें तो 2 करोड़ ही तो खर्च करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती है। गोरखपुर के एक ब्रह्मपुर गांव का मैंने अध्ययन किया। 73 घर हैं वहां जिनमें से केवल 7 बचे हैं जिनमें आदमी रह सकता है, बाकी सब कट गए।

फसल के नुकसान का अनुमान आपने 60 करोड़ बताया है, एक लाख मकान गिरने की बात कही है। तो 200 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कोई परमानेन्ट हल हो। माननीय दुबे जी, बलिया के एक कलेक्टर द्वारा लिखी रिपोर्ट की चर्चा की है। उससे भी हल नहीं निकलता है। हिन्दुस्तान का जो वाटर कंट्रोल कमीशन है उसकी रिपोर्ट और दूसरे युनेस्को की साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट को देखें तो दोनों में यह कहा गया है कि सम्भवतः साउथ ईस्ट एशिया में फ्लड का कन्ट्रोल हो सकता। चीन में जहां इतनी जनशक्ति है वहां पर भी यह प्रयोग सफल नहीं हो सकता। जापान एक छोटा सा देश है। वहां भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका हमारे यहां तो 13-14 दिन जुलाई में और ऐसे अगस्त में पानी बरसता है। करीब-करीब 44 दिन गिरता है। साल में जितना पानी गिरना चाहिये वह 44 दिन में गिर जाता है। ऐसी स्थिति में हमें सोचना होगा कि इसका समाधान कैसे हो। (लाल बत्ती जलने पर) एक-दो मिनट और दे दें, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं 3 सुझाव देना चाहता हूं जिन पर यह सम्मानित सदन और सम्मानित सदस्य विचार करें। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और जब वे मैदानों में आती हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वाटर लागिंग की समस्या बड़ी भयावह है। हमारे यहां और विशेष कर पूर्वी जिलों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। बाढ़ के दिनों में वह डिप्रेशन हमारे लिए बड़ा घातक बन जाता है और हजारों एकड़ जमीन पानी से प्रभावित हो जाती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप बाढ़ तथा वाटर लागिंग दोनों की समस्याओं के प्रति ध्यान दें और इसकी ओर केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करायें।

हमारे यहां सारी नदियां जैसे गंगा, राप्ती, गन्डक, इत्यादि पहाड़ से निकलती हैं। उनका उद्गम पहाड़ में है। जब तक पहाड़ में सिल्ट को रोकने के लिये रुकावट नहीं डाली जायगी तब तक बाढ़ की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। पहाड़ों में छोटे-छोटे बांध तथा रिजरवायर्स बनाये जायं ताकि पानी रुक सके। यह भी प्रबन्ध होना चाहिये कि जितना पानी लेना हम आवश्यक समझें उतना ही ले सकें। हमको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ताकि जो सिल्ट व डिपाजिट आता है वह बन्द हो जाये। कुछ नदियां नेपाल से निकलती हैं। मन्त्री

जी से निवेदन है कि वे ऐसी व्यवस्था करें ताकि वहां पर भी छोटे-छोटे बान्ध बनाने की योजना कार्यान्वित हो जाये। इस समस्या का कोई परमानेन्ट यानी स्थायी हल निकलना चाहिये। (लाल बत्ती होने पर) मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं।

आप देखेंगे कि 8 करोड़ रुपये में से 4 करोड़ रुपये भूमि संरक्षण पर खर्च किये जाते हैं। यह दुर्भाग्य है कि स्वायल कंजरवेशन का प्रयोग अधिकतर खेतों के ऊपर किया जा रहा है। जहां पर बाढ़ आती है वहां अफारेस्टेशन होना चाहिये। उस 4 करोड़ रुपये को भी इस तरह डाइवर्ट होना चाहिये और सेन्टर से भी इस दिशा में और धन मांगने की योजना होनी चाहिये। जहां नदियां मैदान में आती हैं वहां एक भूखण्ड में पेड़ पौधे लगाने चाहिये जिससे सिल्ट वहीं रुक जाये। कटाव रुक जायं। जमींदारी अबालिशन से पहले तो बड़े-बड़े जंगल थे, मगर उनको काट दिया गया है, और इस कारण सिल्ट और तेजी से आ रहा है। अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो बाढ़ की समस्या और वाटर लागिंग की समस्या हल हो जायेगी।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ के संबंध में थोड़ा सा समय बोलने को दिया। बाढ़ से संसंधित रिपोर्ट को मैंने पढ़ा। इसमें हर जगह बाढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। पश्चिमी जिलों में, खासकर मथुरा जिले में गर्मी की समस्या बड़ी ही भयंकर है। कृपा करके आप वाटर लागिंग की समस्या की ओर ध्यान दें। अभी मथुरा में बाढ़ आयी और वह 4–6 दिन तक रही। उस बाढ़ से काफी नुकसान तो हुआ, परन्तु वह साथ ही साथ हमको कुछ दे भी गयी।

वह कृषि के लिये उर्वरा शक्ति दे गई लेकिन गरकी समस्या ऐसी है जो मेरे जिले को 20–22 साल से नष्ट किये हुये है। इस साल भी जिले का कोई ऐसा भाग नहीं है, कोई तहसील भी बाकी नहीं जहां गरकी न हो। मैं यह कहूंगा कि इस समस्या के लिये जो बड़ी तूफानी है उसके लिये एक स्पेशल आयोग बनाया जाय। यहां कहना जरूरी है कि हमारे जिले में दूसरे प्रदेशों से नाले आते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि गोवर्धन ड्रेन तो है ही लेकिन मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत और भी बहुत सी छोटी-छोटी ड्रेन्स हैं जिनके नाम हैं, बिन्दु बिलारी ड्रेन, पचावर ड्रेन, अलीपुर ड्रेन, वेरनी ड्रेन, सोनीकट ड्रेन, जोगपुराकर ड्रेन, पिरसुआ ड्रेन, सोखतालगढ़ी ड्रेन, झरौटा ड्रेन, लोहागढ़ ड्रेन, इत्यादि। गत वर्ष इन नालों की सफाई न होने से यह समस्या भयंकर पैदा हो गई है।

मेरे भाई जो बाढ़ की बात कह रहे हैं वह तो थोड़े दिनों के लिये आती है लेकिन यह समस्या तो महीनों रहती है और बड़ा नुकसान करती है। मथुरा जिले की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई पशु व मानव बाढ़ से नहीं मरा है लेकिन मेरी जानकारी है कि सात-आठ व्यक्ति मर गये हैं और सैकड़ों पशु मरे हैं। हजारों मकान नष्ट हुये हैं और बुरी तरह से बीमारी मानव एवं पशुओं में फैली हुई है।

इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी विधायकों से पूछकर मीटिंग करेंगे लेकिन मेरे यहां ऐसा नहीं किया गया है। मैंने सुझाव रक्खे थे कि वह भी नहीं पूरे किये गये हैं। मैं मंत्री जी को चैलेन्ज करता हूं कि यह रिपोर्ट गलत है। इससे कई गुना नुकसान जिलों में हुआ है। लोग सड़कों और पटरियों पर रह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी निरीक्षण करें कि कैसी दयनीय हालत लोगों की हो गई है। मैं फिर यह कहूंगा कि बाढ़ की समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि गरकी, इसके लिये एक विशेष आयोग तुरन्त गठित किया जाय। मथुरा जिला पश्चिमी जिलों में एक हरा भरा जिला था लेकिन 20,22 वर्षों तक की गर्की की मार से आज इसकी हालत पूर्वी जिलों से भी खराब है। इसलिये बाढ़ के साथ साथ गर्की की समस्या को भी लिया जाय। यह समस्या बाढ़ की समस्या के साथ दब जाती है हाला कि इससे क्षति बाढ़ के मुकाबले कहीं अधिक होती रही

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वसूलयाबी बन्द कर दी गई लेकिन मेरे यहां अभी यह जारी है। और कोई सहायता भी पीड़ितों को नहीं बांटी गई जो रुपया तकावी के रूप में दिया जा रहा है मैं इसके पक्ष में अधिक नहीं हूं। इससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह किया जाय कि जो नालें हैं उनकी सफाई नहीं होती वह प्रतिवर्ष जरूर की जाय या उनको बन्द कर दिया जा ताकि हजारों एकड़ भूमि मिल सके। इन नालों की हर साल सफाई की जाय और आबादी की ओर बेल्ट सुरक्षित कर दी जाय।

पशु और मानवों में फैली हुई महामारी को रोकने के तुरन्त साधन जुटाये जांय और आगामी कृषि की फसल को सुरक्षित और बढ़िया बीज अधिक मात्रा में तकावी पर किसानों को देने की व्यवस्था की जाय जिसमें खासकर मटर अधिक हो। बाढ़ के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण दूंगा।

अभी जमुना में जो बाढ़ आयी उससे अब्दुल, नबीपुर, ईसापुर, डेंगरा और दूसरे गांवों को बुरी तरह से सरकारी अधिकारियों की तुच्छ सूझने नष्ट कर दिया। किस प्रकार नष्ट किया यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। रेलवे की पटरी को बचाने के लिये तीन ओर से बांध दिया और धारा की तरफ नहीं बांधा। नतीजा यह हुआ कि गांवों में पानी भरा हुआ है जिसका किसी तरफ कोई निकास नहीं है और उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिख कर दिया है। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि गर्की की समस्या के लिये कोई उच्च आयोग गठित किया जाय जो इस समस्या को देखे और बाढ़ से रक्षा के लिये इन गांवों के चारों ओर बांध बांधा जाय।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

जिन लोगों ने नोटिस दिया था और जहां बाढ़ आयी वहां के लोगों को बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सवाल उठाया गया उस पर दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं तो क्या उनको न बोलने दिया जाय?

श्री रामलखन सिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि वे न बोलें। लेकिन जिन्होंने इसके लिए सूचना दी उनको भी मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

36 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। यह सम्भव नहीं है कि एक दिन में सभी बोल लें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न सुन लें। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां के सदस्यों को मौका दें।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ तो बिलकुल ही छूट गया है और वह इसलिये कि वहां की चर्चा यहां हुई नहीं।

श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई कि मुझे बाढ़ के संबंध में बोलने का अवसर दिया। यह पहला अवसर है जबकि बीच के जिलों में फर्रुखाबाद की समस्या रखने का मौका दिया गया है। पूर्वी जिलों के लोग कहते हैं कि वहां बाढ़ ज्यादा आती है, पश्चिमी जिले के

लोग भी बाढ़ की बात करते हैं और पहाड़ के एक साथी अभी बोल रहे थे कि पहाड़ में भी बाढ़ आ गयी जबकि वह सबसे ऊंचा क्षेत्र है। बीच के इलाके का कोई ख्याल नहीं करता। मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 356 गांव और 87 हजार लोग प्रभावित बताये है। मैं इसमें उनका कोई कसूर नहीं मानता लेकिन जिन सूत्रों से रिपार्ट मंगायी गयी है वह उन्होंने सही नहीं भेजी है।

जिस इलाके में मैं रहता हूं और जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं उसमें 175 गांव है और 80 लाख के लगभग की आबादी है। वहां काफी नुकसान हुआ है। कन्नौज तहसील और कायमगंज तहसील में हजारों लोग प्रभावित हुए है। पता नहीं यह रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई है। मंत्री जी यहां से चाहे कुछ आदेश कर देते हों लेकिन अब उनका पालन पहले के मुकाबले नहीं होता जिसके कारण यह दिक्कत पड़ती है। वहां सरकारी अधिकारी यदि गये भी तो उन्होंने गैर-सरकारी लोगों से कोई भी सलाह नहीं ली। यदि कोई अनुदान बटाना होगा या कोई तकावी देना तय करेंगे तो अधिकारी लोग गैर-सरकारी व्यक्तियों से न तो किसी प्रकार का परामर्श ही करते हैं और न उनकी कुछ बात ही मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में ऐसा आता है कि उनको यह डर होगा कि गैर सरकारी लोगों को अगर पता चल जायगा, उनका अगर परामर्श लिया जायगा तो मुझे खाने पीने का मौका नहीं मिलेगा जैसा कि 40 प्रतिशत तक लेखपाल तथा अन्य स्टाफ के लोग बीच में ही खा जाते हैं। तो यह जो फर्रुखाबाद की रिपोर्ट आई है यह बिलकुल गलत है।

फिर बाढ़ से जो नुकसान हुआ है वह तो हुआ ही है, मगर जो बीमारी फैली है उसके लिये वहां दवा बांटने का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। वहां एक-एक मील तक बदबू आ रही है। हेल्थ विभाग मंत्री जी के आदेशों को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। प्रत्येक गांव में दवा बांटने का शीघ्र प्रबन्ध होना चाहिये। मेरे यहां ही नहीं, पूरे प्रदेश में दवा बांटने का प्रबन्ध होना चाहिये।

रबी की बुआई के लिये सरकार को अभी से अच्छे बीज का प्रबन्ध करना चाहिये। यह नहीं कि बाद को बीज का इन्तजाम हो जब फसल बोने का समय ही निकल जाय और फिर वह बीज खाने के काम में लाया जाय। चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाके में रबी और खरीफ की दोनों फसलें खराब हो गई हैं, अतः ऐसे क्षेत्रों के गरीब बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो वे बच्चे पढ़ाई जारी नहीं रख सकेंगे जो गांव बाढ़ के कारण कट कर नष्ट हो गये हैं, वहां के लोगों को बसने के लिये स्थान देना चाहिये तथा मकान बनाने के लिये तकावी देना चाहिये। मेरे जिले में कई गांव बिलकुल कट गये हैं। सरकार को टीन आदि देकर उनके बसाने के लिये उचित कदम उठाना चाहिये। तीन-चार गांव तो बिलकुल बह गये हैं। उनके पास एक बिसवां जमीन भी नहीं रह गयी है। अतः माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली बार भी बाढ़ की बहस में आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। अहरौरा बांध टूट रहा है। नियम 51 के अन्तर्गत भी मैंने प्रस्ताव भेजा था। मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने का समय देंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जितना समय है उसके अन्तर्गत मैं कोशिश करूंगा समय देने की। (व्यवधान)।

श्री शिवदास—

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे बोलने का .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप चेतावनी नहीं दे सकते, यह गलत है....

श्री शिवदास—

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको वहां नहीं बैठने दूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से मैं इजाजत नहीं देता। आप कृपा करके बाहर जाएं..... (व्यवधान) (शोर).....आप बाहर जाएं।

(व्यवधान)

श्री शिवदास—

आप मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बेजा बात कर रहे हैं। आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कहीं दिमाग खराब हो जाता है।

श्री शिवदास—

हम इसी तरह का व्यवहार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

तो फिर हाउस में हम आपकी उपेक्षा करेंगे।

*श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, राजस्व मंत्री ने जो वक्तव्य पढ़ा, उसके देखने से मालूम हो रहा है कि पता नहीं यह सरकार और हमारे राजस्व मंत्री आज बाढ़ से इतने उदासीन से क्यों हैं। बाढ़ के संबंध में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली और उसके लिये कोई कार्य नहीं किया है। श्रीमन्,आप देखेंगे कि यहां सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि असामयिक वर्षा और बाढ़ के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार ने 5 करोड़ रुपया दिया है और 2 करोड़ रुपया वहां से ऋण के रूप में मिला है। इस तरह से 7 करोड़ रुपया जो मिला है, आप देखें कि उसका आबंटन किस तरह से किया गया है। 21 लाख रुपया तकावी के लिये और 50 लाख रुपया और तमाम चीजों के लिये दिया गया है और कोई पैसा नहीं दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय राजस्व मंत्री क्यों उस पैसे को रोके हुए हैं। रोकने की बात भी ठीक है।

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बाढ़ के सिलसिले में कलेक्टर लिखकर भेजेगा तो हम पैसे भेजेंगे। हमारे यहां फैजाबाद के कलेक्टर ने 21 अगस्त को रेडियोग्राम द्वारा 13 लाख रुपये की मांग की और उसके लिये तीन-चार रिमाइन्डर भी दिया लेकिन आज तक एक पैसा भी वहां राजस्व मंत्री जी ने नहीं भेजा। कल कलेक्टर से मैं मिला था तो उन्होंने कहा कि आज तक एक पैसा भी हमको नहीं मिला है। मैंने इस तरह का एक उदाहरण दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि बाढ़ के संबंध में सरकार की कितनी उदासीनता है और राजस्व मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी बाढ़ की स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि इसका वे जवाब दें स्पष्टीकरण करते हुए कि फैजाबाद के कलेक्टर ने 13 लाख रुपये की जो मांग की थी वह कब की थी तथा उसके रिमाइन्डर किस-किस तारीख में आये थे। जो आंकड़े मैंने आपके देखें हैं उन्हीं को मैं आपके सामने रखता हूं कि इसमें भी भेद-भाव की नीति बरती गई है।

देवरिया जनपद जहां की प्रभावित जनसंख्या 9 लाख 96 हजार है, फैजाबाद जनपद में 5 लाख 52 हजार, गोरखपुर में 3 लाख 29 हजार, आजमगढ़ में 4 लाख 65 हजार, वाराणसी में 5 लाख 80 हजार है लेकिन उनको जो मदद दी गई है वह इस प्रकार है। फैजाबाद जनपद को केवल 2 लाख रुपया दिया गया है और तकावी के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया है। जिन जिलों में 50–60 गांव ही बाढ़ से प्रभावित है वहां 9–10 लाख रुपये तक दिये गये हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में 60 गांव बाढ़ क्षेत्र में हैं लेकिन वहां मिला है 4 लाख 45 हजार रुपया, और फैजाबाद जनपद जिसके 1,251 गांव बाढ़ से प्रभावित है उसका कुल सिर्फ 2 लाख रुपया मिला है।

यही नहीं, आगे आप देखें—गोरखपुर के 1,210 गांव अफेक्टेड हैं वहां 9 लाख 62 हजार रुपया दिया गया है। बलिया जिले में 1,118 गांव अफेक्टेड हैं, वहां 6 लाख रुपया भेजा गया है। लेकिन फैजाबाद जनपद जहां सबसे ज्यादा 1,251 अफेक्टेड है वहां केवल 2 लाख रुपया ही दिया गया है। पता नहीं किस प्रकार से सरकार द्वारा यह आबंटन किया गया है और किस प्रकार से सहायता दे रहे हैं। यही नहीं जो सूची दी गई है उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश में साल भर तक बाढ़ सहायता का आबंटन होता रहेगा।

मालूम होता है कि जो आंकड़े दिये गये हैं या तो वे गलत हैं या माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं है कि जिस प्रकार से दिया गया है या किस तरह से क्या हो रहा है। इसके कुछ विशेष कारण हैं। मेरी निश्चित सूचना है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के 50–51 एम० एल० एज० ने माननीय राजस्व मंत्री के खिलाफ लिख कर माननीय मुख्य मंत्री को दिया है। (व्यवधान) यदि गलत है तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा, यहीं हाउस में खड़ा करके साबित करा दूंगा। सत्तारूढ़ दल के—51 एम० एल० एज० ने माननीय राजस्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा अन्य प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत की है। मैं समझता हूं यह थोड़ी सी परेशानी राजस्व मंत्री जी को हो सकती है, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वयं देखें यदि उनको कुछ कठिनाई हो रही है।

फैजाबाद जिले में 20 हजार मकान गिरे हैं। राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि दो से तीन सौ रुपये तक मकानों को अनुदान दिया जायगा, तो अगर उन्हीं की बात को सत्य मान लिया जाये और 2 सौ रुपये प्रति मकान ही दिया जाय तो 40,00,000 रुपये की जरूरत होगी, जबकि सिर्फ दो लाख रुपये वहां के लिये दिये हैं। इस तरह से फैजाबाद में 5 तहसीलें हैं, मगर एक तहसील में एस० डी० ओ० नहीं है और 5 तहसीलों में से दो तहसीलों में तहसीलदार नहीं है। तो जब एस० डी० ओ० और तहसीलदार ही नहीं है तो बाढ़ की सहायता व रोकथाम का काम कैसे हो पायेगा? यदि वाकई में वह चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ न हो तो उन अधिकारियों की सरकार नियुक्ति करे।

मैं नियमों के बारे में भी कहना चाहता हूं, जो नियम बने हैं, उसमें भी आप आवश्यक परिवर्तन करें। कहा जाता है कि 500 रुपये तक तहसीलदार तकावी बांट सकता है, लेकिन 6 आदमी जाल करके 100–100 रुपये की लें तो 600 रुपया होगा, जिसे तहसीलदार बांट नहीं सकते हैं। तो इसको एस० डी० ओ० भी करे ऐसी इसमें व्यवस्था कर दी जाय। यही नहीं जहां तक ग्रेचुवस रिलीफ की बात है, वह नायब तहसीलदार तो बांट नहीं सकता है, अगर बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० को भी अधिकार दे दिया जाय, तो काफी अच्छा काम हो जायगा।

[श्री विश्वनाथ कपूर]

अन्त में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति में दो प्रकार के जिले हैं। एक प्रकार के जिले तो केवल बाढ़ से पीड़ित हैं और दूसरे प्रकार के जिले बाढ़ व असामयिक वर्षा दोनों व्याधियों से पीड़ित हैं। इन दोनों को देखकर, अलग-अलग वह इसके वितरण की व्यवस्था करें तभी कार्य चलने वाला है। यह बाढ़ की समस्या उन्हें लपेट में ले जायेगी और सरकार के मंत्री और बड़े-बड़े अधिकारी रुपये-पैसे और सोने की बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये सोचते हैं कि हम रुपये की बाढ़ बनायें जनता का ध्यान इधर नहीं जायेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि यही चीज रही तो यह सरकार नहीं रहेगी और न उसके रहने का कोई औचित्य है। (व्यवधान)

एक सदस्य--

श्रीमन्, समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आज तो सम्भव नहीं होगा, लेकिन...

श्री रामगोपाल सण्ड--

श्रीमन्, इसमें इलाहाबाद जिले का नाम नहीं है। इसके विरोध में मैं सदन से वाक-आउट करता हूं। इलाहाबाद में दो नदियों में बाढ़ आई है, लेकिन सरकारी वक्तव्य में उसका कोई जिक्र मंत्री जी ने नहीं किया है।

(श्री रामगोपाल संड सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यदि थोड़ा-सा समय और बढ़ाया जाय, तब भी सबको समय नहीं मिल पायेगा। आज समय बढ़ाया नहीं जा सकता। आप ही बताएं।

श्री बंशीधर पांडेय--

मेरा सुझाव है कल इस पर आप 2 घंटे का समय दे दें, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट किये लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आज तो समय नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय--

नहीं, कल दो घंटे।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार का दृष्टिकोण भी समझ लें। कल दो बिल पास करने हैं। उसके बाद दो घंटा में भी पूरा नहीं होगा क्योंकि आप इतने लोग खड़े हैं। ऐसा सोचा गया था कार्य-मंत्रणा समिति में, ऐसा तय हुआ था अभी जो बाढ़ आयी है इसका मूल्यांकन, कितना नुकसान इसने किया है, सभी माननीय सदस्यों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ कि पहले सरकारी दृष्टिकोण को सुन लिया जाय। उसके बाद माननीय सदस्य जायेंगे अपनी-अपनी जगहों पर, लौटकर आयेंगे तब उनको पूरा बाढ़ के बारे में अवसर दिया जायगा। (व्यवधान) आप कृपा करके बैठें। इस तरह से नहीं, आप स्वयं अपने केस को रखना नहीं जानते हैं। आप चाहते हैं धांधली से सरकारी पक्ष को मजबूत करना

चाहते हैं, गर्मी से बात न कीजिये। जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी सभी के सदस्य कार्य-मंत्रणा समिति में थे। अगर कल पूरा दिन भी दे दिया जाय तो भी आपको संतोष नहीं होगा, जब तक अपने-अपने स्थानों पर नहीं जायेंगे।

(बहुत से माननीय सदस्य खड़े हुए।) एक-एक दल का एक-एक नेता अपने सुझाव देना चाहे तो दे दे। सब अगर बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? पांडेय जी, आप हैं, आप अपने दल की तरफ से क्या राय देना चाहते हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

किस विषय पर?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में जैसे तय हुआ था, एक दिन दे दिया जाय आने के बाद, 14, 15, 16 किसी तारीख में पूरा दिन दे दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं समझता हूं कि आप फिर मीटिंग बुला लें। एक दिन बहस हो जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—

सबको मौका मिल जायगा। माननीय हरिनाथ तिवारी।

(श्री रामकुंवर सिंह के कुछ कहने पर) आप अपने दल के ऊपर हैं? आप अपने दल के अनुशासन में नहीं हैं?

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

समय जरूर बढ़ा दिया जाय। समय कल दो या चार घंटे बढ़ा दिया जाय। आज तो बढ़ ही नहीं सकता।

श्री उदितनारायण शर्मा—

यदि कल के अलावा अगली तारीख को रखा जाय तो ज्यादा अच्छा है। कल मुझे परिषद् में कुछ काम है। वह जाना होगा। आज वहां गया था कुछ काम करने को। मैं नहीं कर सका। वह बहस चल रही है। कल जाकर मुझे भाग लेना पड़ेगा। मुझे इसमें एतराज नहीं है। बहस , जरूर हो। आज न खत्म हो। आप लोगों को एतराज न हो तो जब दोबारा मिलेंगे एक दिन पूरा ले लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह आप वजा फरमाते हैं कि एक दिन का समय निर्धारित किया गया था लेकिन माननीय सदस्यों की उत्सुकता भी आप देख रहे हैं कि यह समय अपर्याप्त रहा। कल 2, 3 घंटे का समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

बिल आप जल्दी पास कर देंगे कल, तो समय मिल सकेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बाढ़ का सवाल केवल शर्मा जी के महकमे का नहीं है। आप तो कुछ रिलीफ वर्क कर देते हैं। बाढ़ में स्वास्थ्य, वन, सिंचाई तथा राजस्व विभाग आते हैं। इन सब विभागों से राय लेकर तात्कालिक रिलीफ देने के अलावा जो दीर्घकालीन तस्वीर है उसे भी आप सदन के सामने रखें तब तो फायदा होगा वर्ना कोई फायदा नहीं हो सकेगा।

श्री मैकेजर सिंह---

ऐसे भी सदस्य हैं जो बाढ़ के समय अपने क्षेत्र में गये हुए थे और हफ्ते में जो एक दिन बाढ़ पर सूचना दी जाती थी उस समय वह वहां नहीं थे तब उसका भी ख्याल रखना होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अब जो अकेले गया है वहां नहीं रहा है तो उसके लिये समय तो नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

श्री मैकेजर सिंह---

जो नहीं गये उनको इतनी चिन्ता नहीं थी अपने क्षेत्र की।

श्री उपाध्यक्ष---

आप एक दूसरे को तर्क में हरा सकते हैं लेकिन इससे हमको कठिनाई में पड़ जाना पड़ता है। दो घंटे का समय अगर कल बढ़ा भी दिया जाता है और 50 सदस्य खड़े होते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है और सब माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि बोलना सभी चाहते हैं। इसलिये मैं हर दल के नेता से यह अपेक्षा करता हूं कि जो अपने दल के सदस्यों को बुलवाना चाहते हैं उनके नाम आप दे दें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

उसका पालन पहले नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

बांके लाल जी आपके दल के बोले हैं और दलों को भी देखना होता है। 25 सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री राम कुंवर सिंह---

लगभग 50 बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप सब आसन ग्रहण करें। मैं सुन नहीं पा रहा हूं। ऐसे कैसे चलेगा अगर सब बोलते रहेंगे? सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मेरा निवेदन यह है कि अगर कल समय दिया गया तो जायसवाल जी ने जो सूचना चाही है वह सब उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम आगे चलते हैं।

श्री राम बिलास पांडेय---

व्यवस्था का प्रश्न है। बाढ़ के इलाके में हम भी आये हैं। ऐसे भी गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं जहां 80 बच्चे नाव में बैठ कर जाते हैं और नाव उलट जाती है। बहुत से इलाके हैं जहां नाव ही नहीं है। जब सदन फिर बैठेगा कल दो घंटे की चर्चा के बाद तो आप 14 तारीख को इसे लेंगे। उस समय तक क्या हालत हो जायेगी? इसीलिये तत्काल समय दिया जाय इस पर 80 लाख शरणार्थी बंगला देश से आये हैं उन पर 3 करोड़ रुपया रोज खर्च हो रहा है उसके कम महत्व का प्रश्न यह नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा गम्भीर यह मसला है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अगर ऐसे ही भाषण करते जायेंगे तो इससे कोई फायदा होगा नहीं ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

मान्यवर, मैं केवल एक बार खड़ा हुआ हूं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे केवल 5 मिनट का समय आप दे दें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कल तो आपको समय दे दिया गया था । (शोर व्यवधान) (एक साथ कई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़े हो गये)

इस तरह से "व्यवस्था का प्रश्न, व्यवस्था का प्रश्न" करने से किसी को समय नहीं दिया जायेगा । आप लोग कृपया बैठ जाएं ।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान केवल कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करूंगा जो कि इलाहाबाद में बाढ़ के संबंध में है । एक तो माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं इलाहाबाद के विषय में उसमें कुछ स्पष्ट बातें छूट गई हैं । उससे साबित होता है कि ये जो आंकड़े हैं भ्रामक हैं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने इलाहाबाद में बाढ़ के संबंध में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है कि इलाहाबाद--रीवां जाने वाली सड़क जो कि 17 मील से लेकर 19वें मील तक ध्वस्त हो गई थी बाढ़ से, मान्यवर, वह सड़क इन्टर स्टेट हाई वे है और उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से जोड़ती है । इस सड़क पर लगभग 1 हफ्ते तक संचार बन्द रहा । इस वजह से जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे निश्चित रूप से भ्रामक हैं ।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इलाहाबाद में जो विधान सभा का बारा क्षेत्र है वह एक ऐसा भाग है जो कि दक्षिणी रेलवे और जमुना नदी के बीच का है जिसमें पचासों गांवों की बस्ती है वह तरहार क्षेत्र कहलाता है । इस क्षेत्र में बाढ़ के कारण आना-जाना संभव नहीं हो सकता है । कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंच सकता है । माननीय मंत्री जी भी नहीं पहुंच सकते हैं । तो इस प्रकार सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

पिछली बार जब बाढ़ आई थी उसमें जो संकट की स्थिति पैदा हो गई थी उस समय कोई उपाय भी नहीं किया गया था । संतोषजनक रीति से और संतोषजनक रिपोर्ट वहां से प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी । अतः मेरा निवेदन है कि जो आंकड़े उपस्थित किये गये हैं उस विषय में वे आंकड़े उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कि 4 लाइन में रामायण प्रस्तुत की जाती है संक्षेप में मंत्री जी ने उसे प्रस्तुत किया है। इससे किसानों का संकट दूर नहीं होगा और न ही बाढ़ की सही स्थिति आपके सामने आ सकती है। मंत्री जी के अनुसार इलाहाबाद में बाढ़ से 546 गांव प्रभावित हुए हैं । मेरी समझ में नहीं आता है वह कौन-सा माप दण्ड है जिसके अनुसार यह कहा गया है ।

इलाहाबाद के जमुनापार, गंगापार और इधर मंझनपुर---आठों तहसीलों को मिलाकर वह कह रहे हैं कि कुल 546 गांव प्रभावित हुए हैं । हजारों गांव तो हमारे जमुनापार में ही प्रभावित हैं और अगर सही-सही परिस्थिति सामने रखी जाय तो यह कहना भी असंगत न होगा कि ग्रामीण क्षेत्र तो सारा ही प्रभावित मान लिया जायगा इसलिये कि खरीफ की फसलें न तो बोयी जा सकीं---10 प्रतिशत धान को छोड़कर न बाजरा बोया जा सका न ज्वार बोयी जा सकी और अरहर का तो पेड़ ही नहीं दिखाई पड़ता । तो जब सारी खरीफ की फसलें बोयी नहीं जा सकीं तो क्या उनको प्रभावित नहीं माना जायगा, बाढ़ से ?

[श्री सर्वसुख सिंह]

तो मेरा नम्र निवेदन है कि किसानों के संकट को सही-सही समझने के लिए एक बहुत ही बृहत्तर दृष्टिकोण में देखना पड़ेगा इस बाढ़ को और बाढ़ के पूर्व जो परिस्थितियां थी सूखा की, क्योंकि बाढ़ तो मई-जून से शुरु हुई इस साल वर्षा से उसके पहले दो तीन वर्षों से किसानों के लिये सूखा और बाढ़ का प्रकोप होता रहा है, तो आप उस संदर्भ में इस बाढ़ को देखें कि यह किसानों के संकट की कितनी लम्बी कहानी है, यह कब से शुरु हुई और भविष्य क्या होने वाला है ?

आप देखिएगा कि यह जो सरकार द्वारा रिलीफ वर्क चल रहा है इससे किसानों के संकट में कोई कमी नहीं आने को है। सौ, दो सौ रुपया देने से आज एक झोपड़ी भी नहीं तैयार हो सकती है और किसानों के पास जहां कपड़ा नहीं है, खाने-पीने को नहीं है, चारा-भूसा नहीं है और हमारे इलाहाबाद के आंकड़ों में यह बतलाया गया है कि केवल 546 गांव और 50 कस्बे प्रभावित हैं। जहां गंगा, जमुना की विशाल जलराशि है और उनका इतना विराट स्वरूप है, जहां कि नदियों का जाल बिछा हुआ है, जहां हजारों मवेशी बह गये, मंत्री जी के अनुसार 50 कस्बे पीड़ित हैं। तो मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे समय दें। मंत्री जी इलाहाबाद जा सकते हैं और मैं उनको उन क्षेत्रों में ले चलूंगा जहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा होगा। मैं मझियारी मानपुर, बिरवल, जगदीशपुर, इत्यादि गांवों और अनेक गांवों के नाम बता सकता हूं जो सारे गांव जमुना के, टोंस के किनारे के सब डूब गये हैं जहां सैकड़ों मकान एक-एक गांव में गिरे पड़े हैं और मंत्री जी के हिसाब से आंकड़े बहुत संक्षिप्त हैं। तो इलाहाबाद की बाढ़ की परिस्थितियों का पुनर्वीक्षण किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री पन्नालाल।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ बरबाद है। जो इलाके बरबाद हुए हैं उनके मेम्बरों को मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे ही लोगों के नाम कृपा पूर्वक देने की कृपा करें।

श्री त्रिवेणी राय—

ठीक है, मैं दूंगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

क्या मेरा नाम काट दिया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बाढ़ के तहत में मुझे भाग लेने दिया। मुझे आज इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद ऐसा मालूम होता है कि यह रिपोर्ट मनगढ़न्त है। मंत्री जी कहते हैं कि पक्के मकान को 300 रुपये और कच्चे मकान को 200 रुपये देंगे। मकान काफी गिरे हैं। इस रिपोर्ट में है कि एक लाख हजार मकान गिरे हैं और 66 लाख 46 हजार रुपया दे रहे हैं। अगर फी मकान देखा जाय तो 50 रुपये पड़ता है। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि पक्के मकान के लिये 300 रुपये और कच्चे के लिये 200 रुपये देंगे। इस तरह से हिसाब

लगाइए और देखिए कितना रुपया होता है। मंत्री जी सदन में रिपोर्ट पेश करने से पहले गणित का हिसाब तो लगा लिया करें कि सरकारी अफसर क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं। व दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 76 लाख आदमियों का नुकसान हुआ है और तकाबी का रुपया मिलाकर कुल 88 लाख रुपया दिया है। 20, 25 रुपये प्रति परिवार देने का सवाल है। इसका हिसाब लगायेंगे तो मालूम होगा कि मुश्किल से प्रति परिवार एक रुपया पड़ेगा। एक-एक रुपया दें तब भी आदमियों की पूर्ति नहीं होती है। यह रिपोर्ट कहां से आई।

मैं अपने जिले की बात कहता हूं। मेरी कान्स्टीटुएन्सी में गंगा जी बहती हैं और पूरे किनारे-किनारे जिन लोगों के खेत और मकान हैं और जहां लोग कटरियों में रहते हैं उनका एक मकान भी नहीं बचा और उनका सारा सामान बह गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 58 गांव अफेक्टेड हुए और 720 घर गिरे। मैं आपको बताता हूं गलाथा, कौड़िया, आसापुर, अभयपुर, थानपुर, मानिकपुर, शिवराजपुर, माऊपुर, तन्धरपुर, मदोकीपुर गुंदापुर, मवै मुनीर, लहंगी, किशनपुर समशाही, देवमुई, कुटिया, रावतपुर, बियामऊ, मीरमऊ आदि यहां तक हमारा क्षेत्र है। इन सब गांवों में एक केवट का भी मकान नहीं बचा। सब के सब बह गये हैं जो कटरियों में आबाद थे। इसमें लिखा है कि फतेहपुर में थोड़ा नुकसान हुआ और 20 अगस्त के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि भलवा के पास कानपुर, इलाहाबाद रोड जो जी० टी० रोड है वह तीन फरलांग तक कट गई है। उसमें कोई ट्रक तथा कार वगैरह नहीं चल सकती है। अखबार में आया कि तीन रोज के लिये सड़क बन्द कर दी गई है। बांदा और फतेहपुर रोड धंस गई है और बांदा में पूरी सड़क खराब है। इसका भी कुछ जिक्र नहीं, मंत्री जी अफसरों की निगाह से देखते हैं या अपनी अक्ल से काम लेते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी क्या उनके जिले से चुनकर आए हैं ?

श्री पन्ना लाल गुप्त—

माननीय जायसवाल जी को उनके संबंध में अच्छी तरह से ज्ञान है। वे हमारे जिले से चुनकर आये हैं लेकिन उनकी पार्टी से निकल कर आये हैं। आपको ज्यादा ज्ञान है इसका।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, वे तो दोनों एक ही पार्टी में हैं लेकिन उनसे नफरत इतनी है कि उनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त—

उनके पुराने मित्र तो इधर आ गये हैं किसी दिन ऐसा भी होगा कि आप भी इधर आ जायेंगे।

मान्यवर, मैं यह बता रहा था कि पारसाल जो बाढ़ आयी थी सिंचाई विभाग की ओर से नालों का एक सर्वे हुआ था। 62 से वह सर्वे चल रहा है लेकिन उसके फलस्वरूप एक भी नाला नहीं खोदा गया। पानी उसी प्रकार से भरा हुआ है। 75 लाख रुपये वहां के लोगों के लिये सैंक्शन हुआ था लेकिन वहां के आफीसरों ने 5–5 बार वहां के लोगों को फिराया। और रुपया भी जो दिया गया वह 100 रुपया में 70 रुपया दिया गया। सरकारी आफीसरों की शिकायत माननीय मंत्री जी से करते हैं तो वे सुनते नहीं है। वहां के तहसीलदार का ट्रांसफर 5 तारीख को हुआ लेकिन 13 तारीख को कैंसिल कर दिया गया। कमिश्नर इलाहाबाद ने फिर उसका ट्रांसफर किया लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया। वह

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

वहां का वहीं है। कमिश्नर ने जब कहा कि तुम छुट्टी ले लो तब छुट्टी लेकर भागा है। हर समय प्रशासन में इन्टरफेरेंस हो रहा है। पटवारियों तक के लिये रोज टेलीग्राम जाते हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जब आप इस हाउस में रिपोर्ट रखा करें तो पहले उसको पढ़ लिया करें और देख लिया करें कि वह ठीक है या गलत है तब उसको रखा करें। ताकि शेखचिल्लियों ऐसी रिपोर्ट इस सदन में न पढ़ी जायं।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, बस्ती जिला सबसे बड़ा जिला है। वहां पर घाघरा नदी से बड़ा भारी कटाव हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री सियाराम (जिला एटा)—

जिला एटा की जो रिपोर्ट आई है वह बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के नाम पर आप अव्यवस्था करते हैं। आप अपने नेता से तो पूछ लीजिये कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है और वह कैसे उठाया जाता है। यह व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत आता है।

श्री धर्मवीर—

नियम 51 के अन्तर्गत जो प्रश्न दिये गये थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई।

(व्यवधान)

*श्री सजीवन लाल—

इस रिपोर्ट के अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि वह गैर जिम्मेदारी से बनायी गयी है। क्योंकि यह उन अधिकारियों के द्वारा ही बनायी गई है जो अंग्रेजों के काल से चले आते हैं और उसी समय से आजतक शासन में बने हुए हैं। आज देश को आजाद हुए 24 वर्ष हो गये लेकिन अनेक समस्यायें जो देश के सामने थीं, उनका कोई भी ठीक समाधान नहीं हो सका, कोई अच्छा रास्ता नहीं निकल सका। कोई न कोई भीषण स्थिति हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष आ जाती है। कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कभी सूखे की स्थिति आ जाती है, कभी भ्रष्टाचार की स्थिति आ जाती है, कभी बेकारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर इस सरकार ने 24 वर्षों के अन्दर एक भी समस्या का हल निकाल लिया होता तो मुझे संतोष हो जाता। हल निकले भी तो कैसे। अभी भी वही अंग्रेजों के जमाने की कार्यसमिति चल रही है जो इन मंत्रियों को सलाह देती हैं। (व्यवधान)

(चार बज गया की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—

एक तरफ तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिले और दूसरी तरफ बोलने नहीं देते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सजीवन लाल—

नौकरशाही के हाथ में 24 वर्षों से हमारा पूर्ण शासन जकड़ा हुआ है और उस नौकरशाही की कभी भी यह इच्छा नहीं होती कि देश प्रगति करे, देश से भुखमरी दूर हो और यह बाढ़ की समस्या हल हो । यह समस्या तो है ही, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां पैदा होने वाली है वह यह कि रबी और खरीफ दो फसलें हमारे प्रदेश में होती थीं । आधे हिस्से में रबी बोई जाती थी और आधे में खरीफ । इस वर्ष बाढ़ के कारण खरीफ की फसल चौपट हो गयी है, बोयी नहीं जा सकती है और अगर कहीं बोयी भी गयी है तो वह नहीं के बराबर है और पूरा बोझ हमारे बैलों पर रबी की फसल में पड़ेगा । लेकिन क्या हमारे बैल खरीफ और रबी की पूरी जमीन को जोत सकेंगे । मैं समझता हूं कि हमारे बैलों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पूरी जमीन को जोत सकें । इसलिये सरकार को चाहिये कि वह हर ब्लाक स्तर पर चार-चार ट्रैक्टर भेजे जिससे खेतों की जुताई और बोवाई का काम जो रबी की फसल में होने वाला है वह कम से कम हो सके नहीं तो खेत अधजुते पड़े रह जायेंगे और रबी की फसल मारी जायगी । जो ट्रैक्टर ब्लाक स्तर पर भेजे जायं वह कम दामों पर किसानों को मिलें जिससे कि वह अपने खेतों की जुताई करा सकें । सरकार की तरफ से यह भी चाहिये कि चलते-फिरते सीड स्टोर्स खोले जायं क्योंकि इस समय फसल के लिये बीज के मिलने में कठिनाई हो रही है । जब बीज नहीं मिल पायेगा तो किसान अपने खेत बो नहीं पायेगा । इसलिये सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हो कि गांव-गांव जा कर किसानों को बीज दे ।

इसके अलावा ड्रेनों की सफाई हो । अगर 24 साल के अन्दर ड्रेनों की ही सफाई होती तो यह समस्या नहीं पैदा होती । जो सड़कें टूट गयी हैं उनको बनवा दिया जाय, बच्चों की फीस माफ हो, लगान बिल्कुल माफ कर दिया जाय । यह नहीं कि स्थगित कर दें । जो तकावियां वसूल होने वाली हैं वह भी रोक दी जायं । ऐसे ऐसे कदम उठाये जायं जिससे हमारी रबी की फसल का उत्पादन बढ़ सके । जो क्षति हुई है उसको पूरा किया जाय और जो रुपया बांटा गया है उसके लिये यह देखा जाय कि वह कहीं कानूनगो और लेखपाल की जेबों में ही तो नहीं जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर कल बहस होगी ।

एक सदस्य—

प्रतापगढ़ जिले के अभी तक किसी सदस्य को बोलने को नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल ।

सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान की उत्तर प्रदेशीय शाखा के उद्घाटन समारोह के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब एक जरूरी सूचना सुन लीजिये ।

सांविधानिक व संसदीय अध्ययन संस्थान की उत्तर प्रदेश शाखा के 30 अगस्त, 1971 को सायंकाल 5.30 बजे उद्घाटन के अवसर पर विधान मंडल के माननीय सदस्यों को विधान भवन से रवींद्रालय ले जाने व उनके वापस विधान भवन तक लाने के लिये बसों का

[श्री उपाध्यक्ष---]

प्रबन्ध किया गया है । ये बसें विधान भवन के सामने वाले प्रांगण में सायंकाल 4.30 बजे उपलब्ध होंगी और 4.50 बजे अन्तिम बस रवींद्रालय के लिये प्रस्थान करेंगी । वापसी में जलपान के 15 मिनट बाद ये बसें रवींद्रालय से विधान भवन के लिये प्रस्थान करेंगी । जिन माननीय सदस्यों को उनका उपयोग करना हो, वे कृपया समय पर निर्दिष्ट स्थानों पर उपस्थित हो जायं ।

नियम 56 तथा 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास नियम 56 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक सूचना नियम 56 के अन्तर्गत बरहज, जिला देवरिया में गौरा के सामने 200 व्यक्तियों से भरी नाव के डूब जाने के संबंध में है । इसे बाढ़ के संबंध में यहां पर बहस चल रही है । इसलिये इसको स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है । इस बाढ़ की चर्चा में वह इसका जिक्र कर सकते हैं।

दूसरी नियम 56 के अन्तर्गत सूचना श्री रामबिलास पांडेय, श्री बंशी धर पांडेय, श्री सुरेंद्र विक्रम की ओर से स्वदेशी काटन मिल मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) के कर्मचारियों के संबंध में है उसको अस्वीकार किया गया है ।

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना श्री सुरेंद्र विक्रम, श्री राम बिलास पांडेय और श्री बंशी-धर पांडेय की ओर से आई है जिसमें देशी एवं विदेशी शराब की बोतलों में विष इत्यादि मिलाये जाने की शिकायत है । इसको हमने मुख्य मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है । शेष जितनी भी सूचनायें हैं वे सब अस्वीकार की गई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
30 अगस्त, 1971

परिशिष्ट "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 140 पर)

राज्य विद्युत् परिषद् के सदस्यों के नाम तथा योग्यता की सूची

नाम	योग्यता
1—श्री एस० एन० सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से बी०एस०सी० इंजीनियरिंग की डिगरी ।
2—श्री जी० के० आर० वर्मा, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	बनारस हिन्दू यनिवर्सिटी से बी० एस० सी० इंजीनियरिंग की डिगरी तथा लंदन से डी०आई०सी० ।
3—श्री पी०सी० गुप्ता, चीफ कंट्रोलर आफ एकाउन्ट्स ऐंड आडिट, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्	इंडियन रेलवे एकाउन्ट्स सर्विस ।
4—श्री भरत नारायण, कमिश्नर ऐंड सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार वित्त विभाग	इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ।
5—श्री प्रेम प्रकाश, सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग	यू०पी० जूडिशियल सर्विस ।
6—श्री एस० के० चौधरी, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई एवं विद्युत् विभाग	इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ।
7—श्री एम० वरदराजन, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ	इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 145 पर)

सेंट्रल हास्पिटल्स फंड कमेटी द्वारा 31 मार्च, 1971 तक मेरठ जिले को दिये गये अनुदान की सूची :—

स्थान	प्रयोजन संस्था	धनराशि
मेरठ	1—पी० एल० शर्मा अस्पताल और डफरिन अस्पताल के लिये जल पूर्ति पुनर्संगठित योजना	रु० 1,38,500
	2—पी० एल० शर्मा हास्पिटल में वाटर पंप अटेंडेंट के लिये एक कमरे का निर्माण ..	2,720
	3—पी०एल० शर्मा हास्पिटल में वर्तमान ड्राई लैटरींस को फ्लश लैटरींस में बदलने और अन्य 'अपुरटेनेंट' कार्य	49,930
	4—डफरिन हास्पिटलस में वर्तमान ड्राई लैटरींस को फ्लश लैटरींस में बदलने और अन्य 'अपुरटेनेंट' कार्य	49,900
	5—नरसेज होम, मेरठ के लिए, लैटरीन, सैप्टिक टैंक आदि की मरम्मत	4,000
	6—पी०एल० शर्मा हास्पिटल्स के मैटरनिटी वार्ड में एक स्नानघर का निर्माण .	2,600
सालवा	1—राज्य डिसपेंसरी में विशेष मरम्मत के लिये	1,600
सरूरपुर	1—राज्य डिसपेंसरी में विशेष मरम्मत के लिये .	5,000
लतीफपुर	1—राज्य डिस्पेंसरी की इमारत में विशेष मरम्मत हेतु ..	2,300
बाघपत	1—बोमन हास्पिटल्स में विशेष मरम्मत के लिये ..	1,450
पिलखुआ	1— " " ..	1,000
	2—बोमन हास्पिटल्स में बाउन्डरी दीवार का निर्माण ..	5,500
गोविन्दपुरी	1—स्टेट डिस्पेंसरी इमारत के विशेष मरम्मत हेतु ..	5,000
गाजियाबाद	1—टी०बी० क्लीनिक और वार्ड रडियोलौजिस्ट एम० एम० सी० हास्पिटलस की विशेष मरम्मत ..	9,940
साज-सज्जा—		
	पी० एल० शर्मा हास्पिटल	15,000
	पिलखुआ डिस्पेंसरी .	360
	एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल (साज सज्जा एवं फर्नीचर) ..	1,50,000
पेंइंग गेस्ट के लिये सुविधायें		
	पी०एल० शर्मा हास्पिटलस	20,000
	योग ..	4,64,800
	योग, लाया गया	4,64,800

स्थान	प्रयोजन संस्था		धनराशि
			रु०
		योग लाया गया	4,64,800
मेरठ	आयुर्वेदिक		
	विशेष मरम्मत, आसारा	.. ..	9,800
	साज सज्जा, आसारा	. ..	400
मेरठ	पी० एल० शर्मा हास्पिटल		
	1—आपरेशन थेटर के वातानुकूलित के लिये	..	3,405
	2—एक्सरे विभाग में स्नान कक्ष तथा सेनेटरी फिटिंग	.	1,333
गाजियाबाद	एम० एस० जी० हास्पिटल, गाजियाबाद		
	1—एक्स-रे प्लांट की मरम्मत	..	5,000
मेरठ	एल० एल० आर० एम० मेडिकल कालेज		
	1—लायब्रेरी पुस्तकों के क्रय हेतु	..	50,000
मुल्लुलावा	सिविल हास्पिटल		
	सेप्टिक आपरेशन थेटर के लिये	..	8,962
हापुर	अस्पताल के विद्युतीकरण के लिये	..	11,665
		योग	5,55,365

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 147 पर)

रेंट कन्ट्रोल अधिकारी, लखनऊ द्वारा अक्तूबर, 1970 से 30 मई, 1971 तक एलाट किये गये मकानों की सूची।

क्रम०-सं०	मकान जो एलाट किया गया	तिथि	नाम एलाटी
1	मकान नं० 4, गौसगंज, लखनऊ	15-10-70	श्री शिवराज सिंह
2	मकानसं० 11, विशेश्वर नाथ रोड का एक फ्लैट	7-10-70	श्री मोरिसदयाल
3	मकान नं० 59, छितवापुर का एक भाग	7-10-70	श्री देवराज शर्मा
4	मकान नं० 22, निशात मंजिल, मछली मोहाल का एक भाग	8-10-70	श्री शमशुल हसन
5	मकान नं० 21, स्टेशन रोड का एक भाग	15-10-70	श्री डी०पी०जोशी
6	मकान नं० 131, नवल किशोर रोड की कोठी	21-10-70	श्री राज कुमार गुला ी
7	मकान नं० 90, हिवेट रोड	21-10-70	श्री कालिका प्रसाद
8	मकान नं० 216/118, जम्बूर खाना	21-10-70	श्री शुशीला शाह
9	मकान नं० 122/8, फैजाबाद रोड	26-10-70	श्री प्रेम सिंह
10	राधे लाल का हाता, कुर्मीटोला	3-11-70	श्री अरविन्द नाथ
11	मकान नं० 6, जय नारायण रोड	7-11-70	श्री मोती लाल
12	मकान नं० 48, रटलज रोड का भाग	9-11-70	श्री काशी प्रसाद
13	मकान नं० 42, माडल हाउस	9-11-70	श्री ओम प्रकाश शर्मा
14	मकान नं० 84/1, नजरबाग	10-11-70	श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी
15	मकान नं० 82, अस्तबल चारबाग	17-11-70	श्री मुमताज अली
16	मकान नं० 14, लालबाग की दुकान	21-11-70	मोटर पुजालय
17	मकान नं० 158, गोलागंज	23-11-70	आर०सी०मिश्रा
18	मकान नं० 7, हीवेट रोड	25-11-70	श्री सहाबुद्दीन
19	स्पार्ट बिल्डिग शाहनजफ रोड का एक फ्लैट	25-11-70	श्री बी०के०पांडेय
20	कमरा नं० 14, मुन्नीलाल धर्मशाला रोड चारबाग	26-11-70	डा०एस०बी०एल० जैन
21	भोलानाथ, सीता राम ट्रस्ट बिल्डिग, कमला मारकेट	30-11-70	श्री मोती लाल
22	कमरा नं० 165/8, हैदरमिर्जा रोड	30-11-70	श्री सफीउल्ला खान
23	फ्लैट, पुराना भोपाल हाउस	30-11-70	श्री अतीकुर्रहमान
24	फ्लैट 55, कैन्टूनमेंट रोड	30-11-70	श्री देश राज
25	फ्लैट 83, कानपुर रोड का एक भाग	11-12-70	श्रीमती रमा मिश्रा
26	फ्लैट 51, बीर नगर, उदयगंज रोड	11-12-70	श्रीमती प्रेमवती
27	फ्लैट 498/80, हसनगंज	10-12-70	श्री पुत्तन
28	फ्लैट 3 के भूखंड की एक दुकान	15-12-70	श्री जयकिशन भार्गव

क्रम० सं०	मकान जो एलाट किया गया	तिथि	नाम एलाटी
29	फ्लैट 68, काली निवास हजरत गंज नरही का ऊपरी भाग	17-12-70	श्रीमती पी०आर० चटर्जी
30	हलवासिया कोठी का भूखंड का भाग	17-12-70	बैंक आफ बड़ौदा ब्रांच हजरत गंज
31	38, आर्यानगर का ऊपरी भाग	19-12-70	श्री ए०के०गुप्ता
32	2, जापलिंग रोड का एक कमरा	21-12-70	श्री के० के० शर्मा
33	2, जापलिंग रोड का सिराजुद्दीन वाला भाग	21-12-70	श्री खलील अहमद
34	12, हीवेट रोड का ऊपरी भाग	21-12-70	श्री दया शंकर सिंह
35	अयोध्या हाउस, लालबाग का एक भाग	21-12-70	श्री भवनेश्वरसिंह
36	197, तालाब गगनी शुकुल	21-12-70	श्रीमती ज्ञानवती
37	235/45, गली शाह छाछर	31-12-70	नाजमिया अरेबिक कालेज
38	631/20, गाजी मंडी	31-12-70	श्री शब्बीर मिर्जा
39	2, कबीर मार्ग का छोटा भाग	1-1-71	श्री महेंद्र सिंह बिष्ट
40	16/ए, अशोक मार्ग	7-1-71	श्री युवराज सिंह
41	90, हीवेट रोड	7-1-71	श्री कामताप्रसाद
42	106/118, नजरबाग का प्रथम खंड	8-1-71	श्री हरीशचन्द्र सक्सेना
43	136, चतुर्वेदी लाज नं० 2 नरही का एक गैरिज	8-1-71	श्री त्रिवेणी प्रसाद यादव
44	10/1, वजीर मंजिल, वजीर हसन रोड	13-1-71	श्री निरंकार प्रसाद कपूर
45	277/341,मवैय्या की एक दुकान	13-1-71	श्री भगवती प्रसाद
46	अस्तबल नं० 1, हुसेनगंज	13-1-71	खादी भवन हुसेनगंज
47	10 लाटूश रोड, लखनऊ	19-1-71	काजी अलाउद्दीन
48	दुकान नं० 11, विनायक भवन चारबाग	20-1-71	मेसर्स अशोक आटोमोबाइल्स
49	दुकान नं० 40,42, 44 हलवासिया मार्केट	20-1-71	श्री राम औतार अग्रवाल
50	3, क्लाइव रोड का भूखंड	29-1-71	श्री आर०एस० खरास
51	5, बी०एन० रोड, थाई लेन का फ्लैट	1-2-71	श्री सइदुल्ला
52	हाजी बिल्डिंग चिकमन्डी	1-2-71	श्री अली हसन खान
53	325/124, सोंधी टोला, चौक	18-2-71	श्री हर नारायण कपूर
54	41/476 नरही	18-2-71	श्री गंगाधर नैथानी
55	58/3, जगदीश चन्द्र बोस रोड के ऊपर का एक भाग	18-2-71	श्री जय प्रकाश मिश्र

क्रम० सं०	मकान जो एलाट किया गया	तिथि	नाम एलाटी
56	14, क्लाइव रोड का एक भाग	18-2-71	श्री आई०एस०माथुर
57	14, क्लाइव रोड का एक भाग	18-2-71	मेसर्स नारायण वेजीटेबिल प्रोजेक्ट
58	165/7, हैदर मिर्जा रोड	22-2-71	अब्दुल हई
59	312/29, खुनखुन जी रोड	24-2-71	श्री मुन्ना लाल गुप्ता
60	69, जुरिया टोला, मकबूलगंज	24-2-71	श्री नीरन चौधरी
61	146, ताजी खाना	25-2-71	श्री राम निगम
62	38, बाल्मीकि मार्ग का एक भाग	26-2-71	श्री कन्हैया लाल
63	10, जगदीश बिल्डिंग के भूखंड का एक भाग	26-2-71	ब्रह्म कुमारी आश्रम की एक शाखा
64	दुकान चौराहा कबला सिराजुदौला	22-3-71	श्री अख्तर हुसेन
65	244, चिकमंडी, गोलागंज	24-3-71	श्री कुतुबुद्दीन
66	फ्लेट नं02/20, जय नरायण मिश्रा बिल्डिंग, चारबाग ।	25-3-71	श्री राज नारायण दीक्षित
67	राम भवन, विधानसभा मार्ग का दक्षिणी भाग	26-3-71	ब्रांच मैनेजर लाइफ इंश्सोरेंस कम्पनी
68	84/386, कटरा मकबूलगंज	26-3-71	श्री कृष्ण कुमार भरद्वाज
69	116, नौबस्ता, लखनऊ	26-3-71	श्रीमती शांतीदेवी
70	17, कुंदन मार्केट चौक	26-3-71	नइमुर्रहमान
71	रामजस बिल्डिंग, निशातगंज	29-3-71	श्री इमाम बख्श
72	14/630, मुराद अली लेन	29-3-71	श्रीमती आर० मिसकीन
73	16/ए अशोक मार्ग	30-3-71	श्री श्रीपति जोशी
74	126/30, कन्धारी लेन की एक दुकान	30-3-71	श्री इरशाद अली
75	336/129, काजमैन रोड	30-3-71	श्री अख्तर हुसेन
76	255/397/1, कुंडरी रकाबगंज	5-4-71	श्री आनन्द प्रकाश शुक्ला
77	मंशूर मंजिल, नया गनेशगंज के नीचे का भाग	5-4-71	श्री नूरुल एन० अशरफ
78	फ्लैट, पुराना भोपाल हाउस, लालबाग	5-4-71	श्री साहिद अली सिद्दीकी
79	1, कैसरबाग का ऊपरी भाग	7-4-71	श्री जी० पी० सिंह
80	15, राणा प्रताप सिंह मार्ग	7-4-71	गन्ना आयुक्त, लखनऊ मंडल
81	फ्लैट नं० 8, हलवासिया कोर्ट	12-4-71	श्री जी०के० गुप्ता
82	3, फैजाबाद रोड	13-4-71	श्री मुब्बसिर हुसेन
83	6, मुरलीनगर (दुकान)	14-4-71	श्री राम देव वैश्य
84	दुकान नं० 7, मुरलीनगर	14-4-71	श्री हरीश राय
85	32, गौतम बुद्ध मार्ग	15-4-71	श्री वेद प्रकाश
86	307/2 गली पारचा, चौक	15-4-71	श्री अमरसिंह राजपूत

क्रम०-सं०	मकान जो एलाट किया गया	तिथि	नाम एलाटी
87	कोठी मकान नं० 4, जूते वाली गली	16-4-71	श्री रामेश्वर गुप्ता
88	24, गड़बड़ झाला पार्क	19-4-71	श्री राज बहादुर
89	34/4, गुइन रोड, लखनऊ	21-4-71	कुसुम कांता गोयल
90	22, हाता ख्वाजा गौहर, हुसेनगंज	22-4-71	श्रीमती खष्टी देवी शाह
91	3, क्विटन रोड का मकान	22-4-71	श्री ए०सी० जैन
92	198, तालाब गगनी शुकुल	23-4-71	श्री लालजी अग्रवाल
93	133/69, अमीनाबाद रोड	27-4-71	श्री लीला राम
94	138/90, फतेहगंज	27-4-71	श्री कपिलदेव जैसवाल
95	85, रामतीर्थ मार्ग, नरही की दुकान	29-4-71	श्री श्याम सुन्दर लाल भार्गव
96	189/14-15, चौक	1-5-71	डा०पी० डी० कपूर
97	78, लाटूश रोड	3-5-71	श्री जगदीशसिंह भाटिया
98	81/3, शिवपुरी	3-5-71	श्री चिनमीय घोष
99	क्वार्टर नं० 11, मुन्नी लाल धर्मशाला चारबाग	5-5-71	श्री शारदा प्रसाद शुक्ल ।
100	एक कोठरी, हलवासिया मार्केट	5-5-71	श्री लेखराज
101	428,पुराना किला का एक कमरा	5-5-71	श्री लालता प्रसाद वैश्य
102	30, हजरतगंज, विलहरा हाउस का एक कमरा	5-5-71	श्री अशोक कुमार
103	1/निशातगंज	6-5-71	श्री बद्री प्रसाद शिव प्रसाद
104	41/475, नरही का एक भाग	12-5-71	श्री गंगाधर नैथानी
105	119/14, कंधारी बाजार की एक कोठरी	12-5-71	श्री मोहम्मद रफी
106	मकान नं0 40 का पश्चिमी भाग, अमानीगंज	12-5-71	श्री कमरुद्दीन सिद्दीकी
107	59/19, कुर्मी टोला हुसेनगंज का भूखंड	19-5-71	श्री भुवन चन्द्र पंत
108	295/370ए, अशरफाबाद	21-5-71	श्री देवेंद्र नाथ त्यागी
109	14, क्लाइव रोड का प्रथम ऊपरी भाग	22-5-71	श्री अनिल कुमार
110	4ए, पार्क रोड, लखनऊ	22-5-71	श्री प्रकाश चन्द्र पांडे
111	60-61, राजा मंजिल, बशीरतगंज का भूखंड	22-5-71	श्री अब्दुल रसीद
112	303/1, सराय मेवा, चौक	24-5-71	श्री बन्ने खां
113	बैजनाथ भवन, कमला नेहरू मार्ग	25-5-71	श्री विशनू नारायण विनोद
114	59 एफ, सुन्दरबाग	27-5-71	श्री देवराज मिश्रा
115	657, बाल्दा रोड	28-5-71	श्री नईमउल्ला
116	रामा भवन विधान सभा मार्ग का एक कमरा	29-5-71	श्री राजेश प्रसाद रायजादा ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 155 एल० ए० (हिं०)—1972—845 ।